वार्षिक रिपोर्ट 2017-18

तेउविबो
OIDB

तेल उद्योग विकास बोर्ड

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

बोर्ड के सदस्य	02
बोर्ड के अधिकारी/बैंकर्स/लेखा-परीक्षक	04
लक्ष्य एवं उद्देश्य	05
अध्याय 1 संगठनात्मक व्यवस्था और कार्य	06
अध्याय 2 वित्तीय सहायता : तेल कंपनियों को ऋण	11
अध्याय 3 वित्तीय सहायता : नियमित अनुदानग्राही संस्थानों को अनुदान	16
अध्याय 4 वित्तीय सहायता : अनुसंधान और विकास तथा अन्य अनुदान	38
अध्याय 5 तेउविबो का उर्जा सुरक्षा में योगदान	43
अध्याय 6 अन्य पहलें/गतिविधियां	48
अध्याय 7 तेउविबो वार्षिक लेखे 2017-18	55
अध्याय 8 भारत के नियंत्रक एवं महा लेखाकार की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट	80
अध्याय 9 इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखें	89
अध्याय 10 परिशिष्ट	154

बोर्ड के सदस्य

(रिपोर्ट की अवधि के दौरान)

अध्यक्ष

श्री कपिल देव त्रिपाठी
सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

सदस्य

श्री अनुज कुमार बिश्नोई
सचिव
रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग
(31.05.2017 तक)

श्री राजीव कपूर
सचिव
रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग
(23.06.2017 से 19.02.2018 तक)

श्री पी राघवेन्द्र राव
सचिव
रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग
(19.03.2018 से आगे)

श्री अनन्त कुमार सिंह,
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
(11.05.2017 तक)

श्री राजीव बंसल
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
(24.07.2017 से आगे)

श्री प्रमोद कुमार दास
अपर सचिव
वित्त मंत्रालय

श्री अतनु चक्रवर्ती,
महानिदेशक,
हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय

श्री अमर नाथ
संयुक्त सचिव (अंवेषण)
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

श्री बी. अशोक,
अध्यक्ष
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
(31.05.2017 तक)

श्री संजीव सिंह
अध्यक्ष
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
(01.06.2017 से आगे)

श्री डी.के. सर्राफ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
तेल एवं प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन
लिमिटेड

श्री शशि शंकर,
अध्यक्ष
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
(01.10.2017 से आगे)

श्री बी.सी. त्रिपाठी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
गेल (इंडिया) लिमिटेड

श्री डी. राजकुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

श्री एम. के. सुराणा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

डॉ0 एसएसवी रामकुमार
निदेशक (अनुसंधान एवं विकास)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

श्री प्रबेन्द्र कुमार
महा सचिव
श्रमिक विकास परिषद
आईओसीएल बरौनी रिफाईनरी

सदस्य सचिव

श्री आशीष चटर्जी
सचिव, तेल उद्योग विकास बोर्ड

बोर्ड के अधिकारी/बैंकर्स/ लेखा–परीक्षक (रिपोर्ट की अवधि के दौरान)

सचिव	:	श्री आशीष चटर्जी
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	:	श्री अजय श्रीवास्तव
बैंकर्स	i	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
	ii	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
	iii	कार्पोरेशन बैंक
	iv	इंडियन ओवरसीज बैंक
लेखा–परीक्षक		प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखा–परीक्षा बोर्ड–II, मुम्बई
बोर्ड का पंजीकृत कार्यालय		तेल उद्योग विकास बोर्ड, 301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड़, नई दिल्ली– 110 001
सचिवालय		तेल उद्योग विकास बोर्ड, ओआईडीबी भवन, प्लॉट नं0–2, तीसरा तल, सैक्टर–73, नोएडा–201 301, उत्तर प्रदेश
दूरभाष सं0		+91–0120–2594602 +91–0120–2594603
फैक्स		+91–0120–2594630
ई–मेल		facao.oidb@nic.in
वेब साइट		www.oidb.gov.in

तेल उद्योग विकास बोर्ड के लक्ष्य एवं उद्देश्य

- तेल उद्योग विकास निधि का प्रबन्धन।
- तेल उद्योग के विकास के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता देना।
- निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए अनुदान एवं ऋण और इक्विटी निवेश में सहायता देना :–
  - भारत के भीतर अथवा बाहर खनिज तेल की संभावनाओं की खोज एवं अन्वेषण करने;
  - कच्चे तेल के उत्पादन,संचालन,भंडारण और परिवहन की सुविधाओं की स्थापना;
  - पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिशोधन एवं विपणन;
  - पेट्रोरसायन और उर्वरकों के निर्माण और विपणन;
  - वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधानों, जो तेल उद्योग के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोगी हों;
  - तेल उद्योग के किसी भी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या प्रायोगिक अध्ययन;
  - तेल उद्योग में लगे या तेल उद्योग में लगने वाले किसी भी क्षेत्र के अन्य कामों में लगे कर्मियों को भारत में या विदेशों में प्रशिक्षण तथा अन्य विहित उपायों के लिए।

अध्याय
1

संगठनात्मक व्यवस्था और कार्य

1 प्रस्तावना

1.1 कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की अंत्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वर्ष 1973 की शुरूआत से हो रही निरंतर और तीव्र वृद्धि के पश्चात, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम आधारित औद्योगिक कच्चे माल की आवश्यकता से संबंधित प्रगामी आत्मनिर्भरता की आवश्यकता के बढ़ते महत्व को अनुभव करते हुए तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 को अधिनियमित किया गया था। तेल उद्योग (विकास) विधेयक, 1974 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में निम्नलिखित उद्देश्य शामिल किए गए थे :

- ➔ पेट्रोलियम और पेट्रोलियम आधारित कच्चे माल से संबंधित आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के कार्यक्रमों में तीव्रता लाई जाए।
- ➔ इस प्रकार के कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- ➔ इन उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ तेल उद्योग (विकास) निधि के सृजन हेतु कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उपकर वसूल किया जाना चाहिए।
- ➔ इस निधि का उपयोग विशिष्ट रूप से तेल उद्योग के विकास संबंधी कार्यक्रमों में संलग्न संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

1.2. इस अधिनियम का उद्देश्य तेल उद्योग के विकास के लिए एक बोर्ड की स्थापना करना और कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क लगाने और उनसे संबंधित मामलों से है।

2 संगठनात्मक व्यवस्था और बोर्ड के कार्य

2.1 तेल उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना दिनांक 13 जनवरी 1975 को की गई और यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहा है। बोर्ड का अध्यक्ष, केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसमें निम्नलिखित सदस्य हैं :–

(I) अधिकतम तीन सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय सरकार के पेट्रोलियम एवं रसायन से संबंधित मंत्रालय या मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जायेंगे:

(II) दो सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय सरकार के वित्त से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जायेंगे:

(III) अधिकतम पांच सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, उन निगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जायेंगे जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन ऐसे निगम है जो तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 में निर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगे हुए हैं:

(IV) दो सदस्य, जिनमें से एक केन्द्रीय सरकार द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा जिन्हें, सरकार की राय में, तेल उद्योगों की विशेष जानकारी का अनुभव है और दूसरा सरकार द्वारा, तेल उद्योग में नियोजित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाएगा:

(V) बोर्ड का सचिव, पदेन सदस्य होगा।

2.2 तेल उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना, ऐसे सभी अध्युपायों के संप्रवर्तन के लिए, जो उसकी राय में तेल उद्योग के विकास में साधक हो, वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करने के लिए की गई। तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 (अनुलग्नक–I) के अनुसार, बोर्ड निम्न उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ सहायता प्रदान कर सकता है :

क) भारत के भीतर अथवा बाहर खनिज तेल की संभावनाओं की खोज एवं अन्वेषण करने;
ख) कच्चे तेल के उत्पादन, संचालन, भंडारण और परिवहन की सुविधाओं की स्थापना;
ग) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिशोधन एवं विपणन;
घ) पेट्रोरसायन और उर्वरकों के निर्माण और विपणन;
ड.) वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान, जो तेल उद्योग के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोगी हों;
च) तेल उद्योग के किसी भी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या प्रायोगिक अध्ययन;
छ) भारत में या विदेश में तेल उद्योग कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए।

2.3 कोई भी तेल संबंधी औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा अन्य व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से देश के तेल उद्योग से संबद्ध किसी भी प्रकार की गतिविधि में संलग्न है, वह बोर्ड से वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने का पात्र है।

2.4 तेल उद्योग विकास अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए भी बोर्ड कर्तव्यबद्ध है।

3 तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था

3.1 तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 15 में स्वदेशी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क के रूप में उपकर की वसूली का प्रावधान किया गया हैं (अनुलग्नक–II)। सरकार द्वारा 'भारत में उत्पादित स्वदेशी कच्चे तेल' (तत्संबंधी महाद्वीपीय सीमा सहित) पर उत्पाद शुल्क के रूप में समय–समय पर लागू की गई/ संशोधित की गई। एनईएलपी ब्लॉकों से उत्पादित कच्चे तेल पर किसी प्रकार का उपकर प्रयोज्य नहीं है। उपकर की दरें निम्नानुसार हैं : –

तिथि से प्रभावी	दर, प्रति टन
23 जुलाई, 1974	60 रुपए
13 जुलाई, 1981	100 रुपए
15 फ़रवरी, 1983	300 रुपए
1 मार्च, 1987	600 रुपए
1 फ़रवरी, 1989	900 रुपए
1 मार्च, 2002	1800 रुपए
1 मार्च, 2006	2500 रुपए
17 मार्च, 2012	4500 रुपए
1 मार्च 2016	20% यथा मूल्य

स्रोतः वित्त मंत्रालय

3.2 केन्द्रीय सरकार द्वारा जनहित में अप्रैल 2012 में उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के तहत अभिज्ञात 26 क्षेत्रों पर लागू 1800 रुपए प्रति टन उत्पाद शुल्क दर पर कच्चे तेल की उत्पाद शुल्क दर में 900 रुपए प्रति टन की छूट प्रदान की गई है।

3.3 तेल उद्योग (विकास) अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, उत्पाद–शुल्क की एकत्रित की गई आय को प्रथमतः भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। संसद द्वारा इस संदर्भ में किए गए समायोजनों के अनुसार यदि प्रावधान किए जाते हैं, तो केन्द्र सरकार इन प्राप्तियों में से संग्रहण कार्य पर हुए व्यय को घटाने के पश्चात, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उचित मानते हुए विशिष्ट रूप से उपयोग किए जाने के लिए उस धनराशि का समय समय पर बोर्ड को भुगतान कर सकती है।

3.4 अधिनियम की धारा 17 के तहत, केन्द्रीय सरकार, अनुदान अथवा ऋण के रूप में बोर्ड को ऐसी धनराशि का भुगतान भी कर सकती है, जिसका संसद द्वारा इस संदर्भ में यथोचित समायोजनों के अनुसार प्रावधान किया गया हो।

4 तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा प्राप्त निधियां

4.1 वर्ष 1974–75 में उपकर के रूप में उगाही गई 30.82 करोड़ रुपए की राशि वर्ष 2017–18 तक बढ़कर 14246.20 करोड़ रुपए हो गई। सरकार द्वारा कच्चे तेल पर एकत्रित उपकर का वर्ष 1974–75 से वर्षवार विवरण नीचे ग्राफ में दिया गया है।

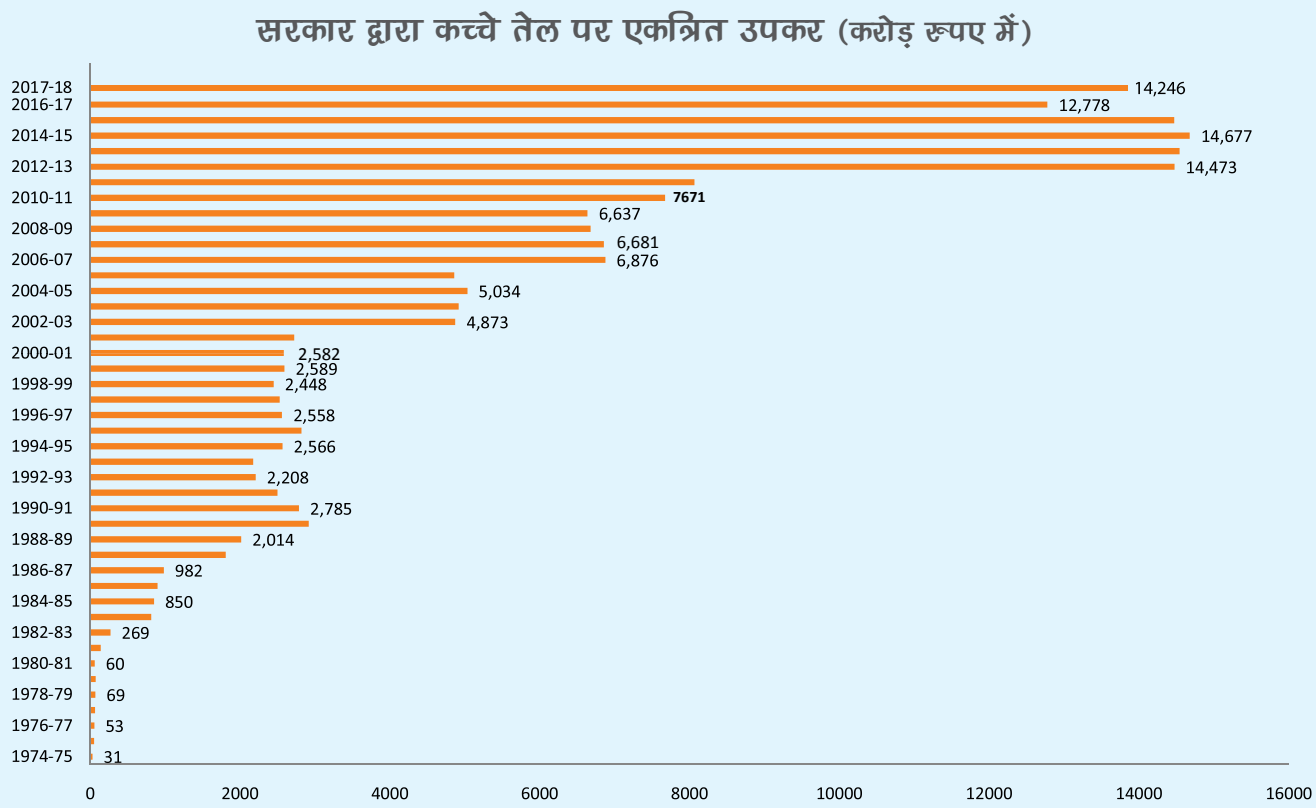

स्रोतः ओएनजीसी, ओआईएल तथा डीजीएच

4.2 केन्द्रीय सरकार ने इसकी स्थापना के पश्चात से उपकर के रूप में दिनांक 31 मार्च 2018 तक अनुमानतः 1,89,219.91 करोड़ रुपए की राशि एकत्र की है, तेउविबो को वर्ष 1991–92 तक 902.40 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। नीचे दिए गए ग्राफ में तेउविबो को दिए गए उपकर का वर्ष वार विवरण दिया गया है।

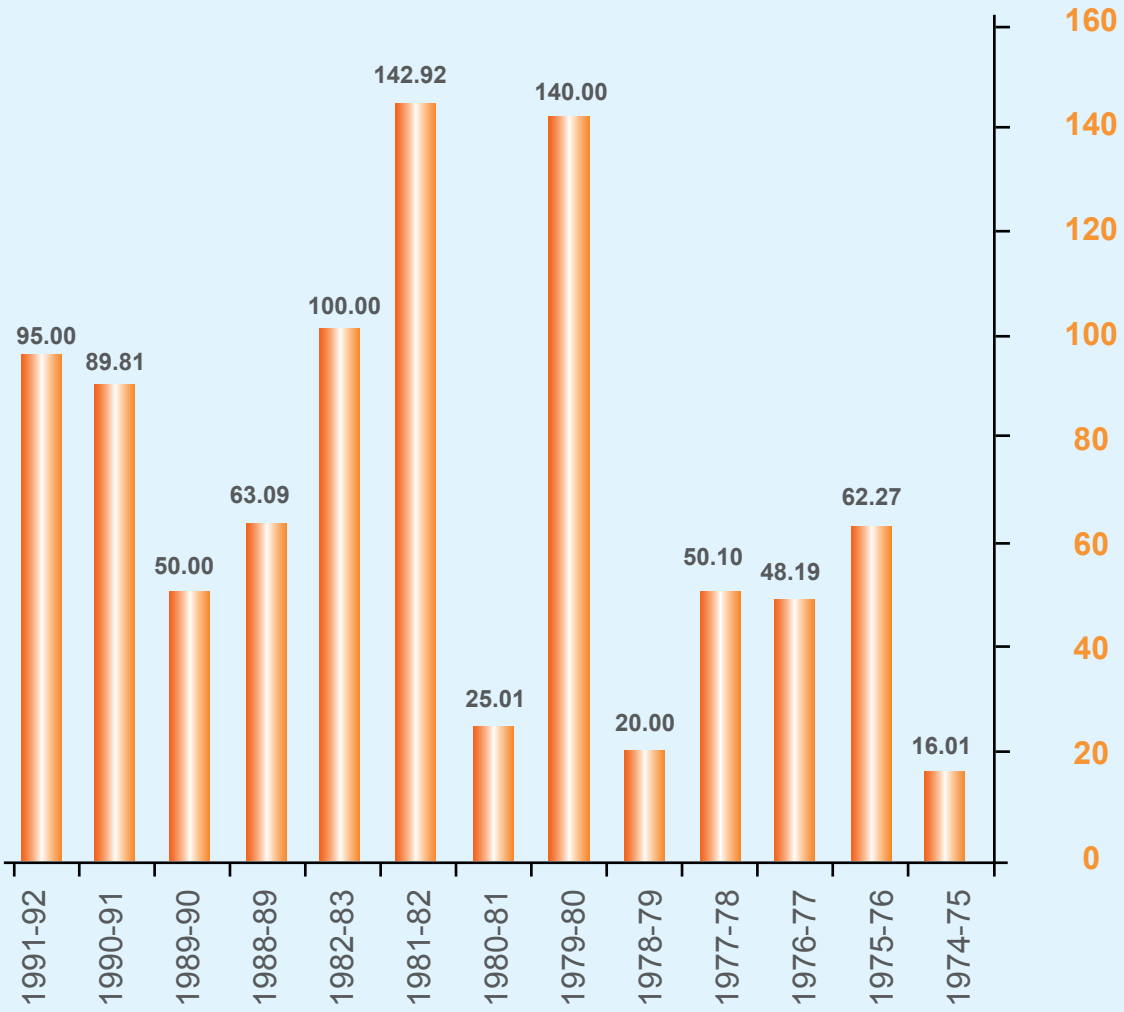

स्रोतः ओएनजीसी, ओआईएल तथा डीजीएच

4.3 तेउविबो द्वारा विभिन्न तेल क्षेत्र की कंपनियों को दिए गए ऋण तथा अतिरेक निधियों का सावधि जमा आय के रूप में अल्पकालीन निवेश करते हुए अपने स्वयं के आंतरिक संसाधनों का सृजन भी किया जाता है। उपकर आय और तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा आंतरिक संसाधनों से उत्पन्न योगदान से दिनांक 31 मार्च 2018 तक तेल उद्योग विकास कोष में 11,584.33 करोड़ रुपए संचित हो गए हैं।

अध्याय
2

वित्तीय सहायता : तेल कंपनियों को ऋण

1 तेउविबो अपने गठन के वर्ष 1974–75 से ही तेल क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियों को ऋण प्रदान कर रहा है। पिछले पांच वर्षों में वितरित ऋण औसतन 1346.32 करोड़ रूपये हो गया है। ऋण निधि का मुख्य उपयोग गैस और तेल पाइपलाइन परियोजनाओं, नई रिफाइनरियों के स्थापना, मौजूदा रिफाइनरियों के गुणवत्ता उन्नयन, सिंगल प्वांइट मूरिंग परियोजनाओं और शहरी गैस वितरण आदि परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है।

2. तेउविबो द्वारा वित्त वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक वितरित ऋण का विवरण नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:–

(रुपए करोड़ में)

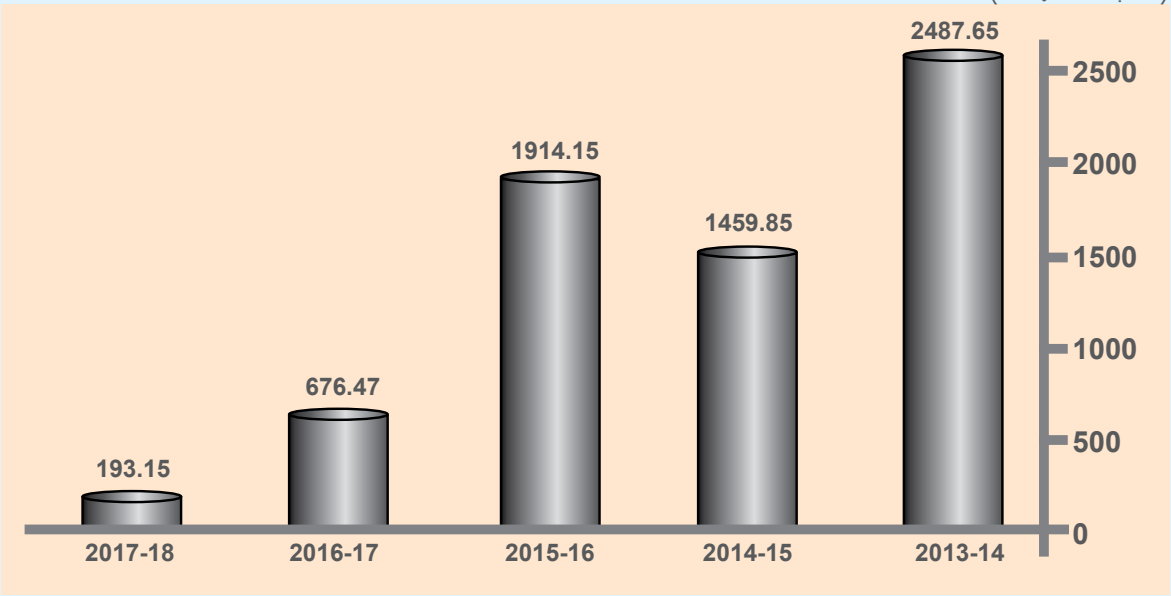

3. तेउविबो द्वारा वितरित ऋण से पिछले पांच वर्षों में तेल क्षेत्र की वित्तपोषित परियोजनाओं का कंपनी वार विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है।

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	तेल संस्थानों के नाम	वित्तीय वर्ष					
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	5 वर्षों का कुल योग
1	आईओसीएल	572.00	420.00	711.25	-	-	1703.25
2	बीपीसीएल	-	907.50	744.25	346.00		1997.75
3	गेल	975.00	-	-	-	-	975.00
4	एचपीसीएल	138.00	120.00	124.75	-	-	382.75
5	बीसीपीएल	435.00	-	298.00	243.12	157.58	1133.70
6	एमआरपीएल	300.00	-	-	-	-	300.00
7	गेल गैस लिमिटेड	25.65	12.35	24.23	87.35	35.57	185.15
8	एनआरएल	42.00	-	-	-	-	42.00
9.	बीको लॉरी लिमिटेड	-	-	12.00	-	-	12.00
	कुल	**2487.65**	**1459.85**	**1914.48**	**676.47**	**193.15**	**6731.60**

4. गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल), इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), ब्रह्मपुत्र क्रेकर पोलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) और मंगलौर रिफाईनरी एंड पेट्रोकैमिकल लिमिटेड (एमआरपीएल) वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक की अवधि में तेउविबो से ऋण प्राप्त करने वाले मुख्य लाभार्थी हैं। नीचे ग्राफ में वर्ष 2013–14 से 2017–18 के दौरान वितरित ऋण का संगठनवार विवरण दिया गया है।

वित्त वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक प्रतिशत में ऋण संवितरण के मुख्य लाभार्थी

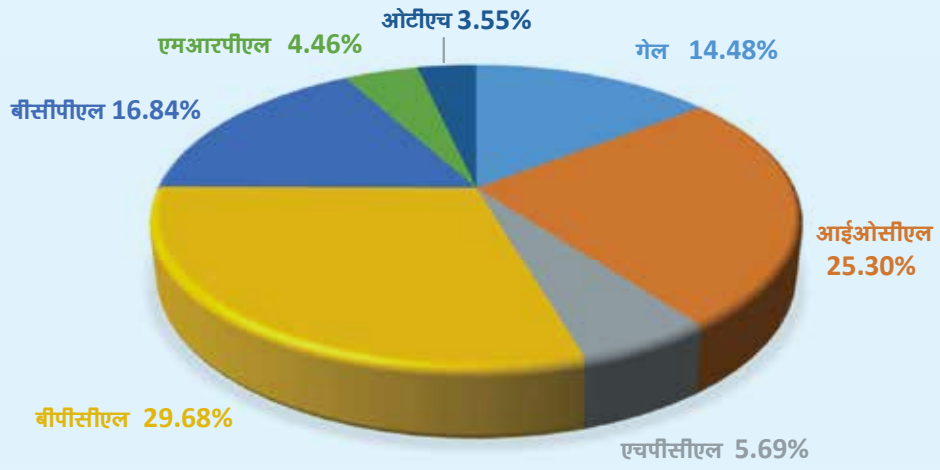

5. **31 मार्च 2018 तक, रूपये 3995 करोड़ रूपये का बकाया ऋण है। जिसका संगठन वार ब्यौरा निम्नानुसार हैं:**

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	तेल संस्थानों के नाम	राशि
1	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	886.44
2	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	1357.92
3	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	188.06
4	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पोलिमर लिमिटेड	1321.87
5	मंगलौर रिफाईनरी एंड पेट्रोकैमिकल लिमिटेड	75.00
6	गेल गैस लिमिटेड	153.68
7	बीको लॉरी लिमिटेड	12.00
	कुल	3995.00

6. **वर्ष 2017–18 के दौरान वितरित ऋण का ब्यौरा निम्नानुसार है:–**

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं0	तेल संस्थानों के नाम	राशि
1	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पोलिमर लिमिटेड	157.58
2	गेल गैस लिमिटेड	35.57
	कुल	193.15

7.0 वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा वित पोषित परियोजनाएँ

7.1 ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पोलिमर लिमिटेड (बीपीसीएल)

असम गैस क्रेकर परियोजना (एजीसीपी), ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) की ऐतिहासिक असम समझौते का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिसे लेपेटकटा, जिला डिब्रगढ़ में स्थापित किया गया। इस परियोजना में एक क्रैकर ईकाई, डाउन स्ट्रीम पॉलीमर ईकाई, एकीकृत ऑफ साइट और उपयोगिता संयत्र सम्मिलित हैं। परिसर में प्राकृतिक गैस और नाफ़था फीड स्टॉक के साथ 220,000 टन प्रतिवर्ष (टीपीए) पॉलीएथिलीन तथा 60,000 टन प्रति वर्ष (टीपीए) की पालीपरोपिलीन तथा अन्य उत्पादों की क्षमता है। पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की पहली पेट्रो रसायन परिसर परियोजना है जिसमें भारत सरकार की पूंजीगत सहायता, गेल, ओआईएल, एनआरएल और असम सरकार की इक्विटी तथा तेउविबो और एसबीआई की ऋण सहायता शामिल है।

परियोजना की संशोधित लागत 9,965 करोड़ रूपये की भारत सरकार ने दिनांक 6.7.2016 को मंजूरी दी। परियोजना 2.1.2016 को पूरी हुई और दिनांक 5.2.2016 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लेपेटकटा में आयोजित भव्य समारोह में इसे राष्ट्र को समर्पित किया।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में संयंत्र प्रचालन की औसत उपयोग क्षमता लगभग 78% (2016–17 में 37%) रही और अगस्त 2017 और मार्च 2018 के महीने में संयंत्र की औसत उपयोग क्षमता 100% से अधिक हो गई। वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंत तक संयंत्र ने 3,15,458 मीट्रिक टन पॉलिमर का उत्पादन किया ओर 29,25,10 एमटी पॉलिमर बेचा। बीपीसीएल के उत्पादन बाजार में अच्छी तरह से स्वीकार कर लिए गए हैं।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, तेउविबो ने 1,57.58 करोड़ रूपये का ऋण दिया और इस राशि का उपयोग इस परियोजना के कार्यान्वयन में जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया। 31.3.2018 तक, तेउविबो ने कुल 1710.70 करोड रूपये का ऋण जारी किया और यह परियोजना का प्रमुख स्टेकहोल्डर है।

बीपीसीएल पेट्रो रसायन परिसर का ऊपर से दृश्य

7.2. गेल गैस लिमिटेड

गेल गैस लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है, जिसका गठन देश भर की शहरी गैस वितरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया गया था। पिछले कुछ वर्षो में कंपनी के संचालन के पैमाने और दायरे में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान कंपनी ने उच्चकोटि का प्रदर्शन और विकास का प्रदर्शन किया। कर पश्चात लाभ (पीएटी) 24.19% बजट वित्त वर्ष 2016–17 में 65.02 करोड़ रूपये से वित्त वर्ष 2017–18 में 80.75 करोड़ रूपये हो गया। कंपनी ने गत वित्त वर्ष में घरेलू कनेक्शन में और अधिक क्षेत्रों को शामिल करने के लक्ष्य द्वारा अपने पाइपलाइन नेटवर्क (स्टील और एमडीपीई) को 1567 किलोमीटर से बढाकर 2362 किलोमीटर कर लिया है।

वर्ष के दौरान, गेल गैस ने अपने सीएनजी बुनियादी ढ़ांचे का विस्तार किया और 20 सीएनजी स्टेशनों का प्रचालन शुरू किया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मार्च 2018 तक कंपनी के पास अधिकृत भौगोलिग क्षेत्र में कुल 78,000 पीएनजी कनैक्शन हैं। घरेलू क्षेत्र के निजी ग्राहकों में पीएनजी पंजीकरण बढ़ाने के लिए एक प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई। कंपनी ने एक संभावित विकास क्षेत्र के रूप में पीएनजी के औद्योगिकी व वाणिज्यिक खंड पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। संकेन्द्रित प्रयासों की वजह से औद्योगिक और वाणिज्यक ग्राहकों की संख्या वित्त वर्ष 2016–17 में 580 से बढ़कर वित्त वर्ष 2017–18 में 703 हो गई।

कंपनी ने प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए कई आई.टी. शुरूआत की हैं और उपभोक्ता मैत्रीपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को अपनाया है।

तेउविबो ने गेल गैस कंपनी लिमिटेड के बैंगलूर सिटी गैस वितरण परियोजना के लिए वर्ष 2017–18 में 35.57 करोड़ रूपये जारी किए।

अध्याय
3

वित्तीय सहायता : नियमित अनुदानग्राही संगठनों को अनुदान

1 अपने उद्देश्य के अनुसरण में तेल उद्योग विकास बोर्ड अनुदान के रूप में तेल क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है! इन अनुदानों में पांच नियमित अनुदानग्राही संस्थानों जैसे कि – हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच), तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी), उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी), पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) और पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) को अनुदान शामिल है।

2. नियमित अनुदानग्राही संस्थानों को अनुदान के अलावा तेउविबो तेल और गैस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए भी अनुदान देता है। साथ ही तेउविबो विश्व स्तरीय शिक्षा, प्रशिक्षण और पेट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने हेतु राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) की सिवानगर, असम और जियास, रायबरेली में चल रही परियोजनाओं को अनुदान देता है।

3. वर्ष 1975–76 से 31.3.2018 तक तेल उद्योग विकास बोर्ड ने कुल 3499.66 करोड़ रूपए का समेकित अनुदान दिया। वर्ष 2017–18 के दौरान कुल 315.52 करोड़ रूपए का अनुदान जारी किया गया। जिसमें से 303.23 करोड़ रूपए नियमित अनुदानग्राही संस्थाओं को वितरित किया गया।

4. नियमित अनुदान ग्राही संस्थानों को पिछले पांच वर्षों में वितरित किए गए अनुदान का विवरण निम्नानुसार हैं:

(रुपए करोड़ में)

संस्थान	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	योग
डीजीएच	39.62	137.95	121.51	121.53	189.50	610.11
पीसीआरए	41.54	40.86	41.13	41.25	43.88	208.66
सीएचटी	18.45	10.38	19.59	19.82	32.12	100.36
पीपीएसी	14.36	14.83	17.77	20.82	21.34	89.12
ओआईएसडी	13.74	16.25	15.05	16.06	16.39	77.49
कुल	127.71	220.27	215.05	219.48	303.23	1085.74

5. वर्ष 2016–17 की तुलना में वर्ष 2017–18 में अनुदान की स्थिति निम्नलिखित ग्राफ में दर्शायी गयी है।

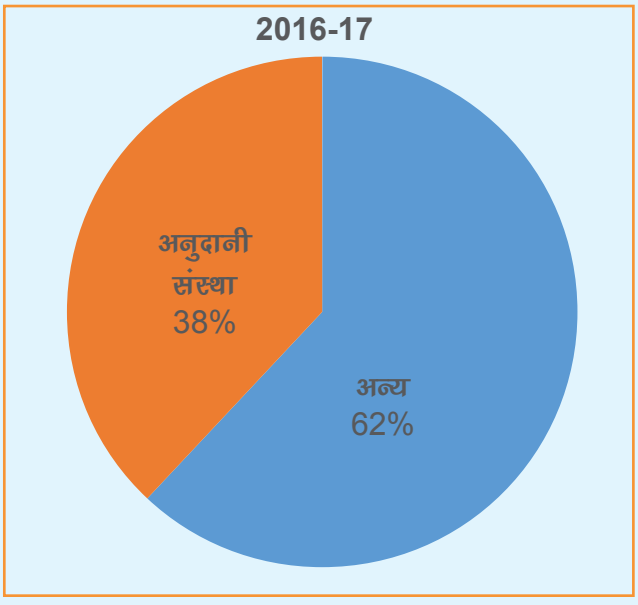

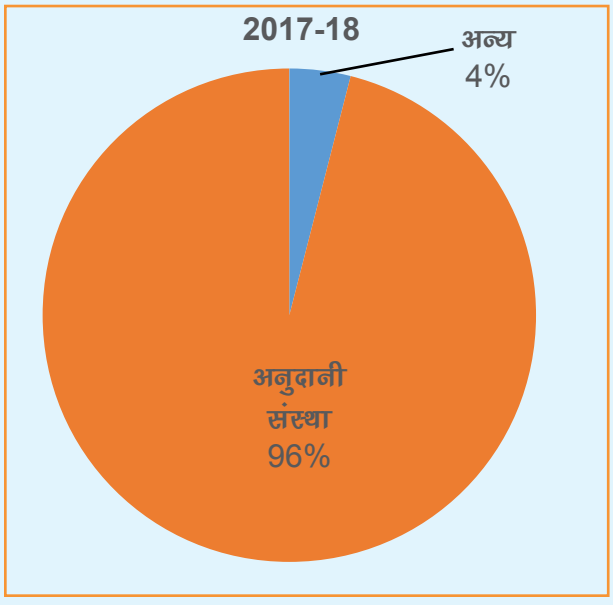

6.1 हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच)

हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) की स्थापना 1993 में सरकारी संकल्प द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन की गई थी। डीजीएच की स्थापना का उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा और पेट्रोलियम कार्यकलापों के तकनीकी और आर्थिक पहलुओं के बीच संतुलन कायम रखते हुए तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों के सुदृढ़ प्रबंधन को बढ़ावा देना है। डीजीएच को प्रमुख क्षेत्रों के आगार (रिजर्वायर) निष्पादन की समीक्षा करने सहित खोजे गए क्षेत्रों व अन्वेषण ब्लॉकों के लिए उत्पागदन भागीदारी संविदाओं, अन्वेषिण एवं उत्पादन संबंधी गतिविधियों में निवेश को प्रोत्साहन देने, अन्वेषण एवं उत्पादन कार्यकलापों की निगरानी से संबंधित कुछ अतिरिक्ति जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। इसके अलावा, डीजीएच भावी खोज और अन्वेषण के लिए नए/गैर–अन्वेषित क्षेत्र खोजने संबंधी तथा गैर–पारंपरिक हाइड्रोकार्बन ऊर्जा स्रोतों का विकास करने संबंधी कार्य कर रहा है।

डीजीएच 100% से तेल उद्योग विकास बोर्ड (तेउविबो) द्वारा वित्त–पोषित है। वर्ष 2017–18 के दौरान, तेउविबो ने डीजीएच को 189.50 लाख रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया।

वर्ष 2017–18 के दौरान डीजीएच द्वारा निम्नलिखित प्रमुख कार्यकलाप निष्पादित किए गए:

6.1.1 ओपन एकरिज लाइसेंस (ओ.ए.एल.पी.) कार्यक्रम

भारत सरकार ने 30 मार्च 2016 को हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंस नीति (हेल्प) के लिए कैबिनेट द्वारा यथा अनुमोदित केंद्र सरकार की नीति अधिसूचना जारी की थी जिसमें यह उल्लिखित है कि ब्लॉकों की नीलामी अंत्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली (आई.सी.बी.) के माध्यम से की जाएगी और डी.जी.एच. से इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। तदोपरांत, सचिवों की अधिकृत समिति (ई.सी.एस.) की बैठक 24 जून 2017 को आयोजित की गई जिसमें ई.सी.एस. ने मॉडल राजस्व भागीदारी संविदा, मॉडल सर्वेक्षण संविदा, ओपन एकरिज लाइसेंस (ओ.ए.एल.पी.) का प्रचालन और भावी बोली राउंड के लिए सूचना आमंत्रण प्रस्ताव के प्रारूप को अनुमोदित किया। ओ.ए.एल.पी. के छमाही चक्र के लिए प्रतिवर्ष 15 नवंबर और 15 मई की घोषणा की गई।

ओ.ए.एल.पी. की प्रक्रिया 01 जुलाई 2017 से प्रारंभ हुई और 15 नवंबर 2017 तक प्राप्त सत्तावन (57) अभिरुचि की अभिव्यक्तियों (ई.ओ.आई.) में से पचपन (55) अभिरुचि की अभिव्यक्तियों को अनुमोदित किया गया। 11 जनवरी 2018 को हुई ई.सी.एस. की बैठक में अंत्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के लिए 55 ब्लॉकों को अनुमोदित किया गया है। ओ.ए.एल.पी. राउंड 18 जनवरी 2018 को शुरू किया गया जिसमें 10 अवसादी बेसिनों में 55 ब्लॉकों का प्रस्ताव रखा गया। इन 55 ब्लॉकों का कुल क्षेत्र 59,282 वर्ग किलोमीटर बेसिनों में फैला हुआ है और 55 ब्लॉकों का क्षेत्र अन्वेषण और उत्पादन के लिए 46 भूमि पर (ऑनलैंड), 8 उथले पानी और 1 गहरे पानी वाले क्षेत्र हैं।

इस बोली राउंड में कुल 110 ऑनलाइन बोलियाँ थीं जिसमें 51 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और 59 भारतीय निजी कंपनियों से थीं। इनमें से 92 बोलियाँ तटीय ब्लॉकों के लिए और 18 अपतटीय ब्लॉकों की थीं जिसका औसत 2 बोली प्रति ब्लॉक है।

6.1.2 नई अन्वेषण लाइसेंस नीति का कार्यान्वयन (एनईएलपी)

अब तक, नेल्प के नौ चरण (राउंड) संपन्न हो चुके हैं तथा अन्वेषण और उत्पादन के लिए 254 ब्लॉक सौंपे गए हैं। ये तटीय (111), उथले पानी (62) और गहरे पानी (81) ब्लॉक से हैं। 254 ब्लॉकों में से वर्तमान में 60 ब्लॉक परिचालन कर रहे हैं, 6 अन्वेषण ब्लॉकों में पीईएल (पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस) की प्रतीक्षा है और 142 ब्लॉकों को वापस ले लिया गया है तथा अन्य 46 ब्लॉकों को वापस लेने का प्रस्ताव किया गया है।

नेल्प के अंतर्गत 55 ब्लॉकों में कुल 162 तेल और गैस खोजें की गई जिसमें वर्ष 2017–18 के दौरान, 2 ब्लॉकों में 2 तेल खोजें शामिल हैं। हैं। वर्तमान में, कुल 39 नेल्प खोजें विकास की राह पर हैं और 29 नेल्प खोजों से उत्पादन हो रहा है।

6.1.3 उत्पादन भागीदारी संविदाओं की निगरानीः

भारत सरकार ने खोजे गए क्षेत्रों, 33 सीबीएम ब्लॉकों, नेल्प–पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत 28 अन्वेषण ब्लॉकों तथा नेल्प व्यवस्था के अंतर्गत 254 ब्लॉकों की 28 संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। डीजीएच प्रत्येक ब्लॉक/क्षेत्र के लिए स्थापित प्रबंधन समितियों के माध्यम से भारत सरकार की ओर से इन उत्पादन भागीदारी संविदाओं के प्रबंधन के निष्पादन की निगरानी करता है। इसमें वार्षिक कार्य कार्यक्रम, परियोजना निगरानी, भंडार और उत्पादन प्रोफाइल की बारीकी से समीक्षा और विकास योजना, बजट और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा और अनुमोदन भी शामिल है।

वर्ष 2017–18 के दौरान, पीएससी व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्रों/ब्लॉकों ने 10.06 एमएमटी तेल, 5.60 बीसीएम प्राकृतिक गैस और 0.73 बीसीएम सी.बी.एम. गैस का उत्पादन किया है।

6.1.4 भौमिकीय डेटा अधिग्रहण

क. भारतीय अवसादी बेसिनों में हाइड्रोकार्बन के लिए भौमिकीय डेटा जेनरेट करने की नीतिः

भूकंपीय (साइज्मिक) सर्वेक्षण एक महंगी प्रक्रिया है विशेषतः अपतटीय क्षेत्रों में। गैर– अपवर्जक (नॉन एक्सक्लूसिव) बहु–ग्राहकीय भौमिकीय सर्वेक्षण, एक विशिष्ट व्यवसाय योजना है जिसमें सरकार पर बिना किसी वित्तीय भार के क्षेत्र का मूल्यांकन किया जा सकता है।

बहु–ग्राहकीय भौमिकीय डेटा अधिग्रहण नीति के अंतर्गत पश्चिमी तटीय – कच्छ, सौराष्ट्र और मुंबई बेसिनों में सी.एस.ई.एम. का 310.5 एलकेएम डेटा प्राप्त और प्रोसेस किया गया है।

ख. भूमि (ऑनलैंड) पर भारतीय अवसादी बेसिनों के ''मूल्यांकित किए जाने वाले क्षेत्रों'' में 2डी भूकंपीय सर्वेक्षणः

ओएनजीसी और ओआईएल को राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम के तहत 2डी भूकंपीय डेटा अधिग्रहण का कार्य सौंपा गया है।

ओआईएल ने भारत के उत्तर–पश्चिम भाग में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम में डेटा अधिग्रहण करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है और वित्त वर्ष 2017–18 में नागालैंड को छोड़कर शेष राज्यों से 1514.28 एलकेएम भूकंपीय डेटा का अधिग्रहण कर लिया है।

ओएनजीसी ने सितंबर 2016 में 2डी भूकंपीय डेटा अधिग्रहण कार्य प्रारंभ किया। वित्त वर्ष 2017–18 में सौराष्ट्र, कैम्बे, राजस्थान कच्छ, महानदी बंगाल, डेकन सिंक्लाइस नार्थ, विंध्यान नर्मदा क्षेत्रों में 14620.98 एलकेएम भूकंपीय डेटा अधिग्रहित किया है। अन्य क्षेत्रों में भी अधिग्रहण का कार्य शीघ्र शुरू होने की संभावना है।

6.1.5 क्षेत्र विकास, आगार और उत्पादन संबंधी निगरानी

उत्पादन भागीदारी संविदाओं (पीएससी) की व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के विकास की संबंधी गतिविधियों की निगरानी की गई और आगार (रिजर्वायर) निष्पादन निगरानी के संदर्भ में अन्वेषण ब्लॉकों में कार्यकलापों, खोज की समीक्षा, संभावित वाणिज्यिक हित, वाणिज्यत्व की घोषणा और क्षेत्र विकास योजना (एफडीपी) आदि संबंधी कार्यकलाप भी किए गए थे।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, पीएससी और आरएससी व्यवस्था के अंतर्गत 9 खोजों की 6 डीओसी तथा 29 खोजों की 19 एफडीपी को अनुमोदित किया गया।

6.1.6 राष्ट्रीय डेटा रेपॉजिटरी (एनडीआर) :

(i) एनडीआर परियोजना का संचालन चरण 2016 में शुरू हुआ था, जिसमें कूपों के डेटा दर्ज किए जा रहे हैं और इन्हें साझा करने का कार्य किया जा रहा है।

(ii) दिनांक 31.03.2018 को कुल 18.02 लाख एलकेएम 2डी भूकंपीय डेटा और 6.51 लाख एसकेएम 3डी भूकंपीय डेटा तथा 14,415 कूपों के डेटा को एनडीआर में दर्ज किया गया है।

(iii) एसडीसी (सुरक्षित डेटा केन्द्र) को भुवनेश्वर में स्थानांतरित किया गया है।

6.1.7 राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी) :

राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है और तकनीकी रूप से समन्वयन का कार्य हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) द्वारा किया जाता है।

एनजीएचपी अभियान–2 का उद्देश्य भारत के पूर्वी तट पर कृष्णा–गोदावरी और महानदी गहरे पानी बेसिनों पर गैस हाइड्रेट स्थित वाले क्षेत्रों में रेत बहुल जमा प्रणालियों की पहचान करना था। एनजीएचपी अभियान–2, 03 मार्च 2015 को शुरू हुआ और डीजीएच/ओएनजीसी कार्मिकों की उपस्थिति में कृष्णा–गोदावरी और महानदी बेसिनों के गहरे पानी में गैस हाइड्रेट नमूने और संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए जापान की ड्रिलशिप 'चिक्यू' स्थापित किया गया। एनजीएचपी अभियान–2 में कुल 42 कूपों को वेधित और कोर किया गया। एनजीएचपी अभियान–2 का कार्य 28 जुलाई 2015 को पूरा हुआ।

एनजीएचपी अभियान–2 ने अपतटीय कृष्णा–गोदावरी बेसिन में गैस–हाइड्रेट धारित रेत आगार प्रणाली की खोज की। महानदी गहरे पानी वाले बेसिन गैस हाइड्रेट रहित निकले। कृष्णा– गोदावरी बेसिन में दो सुस्पष्ट भंडारों में गैस हाइड्रेट होने की पहचान की गई।

एनजीएचपी अभियान–2 के परिणाम उत्साहवर्धक हैं और समुद्री तल और कूप वेधन स्थिरता के लिए संसाधनों की संभाविता के मूल्यांकन, आगार–विशिष्टताओं आगार–चित्रण और भू–मैकेनिकल मॉडलिंग परीक्षण के लिए प्रायोगिक (पायलट) उत्पादन हेतु स्थलों की पहचान के लिए और अधिक अध्ययन किये जाने की योजना बनाई गई है। केजी गहरे अपतटीय क्षेत्र 'बी और सी' गैस हाइड्रेट संचयन एनजीएचपी अभियान–3 के तहत गैस हाइड्रेट उत्पादन परीक्षण के लिए उपयुक्त स्थल हो सकते हैं।

इस समय, सभी डेटा का मुख्यतः संयोजन तथा प्रतिपादन प्रायोगिक (पायलट) उत्पादन परीक्षण के लिए स्थलों की पहचान के लिए किया जा रहा है। एनजीएचपी अभियान–3 का उद्देश्य एनजीएचपी अभियान–2 के दौरान पहचान किए गए उपयुक्त स्थल पर प्रायोगिक उत्पादन परीक्षण करना है।

6.1.8 कोल बेड मीथेन (सीबीएम) :

सीबीएम का उत्पादन लगभग 2.01 एमएमएससीएमडी है जो वित्त वर्ष 2017–18 में देश के कुल प्राकृतिक गैस उत्पादन का लगभग 11.6% है। देश में सीबीएम उत्पादन को बढ़ाने के लिए, सीबीएम नीति के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए दिनांक 11.04.2017 को एक सीबीएम नीति अधिसूचित की गई है। इस नीति में सीबीएम संविदाकारों को विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है ताकि देश में सीबीएम उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन मिल सके। नीति का मूल उद्देश्य ''व्यापार करने में आसानी'' और ''अधिकतम सुशासन और न्यूनतम नियंत्रण'' को बढ़ावा देना है ताकि कड़े अनुबंध प्रावधानों में छूट देकर सीबीएम के ईएंडपी में आगे निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान दिया जा सके।

6.1.9 खोजे गए लघु क्षेत्र बोली राउंड (डीएसएफ) :

खोजे गए लघु क्षेत्र (डीएसएफ) बोली राउंड –2016 के अंतर्गत तीस (30) राजस्व भागीदारी संविदा (आरएससी)

पर 27 मार्च 2017 को हस्ताक्षर किए गए थे। इन प्रदत्त संविदा क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन संसाधन 61.5 एमएमटी (ओ+ओआइजी) है जिन्हें संविदागत समयसीमा, पेट्रोलियम खनन पट्टे प्रदान करने की तारीख से तटीय क्षेत्र में 3 वर्ष (अर्थात् 2021–22) और अपतटीय क्षेत्रों में 4 वर्ष (2022–23) के अनुसार उत्पादन के लिए दिया जाएगा है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने खोजे गए लघु क्षेत्र बोली राउंड–II प्रारंभ किया है जिसमें 25 संविदा क्षेत्र (59 फील्ड) प्रस्तावित हैं। इन क्षेत्रों में 190 एमएमटी (ओ+ओआइजी) और 3042 एसकेएम हाइड्रोकार्बन संसाधन हैं। समयसीमा के अनुसार बोली राउंड दिसंबर 2018 में समाप्त हो जाएगा और 2019 के प्रारंभ में संविदा पर हस्ताक्षर होंगे।

6.1.10 हाइड्रोकार्बन संसाधन मूल्याकंन परियोजना :

26 अवसादी बेसिनों के, गहरे पानी के क्षेत्रों सहित हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पुनः मूल्यांकन कार्य सौंपने की तारीख से 27 महीनों के अंदर समाप्त कर दिया गया था, नवंबर 2017 तक हाल ही में पूरे हुए अध्ययन के अनुसार, देश में पूर्वानुमानित पारंपरिक हाइड्रोकार्बन संसाधनों का प्राक्कलन 41.87 बिलियन टन तेल और गैस समतुल्य तेल है जो पहले के प्राक्कलन से 49 प्रतिशत अधिक है। इसमें से हमने 12.01 बिलियन टन (तेल और गैस समतुल्य तेल) की खोज की है अर्थात् कुल का 29 प्रतिशत। लगभग 71 प्रतिशत संसाधनों की श्रेणी का पता लगाया जाना है जिसकी खोज, अधिक गहन और सटीक अन्वेषण गतिविधियों द्वारा की जानी है।

6.1.11 राष्ट्रीय कोर रेपॉजिटरी (एनसीआर) की स्थापना :

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने दिनांक 08.08.2017 के आदेश के तहत निम्नलिखित के लिए सैद्धांतिक रूप से सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्रदान किया है:–

क. गांधीनगर, गुजरात में एनसीआर स्थापित करना
ख. राष्ट्रीय तेल कंपनियों की मुख्य कोर प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय संपदा घोषित करना
ग. ऐसी सभी प्रयोगशालाओं के पूर्णतः प्रचालन तक एनसीआर का डीजीएच के अधीन कार्य करना
घ. प्रयोगशालाओं के प्रबंधन और पहुँच संबंधी प्रचालन दिशा–निर्देश डीजीएच द्वारा जारी करना
ङ. डीजीएच द्वारा परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) नियुक्त करना

6.1.12 अनिवार्यता प्रमाण पत्र :

वर्ष 2017–18 के दौरान डीजीएच ने कुल 8446 अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी किए, जिनका भारतीय सीआईएफ मूल्य 28236.44 करोड़ रूपये है।

6.2. पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए)

पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ 1978 में भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत स्थापित एक पंजीकृत संस्था है। पीसीआरए एक राष्ट्रीय सरकारी संस्था है जो पेट्रोलियम उत्पादों और उत्सर्जन में कमी के महत्व, तरीकों और लाभ के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने का कार्य करती हैं। यह संबंधित क्षेत्रों में तेल और गैस के संरक्षण के लिए उन्नत टेक्नालॉजी, प्रक्रियाओं तथा उत्पादन के विकास व प्रदर्शन के लिए आर एंड डी प्रोजेक्ट को प्रायोजित करता है। अपने काम के लिए, पीसीआरए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थानों और प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक संस्थानों, उपभोक्ता संघो और अन्य संगठनों की मदद लेता है। यह देश में तेल एवं गैस की आवश्यकता की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से पेट्रोलियम संरक्षण की नीतियों और योजनाओं को प्रस्तावित करने में सरकार की मदद करता है।

वर्ष 2017–18 के दौरान तेउविबो द्वारा पीसीआरए को प्रशासनिक व्यय एवं गतिविधियों के लिए 43.88 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2017–18 के दौरान पीसीआरए द्वारा की गई गतिविधियों की एक झलक नीचे दी गई है:

6.2.1. क्षेत्रीय गतिविधियां:

क्षेत्रीय गतिविधियों का संचालन पीसीआरए के मुख्य कार्यों में से एक है। पीसीआरए के अभियंता और इसके सूचीबद्ध विशेषज्ञ विभिन्न सेक्टर में क्षेत्रीय गतिविधि के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों के साथ लक्षित समूहों तक पहुंचता है। ये गतिविधियां हमारे देश के विभिन्न क्षेत्र जैसे उद्योग, परिवहन, घरेलू, कृषि और वाणिज्यिक क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक प्रोफाइल के बड़े स्पैक्ट्रम को कवर करने के लिए बनाई गई है। 2017–18 के दौरान, लक्ष्यों को एक सुनियोजित क्रम में तय किया गया जिसके अंतर्गत ईंधन संरक्षण संबंधित इन कार्यक्रमों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए पूरे देश में कुल 17097 क्षेत्रीय गतिविधियों का आयोजन किया गया हैं।

6.2.2 पी.ए.टी योजना के अंतर्गत ऊर्जा ऑडिट के माध्यम से उद्योगों के लिए ऊर्जा दक्षता पर कार्यक्रम:

क्षेत्रीय गतिविधियों के अलावा, पीसीआरए पीएटी योजना के तहत आयोजित ऊर्जा दक्षता अध्ययन के माध्यम से उद्योगों के लिए ऊर्जा खपत को कम करने में उनकी मदद कर रहा है। पी.ए.टी. योजना 2017–18 के दौरान पी.ए.टी.–II के अंतर्गत 12 पी.एस.यू. रिफाइनरी तथा एक ज्वाइंट सैक्टर रिफाइनरी (आई.ओ.सी.एल.–हल्दिया, कोयली, पानीपत, मथुरा, बरौनी, बोंगईगांव रिफाइनरी, एच.पी.सी.एल.–मुंबई, विशाखापत्तनम रिफाइनरी, बी.पी.सी.एल. मुंबई रिफाइनरी, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत एवं ओमान रिफाइनरी लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी एवं पेट्रो कैमिकल लिमिटेड और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड) का तय समय के अंदर लेखा परीक्षण हो चुका था। इन लेखा परीक्षणों के माध्यम से 2017–18 में रिफाइनरी क्षेत्र के 1.84 लाख टन समकक्ष तेल की बचत के रुप में पहचान की गई।

6.2.3 आई.एस.ओ. 50001:2011 ऊर्जा मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सलाहकार नियुक्त:

पीसीआरए आईएसओ 50001 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 50001:2011 ईएनएमएस लेखा परीक्षकों के माध्यम से कार्यान्वयन सलाहकार के रुप में भी काम कर रहा है, जो अलग–अलग क्षमताओं में औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता अध्ययन से जुड़े हुए हैं। 2017–18 के दौरान पीसीआरए ने आई.एस.ओ 50001:2011 के तहत तेल प्लांट, गैस टर्मिनल, भारी अभियंत्रण कम्पनी, एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लांट, तेल टर्मिनल और डेयरी फर्मों में 31 परीक्षणों को पूरा किया है।

6.2.4 भारी वाहनों (ट्रक और बस) के लिए ईंधन दक्षता मानदंड:

डीजल भारत में सबसे अधिक खपत किया जाने वाला पेट्रोलियम पदार्थ है। भारत में डीजल की जरुरत 2017–18 में 81.1 एम.एम.टी. से 2021–22 तक 110.8 एम.एम.टी. हो जाएगी। परिवहन क्षेत्र सबसे अधिक डीजल के उपयोग वाला क्षेत्र है और 70 प्रतिशत से अधिक डीजल की बिक्री इसी क्षेत्र में होती है। इसमे भी भारी क्षमता वाले वाहन (ट्रक व बस) परिवहन क्षेत्र के डीजल का लगभग 31 प्रतिशत खपत करते हैं। भारत में परिवहन क्षेत्र सबसे अधिक तेजी से विस्तार कर रहा है और यह पूरे विश्व के निर्माताओं को आकर्षित करने वाला क्षेत्र होगा। इससे तात्पर्य है कि परिवहन क्षेत्र सबसे अधिक ईंधन खपत करने वाला क्षेत्र है और इसकी मांग देश में और अधिक बढ़ेगी।

ईंधन के उपयोग को घटाने तथा ऊर्जा सुरक्षा के लिए ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारत में परिवहन क्षेत्र में भारी बड़े वाहन में ऊर्जा तथा ईंधन के क्षय को रोकने की क्षमता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित एक कमेटी ने एक योजना तैयार की है जो कि 12 जी.वी.डब्लू. से अधिक भारी वाहन (ट्रक और बसों) में इस्तेमाल होने वाली ईंधन क्षमता का निरीक्षण करेगीं। बी.ई.ई. द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के

तहत 17.8.2017 को कुछ मानदंड निर्धारित किए गये। इसके अनुसार, मानदंडों के प्रारंभ होने की तारीख से किसी भी वित्तीय वर्ष में, विशेष श्रेणी के प्रत्येक वाहन की ईंधन खपत उस श्रेणी के समीकरण से प्राप्त ईंधन खपत मूल्य से कम होगी, जैसा अधिसूचना में निर्दिष्ट है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय और राजमार्ग मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत बिजली संचालित मोटर वाहनों के परीक्षण और गणना पद्धतियां, रिपोर्टिंग, अनुपालन के परिणाम और समकक्ष वाहन क्रेडिट से संबंधित प्रावधानों के साथ मानदंडों को लागू करेगा।

6.2.5 अनुसंधान और विकासः

पीसीआरए ऊर्जा के अधिकतर उपयोग और कम कार्बन के उत्सर्जन हेतु अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को आरंभ और प्रायोजित करता है। पीसीआरए नये अनुसंधान एवं विकास पहलों, बेहतर प्रदर्शन और कार्यान्वयन, चिन्हित क्षेत्रों में तेल एवं गैस संरक्षण प्रक्रियाओं के क्षेत्र परीक्षण के सफल समापन के बाद प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से उपकरणों और प्रक्रियाओं के व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित करता है।

2017–18 में सफलतापूर्वक समाप्त परियोजनाएं:

1 रसोई के कचरे का उपयोग कर ठोस अवस्था किण्वन पर आधारित छत के ऊपर बायोमास संयंत्र का डिजाइन और विकास, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट (सीएमईआरआई) – सीओईएफएम, लुधियाना

2 विकसित पीएनजी घरेलू रसोई बर्नर का विकास,भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी), देहरादून

3 ईंधन तेल और गैस की बचत के लिए प्लास्टिक कचरे का थर्मल उपचार सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट (सीएमईआरआई), दुर्गापुर

4 भारत में उपयोग होने वाले दो पहिया वाहनों के लिए ईधन अर्थव्यवस्था और कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन के मध्य स्थिर सांख्यिकीय मॉडल का विकास, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी), देहरादून

5 भीकाजी कामा प्लेस चौराहे पर उपयुक्त राहत उपायों को नियोजित करने हेतु वाहनों की गतिविहीन चालन के दौरान ईधन की खपत और बचत का आकलन, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टिट्यूट (सीआरआरआई), दिल्ली

6 उत्तर पूर्व भारत में टंग बीज से बायोडीजल का उत्पादन – चरण–I, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट (सीएमईआरआई) – सीओईएफएम, लुधियाना

7 रिफाइनरी टैंक कीचड़ और एफ.सी.सी. उत्प्रेरक का मूल्यसिथरीकरण', (आंशिक समाप्ति) बीपीसीएल कॉर्पोरेट आर एंड डी सेंटर, ग्रेटर नोएडा

2017–18 के अंत में चल रही परियोजनाएं:

क्र. सं	परीक्षण का नाम	संस्थान
1.	एलपीजी घरेलू रसोई स्टोव की थर्मल दक्षता में सुधार	बीपीसीएल कॉर्पोरेट आर एंड डी सेंटर, ग्रेटर नोएडा
2.	भट्ठी ट्रॉलीस के विकास के लिए अत्यंत निम्न घनत्व वाले खनिज का विकास	सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीजीसीआरआई), खुर्जा
3.	कारपूल द्वारा कार्यालय जाने वालों का अध्ययन तथा इसके लाभ	सुविकास, सतत विकास के लिए संस्था
4.	लिग्नोसेल्युलोसिक बायोमास को जैव–मेथनॉल और मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलने के लिए एकीकृत प्रक्रिया	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली
5.	वाहन की ईंधन खपत पर सड़क की स्थिति का प्रभाव।	सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीआरआरआई), नई दिल्ली
6.	वायु–भाप गैसीफिकेशन के माध्यम से हाइड्रोजन संवर्धन द्वारा पूरक डाउन ड्राफ्ट बायोमास गैसीफायर सिस्टम का डिजाइन, विकास और परीक्षण।	एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टिट्यूट (टीईआरआई) यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली

6.2.6 शिक्षा अभियानः

शिक्षा अभियान का उद्देश्य ऊर्जा संसाधनों के कुशल उपयोग पर व्यापक जागरूकता पैदा करना और संचार के विभिन्न माध्यमों जैसे सोशल मीडिया साइट्स (फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब इत्यादि), प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया, कई प्रकार के जन जुड़ाव वाले आयोजनों जैसे आई.आई.टी.एफ., पेट्रोटेक तथा वाईब्रेंट गुजरात इत्यादि, मैगजीन में विज्ञापन, स्मारिका, तेल बचत से जुड़े मुद्रित साहित्य, राष्ट्रीय स्तर पर निबंध एवं पेंटिंग प्रतियोगिताएं इत्यादि के माध्यम से ईंधन संरक्षण का प्रचार प्रसार करना है। इसके अलावा पीसीआरए अभिनव जन जुड़ाव वाली गतिविधियों जैसे ईंधन संरक्षण से जुड़े कम्प्यूटर खेल, कल्पनाशीलता पर आधारित खेल इत्यादि को भी बढ़ावा देता है। ऊपर दिये गए क्षेत्रों के अतिरिक्त बच्चे तथा युवा जिनकी आबादी 40 प्रतिशत से अधिक हैं तथा जो देश का भविष्य हैं, उनको भी ऊर्जा क्षमता के उपयोग तथा उसे बचाने के लिए ऐसे लोगों को इसमें शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। पीसीआरए ने तेल विपणन कंपनियों के सक्रिय योगदान के साथ सफलतापूर्वक निबंध, चित्रकारी और प्रश्नोत्तरी श्रेणियों में सक्षम राष्ट्रीय प्रतियोगिता–2017 का आयोजन किया। देश भर में लगभग 31000 स्कूलों के लगभग 40 लाख छात्रों की भागीदारी दर्ज की गई।

6.2.7 प्रमुख अभियानों में भागीदारी

आईआईटीएफ 2017

पीसीआरए ने 14.11.2017 से 27.11.2017 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित आईआईटीएफ– 2017 में भाग लिया, इसमें पीसीआरए द्वारा की गई गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया और ईंधन संरक्षण के महत्व को जनता के बीच जागरूकता पैदा की गई। फेसबुक पर गतिविधियों का लाइव प्रसारण भी आयोजित किया गया। प्रदर्शनी और आभासी वास्तविकता खेलों की दर्शकों द्वारा सराहना की गई।

भोपाल में 44वें जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी 2017 में भागीदारीः

पीसीआरए ने 44वें जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी 2017 में भाग लिया, जिसे एनसीईआरटी द्वारा आयोजित किया गया। समारोह 10.11.2017 से 16.11.2017 तक भोपाल में आयोजित किया गया। सीबीएसई, केवी संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, परमाणु ऊर्जा विभाग आदि संस्थानों ने इस राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लिया। मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने पीसीआरए स्टॉल का दौरा किया और ईंधन संरक्षण के क्षेत्र में अपनी पहल के लिए पीसीआरए की सराहना की।

सक्षम 2018 का आयोजनः

पीसीआरए ने राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा जागरुकता अभियान चलाया, जिसे सक्षम (संरक्षण क्षमता महोत्सव) के नाम से, तेल और गैस कंपनियों के साथ मिलकर 16 जनवरी से चलाया गया। इस एक महीने के दौरान समाज के कई वर्गो जैसे छात्रों, युवाओं, किसान, गृहणियां, ड्राइवर तथा औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग आदि के मध्य पेट्रोलियम उत्पादों की बचत की आवश्यकता का प्रचार तथा प्रसार किया गया। 2018 के उद्घाटन समारोह का आयोजन सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में 16 जनवरी 2018 को हुआ था। इस अवसर पर काफी अधिक संख्या में छात्र, अध्यापक, पेट्रोलियम मंत्रालय के वरिश्ठ अधिकारी, तेल कंपनियों के अध्यक्ष और सीएमडी तथा मीडिया आदि मौजूद थे। सक्षम 2018 के दौरान मैगा मीडिया अभियान का सफलतापूर्वक आयोजन प्रसार भारती, एमएम और इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा किया गया। जिसके लिए एक डाक्यूमेंट्री, जिंगल और माननीय मंत्री (आईसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अपील को तैयार और इस्तेमाल किया गया।

साइकिल रैलियों का आयोजनः

माननीय प्रधान मंत्री ने नागरिकों को "मन की बात" कार्यक्रम में सप्ताह में एक दिन डीजल और पेट्रोल का उपयोग न करने के लिए आह्वान किया था। पीसीआरए ने दिल्ली, इंदौर, भुवनेश्वर और मुंबई में मेगा साइकिल रैलियों का आयोजन किया ताकि जीवाश्म ईंधन का उपभोग करने वाले अपने निजी वाहनों का उपयोग करने के बजाय स्थानीय बाजार, स्कूल/कॉलेज, कार्यालय जाने के लिए या छोटी दूरी की यात्रा के लिए साइकिल चलाने को प्रेरित हों।

मेगा मीडिया अभियानः

दूरदर्शन, आकाशवाणी, लोकसभा टी.वी, प्राइवेट एफ.एम चैनल, प्राइवेट टी.वी चैनल, और डिजिटल सिनेमा में ईंधन संरक्षण की आवश्यकता के बारे में लोगों को शिक्षित किया गया। माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा अपील देश भर में रेडियो चैनलों पर प्रसारित की गई थी। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात कृषि, घरेलू, औद्योगिक, परिवहन और वाणिज्यिक में पेट्रोलियम संरक्षण पर एनड्राइड एप्लिकेशन के जरिये सक्षम 2018 को समाचार चैनलों पर भी प्रसारित किया गया।

मुद्रित साहित्य के माध्यम से संरक्षण संदेशः

विभिन्न क्षेत्रों के लिए ईंधन संरक्षण से संबंधित साहित्य जैसे घरेलू, कृषि, औद्योगिक, परिवहन, मानक और लेबलिंग को तेल विपणन कंपनियों की रिफाइनरीज, कृषि विकास केंद्र इत्यादि को मुद्रित और वितरित किया गया था। हिंदी, अंग्रेजी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं में 20 विभिन्न प्रकार के मुद्रित साहित्य की कुल 21.73 लाख प्रतियां वर्ष 2017 में पूरे देश में वितरित की गईं।

मान्यताः

पीसीआरए द्वारा विकसित वृत चित्र जिसका ''विषय प्लास्टिक कचरे से प्लाज्मा पाइरोलिसिस के द्वारा ऊर्जा का संरक्षण'' था तथा जिसका चयन 8 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव गुवाहाटी में 20 से 24 फरवरी 2018 के बीच आयोजित हुआ था,ने प्रतिद्वंदी फिल्मों (जो कि सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओ द्वारा प्रायोजित थी)को पछाड़ते हुए श्रेणी 'ए' में ट्रॉफी तथा श्रेष्ठता प्रमाणपत्र हासिल किया।

6.3 उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीएचटी)

उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) 1987 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था और यह सरकार के वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए इस मंत्रालय के तकनीकी विंग के रूप में कार्य करता है। सीएचटी के प्रमुख कार्यों में प्रौद्योगिकी आवश्यकता, परिचालन प्रदर्शन, रिफाइनरियों के प्रचालनात्मक निष्पादन मूल्यांकन और सुधार शामिल है। सीएचटी केंद्रीकृत तकनीकी सहायता, ज्ञान प्रसार,

निष्पांदन आंकड़ा बेस, सूचना का आदान–प्रदान और अनुभव साझा करने के लिए तेल उद्योग के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। सीएचटी डाउनस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के वित्त–पोषण का समन्वय करता है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के ''हाइड्रोकार्बन पर वैज्ञानिक सलाहकार समिति'' के कार्यकलापों में सहयोग भी देता है।

वर्ष 2017–18 के दौरान तेउविबो द्वारा सीएचटी को प्रशासनिक व्यय एवं अन्य गतिविधियों के लिए 32.12 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2017–18 के दौरान पीसीआरए द्वारा की गई गतिविधियों की एक झलक नीचे दी गई है:

6.3.1 पीएसयू रिफाइनरियों की निष्पादन बेंचमार्किंग

मैसर्स सोलोमन एसोसिएट्स (एसए), अमेरिका के माध्यम से अध्ययन चक्र 2016 के लिए 15 पीएसयू रिफाइनरियों, 4 ल्यूब यूनिटों और 1 जेवी रिफाइनरी (बीओआरएल) का निष्पापदन बेंचमार्किंग सितंबर 2017 में पूरा किया गया। अध्ययन के निष्कर्षों को सभी सम्मिलित रिफाइनरियों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।

6.3.2. ऊर्जा दक्षता सुधार अध्ययन और निष्पादन लेखा-परीक्षा

12.9 करोड़ रुपए (एसटी/जीएसटी को छोड़कर) की लागत से ईआईएल द्वारा 15 पीएसयू रिफाइनरियों के ऊर्जा दक्षता सुधार अध्ययन और निष्पादन लेखा–परीक्षा पूरी होने के अंतिम चरण में है। 12 रिफाइनरियों का अध्ययन कार्य पूरा हो गया है, शेष 3 रिफाइनरियों (एमआरपीएल, सीपीसीएल और एचपीसीएल–विशाख) का कार्य जुलाई 2018 तक पूरा हो जाएगा। एसटी/जीएसटी को छोड़कर 50 प्रतिशत आधार लागत सीएचटी/ओआईडीबी द्वारा वहन की गई है।

6.3.3 अनिवार्य ऊर्जा लेखा-परीक्षा (एमईए)

सीएचटी ने 12 पीएसयू रिफाइनरियों (आईओसीएल की गुवाहाटी, डिगबोई और पारादीप रिफाइनरियों को छोड़कर, जो पीएटी का हिस्सा नहीं है, और बीपीसीएल–कोच्चि जो पहले से ही एमईए पूरा कर चुके हैं) के एमईए को पूरा करने के लिए पीसीआरए को नियुक्त किया। लेखा–परीक्षा 5.44 करोड़ रुपए की लागत से जून 2017 में पूरी की गई, जिसकी 50 प्रतिशत आधार लागत को एसटी/जीएसटी को छोड़कर सीएचटी/ओआईडीबी द्वारा वहन किया गया।

6.3.4 अनुभव साझा करने का सार-संग्रह

निम्नलिखित विषयों पर आधारित तैयार किए गए सार–संग्रह रिफाइनरियों के साथ साझा किए गए :

1. कार्यान्वयन/योजनाबद्ध के तहत रिफाइनरी–वार योजनाएं
2. सर्वोत्तम प्रथाएं
3. वॉक–थ्रू लेखा परीक्षा के निष्कर्ष
4. रिफाइनिंग क्षेत्र में नवाचार
5. सीएचटी द्वारा आयोजित कार्यकलाप समिति बैठकों की मुख्यः बातें
6. आदान–प्रदान से रिफाइनरियों की फीडबैक

6.3.5 रिफाइनिंग और पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी सम्मेलन (आरपीटीएम)

सीएचटी द्वारा जनवरी 2018 में भुवनेश्वर में आयोजित 22वां आरपीटीएम

सीएचटी रिफाइनिंग और पेट्रोरसायन के क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर भारत में तेल कंपनियों के साथ नियमित रूप से सम्मेलन आयोजित करता है। इस 3 दिवसीय तकनीकी कार्यक्रम में 16 तकनीकी सत्रों, 70 मौखिक

पेपर 100 पोस्टर पेपर और अग्रणी प्रौद्योगिकी/ सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदर्शनी स्टाल शामिल होते हैं। यह सम्मेलन, हाल में हुई प्रगतियों और तकनीकी निष्पादन में हुये विकास की चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है। शेल, यूओपी, शेवरॉन, एक्क्सेनमोबिल, हल्डर टॉपसो, एक्सेन्स, केबीआर, सोलोमन, ड्यूपॉन्ट, लिंडेल बेसेल, ग्रेस यूनिवेशन, मित्सुई केमिकल्स जैसे प्रमुख वैश्विक सलाहकार/प्रौद्योगिकी प्रदाता बैठक में भाग लेते हैं और तकनीकी प्रस्तुतियां करते हैं। भारत और विदेश से 900 से अधिक प्रतिभागियों ने इस बैठक में भाग लेते हैं।

2017-18 के दौरान, सीएचटी द्वारा 2 सम्मेलन आयोजित किए गए:

- एचपीसीएल के सहयोग से 21वीं आरपीटीएम – अप्रैल 2017, विशाखापत्तनम
- आईओसीएल के सहयोग से 22वीं आरपीटीएम – जनवरी 2018, भुवनेश्वर

इन सम्मेलनों का उद्घाटन माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, भारत सरकार, द्वारा सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय य संयुक्त सचिव (आर), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयय तेल उद्योग से प्रमुख/वरिष्ठ कार्यपालकों की उपस्थिति में किया गया।

6.3.6 स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास

सीएचटी, डाउनस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के लिए अनुसंधान परियोजनाओं की पहचान और वित्त पोषण करने में "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाइड्रोकार्बन पर वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी)" की गतिविधियों का समन्वय करता है। एसएसी राष्ट्रीय महत्व और रिफाइनिंग परिचालन की परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है और उनका संचालन करता है।

वर्ष 2017–18 के दौरान, एसएसी की सितंबर 2017 और मार्च 2018 में 2 बैठकें हुईं। एसएसी ने चालू और पूर्ण अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और इसके बाद ईसी/ जीसी के विचारार्थ और अनुमोदन के लिए 3 नई आरएंडडी परियोजना प्रस्तावों की सिफारिश की।

1. इथेनॉल–डीजल मिश्रण इंजन का विकास और स्थायित्व परीक्षण: एआरएआई, पुणे को रुपए 1.30 करोड़ (सीएचटी/ओआईडीबी: रुपए 1.30 करोड़) की लागत से।

2. वास्तविक समय ईथरनेट प्रोटोकॉल द्वारा पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने में समय सुधारना: एचपीसीएल–वीएसपीएल/ ईसीआईएल को रुपए 1.17 करोड़ (सीएचटी/ ओआईडीबी: 0.55 करोड़

रुपए) की लागत।

3. हाइड्रोजन ईंधन वाहनों की रिफ्यूलिंग के लिए, सौर आधारित हाइड्रोजन उत्पादन प्रणाली और वितरण स्टेशन का निर्माणः आईओसी आरएंडडी को सहायता देने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया।

वर्तमान में, 62.94 करोड़ रुपए के सीएचटी अंशदान सहित निम्नलिखित 10 आरएंडडी परियोजनाओं का अनुपालन किया जा रहा है।

1. कोयला से तरल (सीटीएल) ईंधन प्रौद्योगिकी का विकास (ईआईएल–आरएंडडी/बीपीसीएल–आरएंडडी और थर्मेक्स)
2. पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रणाली में कोक उपशमन पर प्रायोगिक और उत्प्रेरण अध्ययन (बीपीसीएल आरएंडडी और बीआईटीएस पिलानी)
3. थर्मिक तरल पदार्थ और अन्य अनुप्रयोग प्रक्रिया के विकास के लिए बायफिनाइल के स्वदेशी उत्पादन के लिए प्रोसेस जानकारी का विकास। (बीपीसीएल आर एंड डी)
4. डिसॉल्टतर डिजाइन के लिए पैरामीट्रिक अध्ययन और प्रौद्योगिकी विकास। (ईआईएल आरएंडडी और बीपीसीएल आरएंडडी)
5. शैविक अवशेष हाइड्रोक्रैंकिंग के लिए उत्प्रेरक और प्रक्रिया का विकास (आईआईपी, एचपीसीएल–आरएंडडी, बीपीसीएल–आरएंडडी, ईआईएल–आरएंडडी)
6. विमानों में प्रयोग होने वाले सिंथेटिक लूब्रिकेंट्स –चरण 2 (आईआईसीटी हैदराबाद, एचपीसीएल–आरएंडडी)
7. बॉयोमास हाइड्रो–पाइरोलिसिस द्वारा ईंधन ग्रेड हाइड्रोकार्बन के उत्पादन के लिए (एचपीसीएल–आरएंडडी और सीएसआईआर – आईआईपी)
8. शैवाल से नवीकरणीय कच्चा और तरल हाइड्रोकार्बन ईंधन। (सीपीसीएल/एबीएन/ आईसीजीईबी)
9. इथेनॉल–डीजल मिश्रण ईंधन का विकास और स्थायित्व परीक्षण (एआरएआई)
10. वास्तविक ईथरनेट प्रोटोकॉल द्वारा पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने में समय सुधार (एचपीसीएल–वीएसपीएल/ईसीआईएल)

इसके अलावा, ''एचपीसीएल/आईआईटी–डी/सीईएनएस द्वारा प्राकृतिक गैस के उत्प्रेरक अपघटन द्वारा हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अध्ययन और प्रक्रिया विकास को बढ़ाना'' विषय पर एक परियोजना हाइड्रोजन कॉर्पस फंड (एचसीएफ) के अंतर्गत चलाई जा रही है।

6.3.7 रिफाइनरियों का निष्पादन सुधार

पीएसयू रिफाइनरियों में निष्पादन सुधार कार्यक्रम हेतु ईओआई और निविदा दस्तावेज को रिफाइनरियों के साथ अंतिम रूप दिया गया। वर्ष 2017–18 के अध्ययन चक्र के अंतर्गत 9 रिफाइनरियों को शामिल करने की योजना बनाई गई। सीएचटी और रिफाइनरियों की समिति द्वारा रिफाइनरी–वार परामर्शदाता का चयन कर दिया गया है।

6.3.8 निष्पादन पुरस्कार

सीएचटी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित निम्नलिखित वार्षिक पुरस्कारों से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ हैः

- रिफाइनरी निष्पादन सुधार पुरस्कार
- तेल और गैस संरक्षण पखवाड़ा पुरस्कार
- नवोन्मेष पुरस्कार

माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा विजेताओं को वर्ष 2017 के पुरस्कार भुवनेश्वेर में 13 जनवरी,

2018 को आयोजित 22वें आरपीटीएम के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रदान किए गए थे।

6.3.9 कार्यकलाप समिति की बैठकें

उत्कृष्ट परिचालन प्रथाओं और सुधारों और नवीनतम विकास पर जानकारी के प्रसार के उद्देश्य से, सीएचटी ने रिफाइनरी क्षेत्र और पाइपलाइनों के संचालन में महत्वपूर्ण क्षेत्रों/प्रौद्योगिकियों में 8 कार्यकलाप समिति की बैठकें आयोजित कीं।

6.3.10 रिफाइनरियों के लिए स्वच्छता रैंकिंग 2017

पीएसयू/संयुक्त उद्यम क्षेत्र की रिफाइनरियों की स्वच्छता रैंकिंग पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 2017 में शुरू की गई एक नई पहल है। शुरुआत में एक रिफाइनरी को प्रत्येक 3 समूहों में से चुना गया। इसके बाद, रिफाइनरियों को समूह प्रतिनिधियों, सीएचटी और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सहित समिति द्वारा क्रमबद्ध किया गया। 2017 के पुरस्कारों को सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 19 फरवरी, 2018 को प्रदान किया गया।

प्रथम पुरस्कार : आईओसीएल–पानीपत रिफाइनरी
द्वितीय पुरस्कार : संयुक्त रूप से बीपीसीएल–एम और एचएमईएल
तीसरा पुरस्कार : आईओसीएल – पारादीप रिफाइनरी

स्वच्छता सूचकांक रिफाइनरियों में स्वयं के कर्मचारियों और संविदा श्रमिकों के लिए उनकी स्वच्छता और प्रक्रियाओं पर आधारित है। जिसमें अपशिष्ट सृजन एवं निपटान, स्वच्छता जागरूकता और इसके अभियान के लिए की गई पहलें, रद्दी कागज रिसाइकल सहित साफ–सफाई, प्रणाली और प्रक्रियाएं एवं पुनर्विक्रय, रिफाइनरियों में नगरपालिका अपशिष्ट आदि के उपयोग भी शामिल है।

6.3.11 सीएचटी द्वारा शुरू की जा रही नई पहल का विवरण

- जल उपभोग मानकों को बनाना और जल फुटप्रिंट में कमी लाना
- रिफाइनरियों में वाष्पों प्रणाली में कमी करने हेतु अध्ययन
- पाइपलाइन क्षेत्र के लिए बेंचमार्किंग अध्यकयन–2018
- ऑफ–गैसों से इथेनॉल उत्पादन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन
- "गुणवत्ता नियंत्रण" पर नई कार्यकलाप समिति का गठन
- लैब सह–संबंध कार्यक्रम
- बीजीजीटीएस (बीएचईएल–एज गैस टरबाइन सर्विसेज) के साथ जीटी अनुकूलन
- ऊर्जा बचत उपकरण पर कर छूट के लिए बीईई को जानकारी
- प्रमुख उपकरण के लिए ऊर्जा दक्षता मानदंडों का निर्माण

6.4 तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी)

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी),पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक तकनीकी निदेशालय है और जिसे पेट्रोलियम उद्योग में मानक बनाने, सुरक्षा ऑडिटों के माध्यम से इसके कार्यान्वयन की निगरानी रखने का दायित्व सौंपा गया है ताकि सुरक्षा स्तर बढ़ाए जा सकें और इस उद्योग में निहित जोखिम को कम किया जा सके। ओआईएसडी मानक हाइड्रोकार्बन क्षेत्र से संबंधित समस्त गतिविधियों अर्थात अन्वेषण व उत्पादन,शोधन,गैस प्रोसेसिंग,भंडारण,वितरण,पर्यावरण आदि को शामिल करते हैं जिन्हें तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा स्व–नियामक आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। ओआईएसडी का उद्देश्य तेल उद्योग सदस्यों, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों, के समन्वय से तेल व गैस इंस्टालेशनों में सुरक्षा को बढ़ाना है।

6.4.1 ओआईएसडी द्वारा सुरक्षा ऑडिट : वित्त वर्ष 17–18

ओआईएसडी, सभी प्रकार की तेल व गैस इंस्टालेशनों की उनके ओआईएसडी मानकों के अनुसार निगरानी करने के लिए आवधिक सुरक्षा ऑडिट करता है। वर्ष 2017–18 के लिए ओआईएसडी सुरक्षा ऑडिट निष्पादन नीचे निर्दिष्ट है:

गतिविधियां	मद	योजना	वास्तविक
रिफाइनरी एवं गैस संसाधन संयंत्र	संख्या	17	17
विपणन संस्थापनाएं	संख्या	70	93
अन्वेषण व उत्पादन तटीय संस्थापनाएं	संख्या	50	50
अन्वेषण व उत्पादन अपतटीय संस्थापनाएं	संख्या	16	16
क्रॉस–कंट्री पाइपलाइनें	कि०मी०	7500	7952
अतिरिक्त ऑडिट पाइपलाइन इंस्टालेशनें			
एकल बिंदु मूरिंग संस्थापनाएं	संख्या	02	03
हाइड्रोकार्बन परिवहन के लिए जेट्टी पाइपलाइनें	संख्या	01	01
पाइपलाइंस क्रूड टैंक फाम	संख्या	01	02

6.4.2 पूर्व कमीशनिंग सुरक्षा ऑडिट(पीसीएसए)

सुरक्षित व उत्पादक पूंजीकरण सुनिश्चित करने और इसके द्वारा बड़े पैमाने पर जनता के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति करने के लिए ओआईएसडी तेल व गैस उद्योग में ग्रीनफील्ड परियोजनाओं का पूर्व कमीशनिंग सुरक्षा ऑडिट करता है। ये ऑडिट वहां आयोजित किए जाते हैं जहां ग्रीनफील्ड विस्तार और मौजूदा लोकेशनों पर मुख्य अतिरिक्त सुविधाएं भी स्थापित की जा रही हैं ताकि निर्माणावस्था पर ही ओआईएसडी मानकों के मुताबिक इन सुविधाओं का प्रारंभ से ही अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

2017–18 के दौरान उपयोक्ता उद्योग सदस्यों के अनुरोध पर इस प्रकार के 36 ऑडिट किए गए। इस संदर्भ में 15 पाइपलाइन इंस्टालेशनों को कवर करने वाली 1077.14 कि मी पाइपलाइन का भी ऑडिट किया गया।

6.4.3 अपतटीय संस्थापनों के लिए "प्रचालन की सहमति"

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (अपतटीय प्रचालनों में सुरक्षा),नियमावली,2008 के कार्यान्वयन की निगरानी रखने के लिए सक्षम प्राधिकरण के तौर पर ओआईएसडी ड्रिलिंग रिगों सहित अपतटीय इंस्टालेशनों में "प्रचालन की सहमति" प्रदान करता है। वर्ष 2017–18 के दौरान 14 चलित रिग, 10 मानव रहित प्लेटफार्म और 1 बी जी ई पी आयी एल प्लेटफार्म की डी– कमीशनिंग के लिए "प्रचालन की सहमति" प्रदान की गई है।

6.4.4 तकनीकी संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं

अद्यतन प्रौद्योगिकीय विकास पर चर्चा करने,घटना अनुभव साझा करने आदि के लिए तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय द्वारा तेल उद्योग के लिए तकनीकी संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

वर्ष 2017–18 के दौरान ओआईएसडी ने निम्नलिखित संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित कीं:

1. इंदौर में ओआईएसडी के विपणन संचालन (पीओएल) समूह द्वारा '' उपकरणों का रखरखाव और विश्वसनीयता – सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक उपकरण'' पर 15–16 जून, 2017 को दो दिवसीय कार्यशाला.
2. आईओसीएल एलपीजी बोटलिंग प्लांट, भोपाल में ओआईएसडी के विपणन संचालन (एलपीजी) समूह द्वारा ''एलपीजी बोटलिंग प्लांट की लेखा परीक्षा'' पर लेखा परीक्षकों के लिए 21 सितंबर, 2017 को पहली

एक दिवसीय कार्यशाला।

3. ओआईएसडी नोएडा में 'ई एंड पी सेक्टर में संपत्ति दृढ़ता और सुरक्षा' पर 04 से 05 दिसंबर, 2017 को दो दिवसीय कार्यशाला।

4. बीपीसीएल एलपीजी बोटलिंग प्लांट, राजकोट में ओआईएसडी के विपणन संचालन (एलपीजी) समूह द्वारा ''एलपीजी बोटलिंग प्लांट की लेखा परीक्षा'' पर लेखा परीक्षकों के लिए 6 फरवरी 2018 को दूसरी एक दिवसीय कार्यशाला।

5. बीपीसीएल एलपीजी बोटलिंग प्लांट, राजकोट में ओआईएसडी के विपणन संचालन (एलपीजी) समूह द्वारा तृतीय एक दिवसीय "मोल्ड स्टोरेज वेसल और उसके सीपी सिस्टम " पर 7 फरवरी, 2018 को कार्यशाला।

6.4.5 'तेल उद्योग सुरक्षा पुरस्कारों' के माध्यम से उद्योग में सुरक्षा निष्पादन को प्रोत्साहन

उद्योग सदस्यों के सुरक्षा निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन विशेष रूप से विकसित कार्यप्रणाली द्वारा किया जाता है जिसमें जुडे खतरों, वर्ष के दौरान दर्ज की गई घटनाओं ओर इंस्टालेशन की सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को संज्ञान में लिया जाता है। वर्ष के दौरान असाधारण सुरक्षा निष्पादन हासिल करने वाले संगठनों को तेल उद्योग सुरक्षा पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जाता है। इसके अलावा, संबंधित इंस्टालेशनों में सुरक्षा की दिशा में असाधारण योगदान करने वाले व्यक्तियों चाहे वो कंपनी कर्मी हो या कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हो, को भी प्रोत्साहित किया जाता है और इस प्रकार के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के सुरक्षा पुरस्कार समारोह में एक टैंक ट्रक चालक (एचपीसीएल के साथ अनुबंध पर) श्री खांडेराव शिवराम खोत को सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के लिए पुरस्कार विजेताओं को 13 जनवरी 2018 को भुवनेश्वर में आयोजित "तेल उद्योग सुरक्षा पुरस्कार समारोह" में माननीय मंत्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए।

6.4.6 सुरक्षा परिषद

भारत में तेल व गैस उद्योग में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के सही कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन शीर्षस्थ सुरक्षा परिषद स्थापित की। तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय(ओआईएसडी) सुरक्षा परिषद की सहायता करता है,जिसमें प्रमुख सचिव, तेल एवं प्राकृतिक गैस , अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते हैं और सदस्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निजी क्षेत्र और संयुक्त उद्यमों के साथ–साथ सम्बंधित विशेषज्ञ निकाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुरक्षा निष्पादन की समीक्षा करने के लिए सुरक्षा परिषद वर्ष में एक बार मिलती है और 14 सितम्बर, 2017 को परिषद की 34वीं बैठक हुई थी।

बैठक के दौरान जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा और समीक्षा की गई वे इस प्रकार हैं:

- 2016–17 में की गई प्रमुख गतिविधियां और 2017–18 के लिए गतिविधि योजना
- एमबी लाल समिति की सिफारिशों की अनुपालन स्थिति
- ओआईएसडी सुरक्षा ऑडिटों की अनुपालन स्थिति का विश्लेषण (ईएसए/एसएसए)

6.4.7 सुरक्षा मानकों का विकास

ओआईएसडी सहभागिता प्रक्रिया के माध्यम से तेल व गैस क्षेत्र के लिए मानक/मार्गनिर्देश/अनुशंसित सिफारिशें विकसित करता है जिसमें सभी स्टेकहोल्डरों(बड़े पैमाने पर जनता सहित) को शामिल किया जाता है, प्रतिनिधियों के अनुभवों का लाभ उठाते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से जानकारी लेकर उन्हें भारतीय स्थितियों के मुताबिक अनुकूल बनाया जाता है। इन मानकों में इनबिल्ट डिजाइन सुरक्षा,परिसंपत्ति विश्वसनीयता और पेट्रोलियम के उत्पादन,प्रोसेसिंग,भंडारण व परिवहन के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रचालन पद्धतियां शामिल हैं। नए मानकों को विकसित करने की आवश्यकता का पता लगाने, अद्यतन प्रौद्योगिकीय विकासों के साथ–साथ मौजूद वर्तमान अनुभवों को शामिल करने के लिए मौजूदा मानकों को अपडेट करने/संशोधित करने के लिए ओआईएसडी मानकों की समय–समय पर समीक्षा की जाती है। आज की तारीख तक तेल उद्योग के लिए ओआईएसडी ने 120 तकनीकी सुरक्षा मानक विकसित किए हैं। इनमें 21 मानकों को पेट्रोलियम नियमावली, गैस सिलेंडर नियमावली, स्टेटिक एंड मोबाइल प्रेशर वेसल्स (अन फायर्ड) नियम, 2016 और ऑयल माइन्स विनियम 2017 के सांविधिक प्रवधानों में शामिल भी कर लिया गया है।

वर्ष 2017–18 के दौरान, ओआईएसडी ने 7 मौजूदा मानकों को संशोधित/परिवर्तित किया है तथा 2 नवीन मानको का निर्माण किया है। इन मानकों को, उनके संशोधन की मौजूदा प्रक्रिया का पालन करने के बाद 35वी सुरक्षा परिषद की बैठक में अंगीकार करने के लिए रखा जाएगा।

6.4.8 घटना जांच व विश्लेषण

ओआईएसडी दुर्घटना के मूल कारण का विश्लेषण करने के लिए मुख्य घटनाओं (गंभीरता/क्षति के आधार पर) की जांच के साथ–साथ जांच प्रकिया में भाग लेता है। तेल उद्योग की घटनाओं का एक डेटा बैंक बनाकर रखा जाता है और रुझानों, सरोकार के क्षेत्रों और सुधारात्मक कार्रवाई का मूल्यांकन करने के लिए विश्लेषण किया जाता है। इन्हें उसी समय सुरक्षा अलर्टों,परामर्शी नोटों,कार्यशालाओं,प्रशिक्षण कार्यक्रमों,वैबसाइट लिंकों आदि के माध्यम से उद्योग को प्रसारित किया जाता है। 2017–18 के दौरान ओआईएसडी द्वारा 12 बड़ी घटनाओं की जांच की गई।

6.4.9 अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलाप

विपणन (पीओएल) प्रतिष्ठानों में एचवीएलआरएम, आरओएसओवी, आरएसएफपीएस, एमईएफजी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण अग्निशामक उपकरणों की कार्यक्षमता जांच का मूल्यांकन – ओआईएसडी द्वारा वित्त वर्ष 2017–18 में एक और सुरक्षा वृद्धि पहल:

ओआईएसडी, इंस्टॉलेशन के सुरक्षा लेखापरीक्षा के दौरान, एचवीएलआरएम, आरओएसओवी, आरएसएफपीएस, एमईएफजी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण अग्निशामक उपकरणों की कार्यक्षमता जांच पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस तरह के उत्कृष्ट तकनीकी अग्निशामक उपकरणों को एमबी लाल समिति की सिफारिशों के बाद उद्योगों में स्थापित किया गया।

इस संबंध में, किसी भी संस्थान के अग्निशामक उपकरणों की कार्यक्षमता की जांच के लिए एक व्यापक जांच सूची विकसित की गई है और इंस्टॉलेशन के ऑडिट के दौरान ओआईएसडी टीम द्वारा ऐसी महत्वपूर्ण अग्निशामक उपकरणों की विस्तृत कार्यक्षमता जांच सुनिश्चित की जाती है।

31 मार्च 2018 तक, सभी तीन ओएमसी के कुल 290 पीओएल इंस्टॉलेशन में से (कक्षा सी /छोड़कर पेट्रोलियम और पुनर्वास के तहत स्थानों को छोड़कर स्थान), 100 ऐसे प्रतिष्ठानों की कार्यक्षमता जांच पूरी हो चुकी है।

6.4.10 नए लक्षित क्षेत्रों के लिए ओआईएसडी मानकः

नए लक्षित क्षेत्रों में सुरक्षा मुद्दों को हल करने के लिए, ओआईएसडी ने निम्नलिखित नए मानकों को विकसित किया हैः

क ओआईएसडी एसटीडी 245 "बड़े जहाजों, तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) टर्मिनलों के बंदरगाहों पर एलएनजी बंकरिंग सुविधाओं की सुरक्षा"

संशोधित समुद्री ईंधन विनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए जो वर्ष 2020 से प्रभावी होंगे, अधिक से अधिक जहाज स्वच्छतर ईंधन को स्वीकार कर रहे हैं और जहाज ईंधन के रूप में एलएनजी का उपयोग कर रहे हैं इसलिए, भारतीय बंदरगाहों को निकट भविष्य में एलएनजी बंकरिंग के लिए तैयार रहना होगा। इसी प्रकार, तटीय नौवहन के माध्यम से कार्गो उपयोगो में अपेक्षित वृद्धि और अंतर्देशीय जल परिवहन का उपयोग करके, छोटे जहाजों, घाटों, बारजों ओएसवी आदि में ईंधन के रूप में एलएनजी का उपयोग अंत्तर्राष्ट्रीय रुझानों के अनुरूप आर्थिक और पर्यावरणीय विचारों के कारण बढ़ने की संभावना है।

उपरोक्त दृश्य के साथ और देश में आने वाले एलएनजी बंकरिंग टर्मिनलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार, शिपिंग मंत्रालय ने अपनी सही उद्देश्य में, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) को बड़े जहाजों, तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) टर्मिनल के बंदरगाहों पर एलएनजी बंकरिंग सुविधाओं की सुरक्षा पर मानक विकसित करने की सलाह दी।

ओआईएसडी स्टैण्डर्ड 245 ''बड़े जहाजों, तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) टर्मिनलों के बंदरगाहों पर एलएनजी बंकरिंग सुविधाओं की सुरक्षा" के लिए गठित विशेषज्ञों की कार्यात्मक समिति द्वारा तैयार किया गया है। ओआईएसडी मानक फॉर्मूलेशन की मौजूदा प्रक्रिया के बाद मानक के ड्राफ्ट पांच को 2018–19 में होने वाली 35 वीं सुरक्षा परिषद की बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जा रहा है।

ख. ओआईएसडी आरपी 243 "कोल बेड मीथेन (सीबीएम) संचालन पर अनुशंसित अभ्यास"

हाल के वर्षों में, सीबीएम की खोज और विकास दुनिया के कई हिस्सों में गहन जांच के अधीन है। आज के उत्पादन प्रथाओं (जल उत्पादन, फ्रैक्चरिंग, पाइपलाइन निर्माण, भंडारण सुविधाओं, जल अपर्याप्तता और निपटान सुविधाओं आदि सहित) की परिचालन सुरक्षा और पर्यावरणीय मुद्दों की बढ़ती चिंता, एक प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल संसाधन विकास करने की प्रथाओं और जोखिम शमन रणनीतियों का उपयोग करने के महत्व को बढ़ाती है।

इन मुद्दों ने नियामक एजेंसियों और ऑपरेटरों पर सुरक्षा और परिचालन जोखिम को कम करने और कम करने में सहायता के लिए सर्वोत्तम अनुशंसित प्रथाओं और शमन रणनीतियों को विकसित और परिभाषित करने के लिए दबाव बढ़ा दिया है।

कोल बेड मीथेन उद्योग के सुरक्षा मुद्दों को हल करने के लिए, ओआईएसडी ने एक अनुशंसात्मक अभ्यास ओआईएसडी आरपी 243 विकसित किया है "कोल बेड मीथेन (सीबीएम) संचालन पर अनुशंसित अभ्यास"। ओआईएसडी मानक फॉर्मूलेशन की मौजूदा प्रक्रिया के बाद, इस दस्तावेज के ड्राफ्ट को 2018–19 में होने वाली 35वीं सुरक्षा परिषद की बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जा रहा है।

6.4.11 संभावित हजार्ड के आधार पर पीओएल प्रतिष्ठानों की सुरक्षा लेखा परीक्षा की आवृत्ति

चालू वित्त वर्ष के बाद से, ओआईएसडी ने खतरे की संभावना के आधार पर पीओएल प्रतिष्ठानों की सुरक्षा लेखा परीक्षा आवृत्ति को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 1 लाख किलो लीटर से अधिक पेट्रोलियम की कुल भंडारण क्षमता वाले प्रतिष्ठानों को मौजूदा सात साल की आवृत्ति के स्थान पर हर पांच साल का लेखा परीक्षा किया जाएगा।

चालू वर्ष यानी 2017–18 के दौरान पांच साल की संशोधित आवृत्ति के अनुसार लेखापरीक्षा के कारण 1 लाख किलो लीटर से अधिक पेट्रोलियम की कुल भंडारण क्षमता वाले सभी पीओएल प्रतिष्ठानों की सुरक्षा लेखा परीक्षा पूरी की गई है।

6.4.12 तेल और गैस कंपनियों के आंतरिक लेखा परीक्षकों की क्षमता निर्माण

तेल और गैस प्रतिष्ठानों में आंतरिक सुरक्षा लेखापरीक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण पहल के रूप में , ओआईएसडी तेल और गैस कंपनियों के आंतरिक लेखा परीक्षकों के लिए समर्पित कार्यशालाओं का आयोजन कर रही है। इस संबंध में, एलपीजी विपणन संगठनों के आंतरिक लेखा परीक्षकों के लिए विशेष रूप से पांच कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं।

भविष्य में तेल और गैस उद्योग के अन्य क्षेत्रों में ऐसी प्रशिक्षण बढ़ाने की योजना है।

6.4.13 विश्व एलपीजी एसोसिएशन (डब्लूएलपीजीए) 2017 एशिया एलपीजी शिखर सम्मेलन

ओआईएसडी के निदेशक (एमओ–एलपीजी) को 6 फरवरी, 2017 को प्रतिष्ठित डब्लूएलपीजीए 2017 एशिया एलपीजी शिखर सम्मेलन में "भारतीय एलपीजी उद्योग के मानकों के विकास में तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय के योगदान" पर एक पेपर प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

6.5 पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

दिनांक 1 अप्रैल, 2002 को पेट्रोलियम क्षेत्र में निर्देशित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) के समापन के उपरांत, तेल समन्वलय समिति को भंग कर दिया गया था और दिनांक 1 अप्रैल 2002 से पेट्रोलिमय और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रुप में सरकार के निम्नलिखित कार्यों में सहायता प्रदान करने हेतु एक नए

प्रकोष्ठ पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) का गठन किया गया:

(क) पीडीएस केरोसीन एवं घरेलू एलपीजी पर सब्सिडी और दूर–दराज के क्षेत्रों के लिए भाड़ा सब्सिडी की व्यवस्था
(ख) आपातकालीन एवं अप्रत्याशित स्थितियों से मुकाबला करने के लिए सूचना डेटा बैंक और संचार प्रणाली का अनुरक्षण
(ग) अंत्तर्राष्ट्रीय तेल बाजार और घरेलू कीमतों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण
(घ) पेट्रोलियम आयातों और निर्यातों की प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन
(ङ) क्षेत्र विशेष अधिभार योजनाओं का संचालन, यदि कोई हों।

संरचना

महानिदेशक की अध्यक्षता में वित्त, आपूर्ति, मांग, सूचना प्रोद्योगिकी, विपणन, गैस, और मानव संसाधन एवं समन्वय प्रभागों के अधीन पीपीएसी के पास 43 अधिकारियों एवं स्टाफ की स्वीकृत संख्या है। महानिदेशक जो केन्द्रीय सरकार से प्रतिनियुक्ति पर हैं, को छोड़कर सभी अधिकारी एवं स्टाफ तेल कंपनियों से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए हैं।

वर्ष के दौरान तेउविबो द्वारा पीपीएसी को 21.34 करोड़ रूपये का अनुदान जारी किया। पीपीएसी के अनुसार, वर्ष के दौरान की गई मुख्य गतिविधियां निम्नलिखित थीः–

6.5.1 तेल विपणन कंपनियों (ओएमजी) के सब्सिडी दावों का निपटान

1. 1 जनवरी 2015 से प्रभावी, पहल (डीबीटीएल) योजना–2014 पूरे देश में क्रियान्वित की गई। इस योजना के तहत घरेलू एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे ही पात्र ग्राहकों के बैंक खातों में स्थानान्तरित की जाती है। पहल (डीबीटीएल) योजना के अधीन वर्ष 2017–18 में रुपये 20,880 करोड़ के दावों को संसाधित किया गया।

2. प्रधान मंत्री उज्वला योजना (पीएमयूवाई) 1 मई, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बीपीएल परिवारों से वयस्क महिला सदस्य को प्रदान किए जाएंगे। इस योजना को अब 4 साल (2019–20 तक) की अवधि में 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत, भारत सरकार गरीब घरेलू महिला लाभार्थियों को सुरक्षा जमा मुक्त कनेक्शन जारी करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर और 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए क्रमशः 1600 रुपये और 1150 रुपये प्रति कनेक्शन प्रतिपूर्ति करता है। वर्ष 2017–18 के लिए, पीपीएसी ने 2,574 करोड़ रुपये के दावों को संसाधित किया है।

3. 1 अक्टूबर, 2016 से प्रभावी, पीडीएस केरोसिन योजना 2016 (डीबीटीके) में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण झारखंड राज्य के 4 जिलों में लागू किया गया था। यह योजना 1 अप्रैल, 2017 से 6 अन्य जिलों में लागू कर दी गई थी और 1 जुलाई, 2017 से पूर्णझारखंड राज्य डीबीटीके के तहत कवर कर दिया गया। वर्ष 2017–18 के लिए, पीपीएसी ने 113 करोड़ रुपये के दावों को संसाधित किया है।

6.5.2 नार्थ ईस्ट गैस सब्सिडी दावों का निपटान

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में चयनित उद्योग/ग्राहकों के लिए प्राकृतिक गैस की बिक्री के सब्सिडी व्यवस्था हेतु "प्राकृतिक गैस सब्सिडी योजना" तैयार की गई है। इस योजना में भाग लेने वाली कंपनियां नामित गैस क्षेत्रों से उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर प्राकृतिक गैस बेचती हैं और भारत सरकार से सब्सिडी राशि का दावा करती हैं। वर्ष 2017–18 के लिए, पीपीएसी ने 435 करोड़ के दावे संसाधित किए हैं।

6.5.3 तेल कंपनियों के अंडर रिकवरी दावों का निपटान

अंत्तर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव से आम आदमी को बचाने के लिए सरकार पीडीएस केरोसिन की खुदरा बिक्री कीमतों में संशोधन करती रहती है जिससे उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर उत्पाद मिलता रहता है इससे तेल विपणन कंपनियों को अपनी बिक्री पर अंडर रिकवरी हो रही हैं। वर्ष 2017–18 के लिए, पीपीएसी ने पीडीएस केरोसिन की बिक्री पर तेल विपणन कंपनियों द्वारा किए गए अंडर रिकवरी के 4,672 करोड़ रुपये के दावों को संसाधित किया है।

6.5.4 कच्चे तेल और एमएस, एचएसडी और एलपीजी जैसे पीओएल उत्पादों के आयात, निर्यात और तटीय आवागमन संभालने के लिए भारतीय बंदरगाहों पर आधारभूत संरचना के आकलन पर अध्ययन, इसकी सीमाएं और 2029-30 तक अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम।

पीपीएसी ने कच्चे तेल, एलपीजी, एमएस और एचएसडी के संचालन के लिए भारत के बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के आकलन पर एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में इन उत्पादों में व्यापार के कुशल संचालन में बाधाओं की पहचान की गई और 2029 तक कच्चे तेल, एलपीजी और एमएस/एचएसडी की मांग को पूरा करने के लिए बंदरगाह की आधारभूत संरचना के मामले में देश की तैयारी का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट अगस्त 2017 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी।

6.5.5 तेल और गैस उद्योग में ''मेक इन इंडिया'' अभियान का कार्यान्वयन।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संचालन समिति को तेल और गैस क्षेत्र में ''मेक इन इंडिया'' अभियान लॉन्च करने के लिए विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करने में सहयोग देने के लिए, पीपीएसी ने एक सलाहकार, मैसर्स डेलोइट टॉच तोहमतसू इंडिया एलएलपी को काम पर लगाया। प्रश्नावली से एकत्रित व्यापक उद्योग हितधारक इनपुट और पीएसयू और निजी ऑपरेटिंग कंपनियों, अंत्तर्राष्ट्रीय और घरेलू तेल क्षेत्र सेवाओं और उपकरण कंपनियों और स्थानीय और वैश्विक निर्माताओं के साथ एक–एक साक्षात्कार के माध्यम से विस्तृत आंकलन किए गए। चुनिंदा वैश्विक तेल और गैस अर्थव्यवस्थाओं और विनिर्माण केंद्रों और अन्य भारतीय उद्योगों के प्रति बेंचमार्किंग अध्ययन भी आयोजित किए गए। तेल और गैस क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान को लागू करने के लिए सिफारिशों और रोडमैप वाली अंतिम रिपोर्ट दिसंबर 2017 में मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी।

6.5.6 ऊर्जा मांग प्रक्षेपण मॉडल (ईडीपीएम) का विकास।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित कार्यकारी समूह के हिस्से के रूप में 2040 तक परिष्करण क्षमता बढ़ाने पर एक दृष्टिकोण पत्र तैयार करने के लिए पीपीएसी ने भारत में कुल प्राथमिक ऊर्जा के मांग अनुमानों का पता लगाने हेतु एक व्यापक ऊर्जा मांग प्रोजेक्शन मॉडल (ईडीपीएम) विकसित किया। मॉडल को मुख्य रूप से छह अंत उपयोग मांग क्षेत्र जैसे परिवहन, खाना पकाने (आवासीय और वाणिज्यिक), उद्योग, कृषि, दूरसंचार और आवासीय माना जाता है। इसके अतिरिक्त, अनुमानित रूपांतरण घाटे, वितरण घाटे और प्रक्रिया में स्वयं के उपयोग पर विचार करके ऊर्जा की आपूर्ति का आकलन करने के लिए 24 सेगमेंट में कब्जे वाले लगभग सभी संभावित प्राथमिक और माध्यमिक ऊर्जा स्रोतों का मूल्यांकन किया गया। आखिरकार, मांग और आपूर्ति के संयोजन से, भारतीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य को तीन व्यावहारिक परिदृश्यों के अधीन 2040 तक की प्राथमिक ऊर्जा मांग पेश की गई। ईडीपीएम ने भी 2040 तक 5 साल के अंतराल पर उसी तीन परिदृश्यों के तहत पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादवार मांग का अनुमान लगाया। मॉडल के परिणाम कार्यकारी समूह द्वारा स्वीकार किए गए और अंतिम रिपोर्ट में शामिल किए गए।

6.5.7 घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य अधिसूचना

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 25 अक्टूबर 2014 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य के आवधिक संशोधन को सूचित करने के लिए महानिदेशक, पीपीएसी को अधिकृत किया। तदनुसार, अप्रैल 2017 से सितंबर, 2017 और अक्टूबर, 2017 से मार्च, 2018 तक घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य पीपीएसी द्वारा अधिसूचित किया गया था।

6.5.8 गैस मूल्य की अधिकतम सीमा की अधिसूचना

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 21 मार्च, 2016 की अधिसूचना के अनुसार, गहरे–पानी, अल्ट्रा गहरे पानी और उच्च दबाव–उच्च तापमान क्षेत्रों में खोजों से उत्पादित गैस के लिए मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता सहित विपणन स्वतंत्रता की अनुमति दी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने महानिदेशक, पीपीएसी को उक्त अधिसूचना के तहत गैस मूल्य की अधिकतम सीमा के आवधिक संशोधन को अधिसूचित करने के लिए अधिकृत किया। तदनुसार, अप्रैल, 2017 से सितंबर, 2017 और अक्टूबर, 2017 से मार्च, 2018 की अवधि के लिए गैस की कीमत की अधिकतम सीमा पीपीएसी द्वारा अधिसूचित की गई थी।

6.5.9 ई–ऑफिस कार्यान्वियन

पीपीएसी ने पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) में ई–फाइलिंग और डिजिटलीकरण सिस्टम (ई–ऑफिस) लागू किया है। सॉफ्टवेयर एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य अधिक कुशल, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से सरकारों के बीच और सरकार के भीतर लेनदेन और प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना है।

6.5.10 पीपीएसीई का विकास और लॉन्च (पीपीएसी का मोबाइल ऐप)

व्यापक प्रसार एवं डेटा तक त्वरित पहुंच के लिए गूगल प्ले और एप्पल एप स्टोर पर एक मोबाइल ऐप मई 2017 के महीने में पीपीएसी द्वारा लॉन्च किया गया। मोबाइल ऐप को पीपीएसी की वेबसाइट के साथ वास्तविक काल समकालीन बनाया गया है। मोबाइल ऐप को एनआईसीएसआई द्वारा सूचीबद्ध विक्रेता द्वारा विकसित किया गया था। आइकन के टैप पर सही मात्रा में सही डेटा प्रदान करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंत्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा इस प्रयोग की सराहना की गई है

अध्याय
4

वित्तीय सहायता : अनुसंधान और विकास तथा अन्य अनुदान

1 तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 6 में अन्य बातों के साथ – साथ यह प्रावधान किया गया है कि तेल उद्योग के लिए उपयोगी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बोर्ड द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। हाइड्रोकार्बन विज़न 2025 में भी परिकल्पना की गई है कि तेल उद्योग विकास बोर्ड उपकर व अन्य नवीन संसाधन जुटाने के दृष्टिकोण के माध्यम से गैर–अन्वेषित/आंशिक रूप से अन्वेषित रकबों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त संसाधनों को उपलब्ध कराया जा सकता है।

2 अपस्ट्रीम क्षेत्र

अपस्ट्रीम क्षेत्र को तेउविबो द्वारा सहायता अनुदान के संबंध में तेउवि बोर्ड ने दिनांक 27.03.2014 को आयोजित अपनी 76वीं बैठक में निर्णय लिया कि ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित अनुसंधान एवं विकास परियोजना/परियोजनाओं की पहचान करने और जांच करने और तेउविबो द्वारा उनके कार्यान्वयन हेतु अनुदान के रूप में निधियां प्रदान करने के लिए महानिदेशक, डीजीएच की अध्यक्षता में तथा तेउविबो के अध्यक्ष द्वारा नामित किए गए अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए एक समिति गठित की जा सकती है। तद्नुसार, तेउविबो के अनुदानों की उपयोगिता के संदर्भ में एक समिति का गठन किया गया। जिसमें महानिदेशक, डीजीएच, अध्यक्ष और सचिव, तेउविबो, निदेशक (अन्वेषण) – ओएनजीसी, निदेशक – आईआईपी, देहरादून, निदेशक (अनुसंधान और विकास) – आईओसीएल, निदेशक (तकनीकी) – ईआईएल तथा महानिदेशक – पेट्रोफेड (एफआईपीआई) अथवा उनके नामांकित व्यक्ति और सदस्य हैं। समिति, प्रथम अवलोकन के अंतर्गत इन परियोजनाओं का निरीक्षण करती है और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है।

समिति की सिफारिशें तेउवि बोर्ड को निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। वे परियोजनाएं जिन्हें तेउवि बोर्ड द्वारा 25 लाख रुपए से अधिक परिव्यय के साथ अनुमोदित किया जाता है उन्हें तेल उद्योग (विकास) नियम 1975, के नियम 24 (i)(ii) की शर्तों पर अनुदान जारी करने से पूर्व केंद्रीय सरकार को प्रेषित किया जाता है। स्थापना के समय से, तेउवि बोर्ड/केंद्रीय सरकार द्वारा अब तक 120 से अधिक परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। इनमें से अधिकांश परियोजनाओं के कार्य संपन्न हो चुके हैं और उन्होंने तेल उत्पादन, प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा अन्वेषण के नए क्षेत्रों की पहचान के रूप में तेल उद्योग के लिए अत्याधिक लाभ अर्जित किए हैं।

2.1 परियोजनाओं की पुनरीक्षा

तेउवि बोर्ड द्वारा महानिदेशक, डीजीएच की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें सचिव, तेउविबो, निदेशक (अन्वेषण) – ओएनजीसी, निदेशक – आईआईपी, देहरादून, निदेशक (अनुसंधान और विकास) – आईओसीएल, निदेशक (तकनीकी) – ईआईएल तथा महानिदेशक – पेट्रोफेड अथवा उनके नामांकित व्यक्ति शामिल हैं, समय–समय अपस्ट्रीम क्षेत्र में तेउवि बोर्ड द्वारा पोषित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है। उपसमिति द्वारा दी गई सिफारिशें तेउविबो के समक्ष विचारार्थ तथा जहां आवश्यक हो परियोजनाओं का कार्यान्वयन अधिक कुशलतापूर्वक किए जाने हेतु उचित दिशा–निर्देश देने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं।

अपस्ट्रीम क्षेत्र के अंतर्गत अनुसंधान और विकास परियोजनाएं :

राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित तथा हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) द्वारा तकनीकी रूप से संचालित, राष्ट्रीय अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों नामतः ओएनजीसी, गेल इंडिया लिमिटेड तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड, तथा राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान नामतः नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (एनआईओ), नेशनल ज्योफिज़िकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनजीआरआई) तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (एनआईओटी) का एक परिसंघ है।

3 डाउनस्ट्रीम क्षेत्र

मंत्रालय द्वारा हाइड्रोकार्बन पर गठित वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी), डाउनस्ट्रीम सैक्टर से संबंधित परियोजनाओं पर विचार कर अपनी संस्तुतियां प्रदान करती है। ये परियोजनाएं मुख्यतः सीएचटी के माध्यम से वित्त पोषित की जाती हैं। वैज्ञानिक सलाहकार समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य तेल उद्योग क्षेत्रों से संबद्ध महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इस समिति का कार्यकाल दो वर्षों का होता है जिसके पश्चात इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पुनर्गठित किया जाता है। हाइड्रोकार्बन के लिए गठित वैज्ञानिक सलाहकार समिति अपनी बैठकों में डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करती है।

सीएचटी हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को अभिज्ञात करने और वित्त पोषण करने में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाइड्रोकार्बन संबंधी वैज्ञानिक सलाहकार समिति के कार्यकलापों का समन्वय करता है।

4 तकनीकी संस्थानों/सीएसआईआर प्रयोगशालाओं को सहायता

तेल उद्योग विकास बोर्ड, शैक्षणिक संस्थाओं के साथ–साथ प्रशिक्षण एवं अनुसंधानों को मूलभूत सुविधाओं को स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करता है। ये संस्थान जिसमें, यथा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मुंबई, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) इत्यादि शामिल हैं, ये संस्थान तेल उद्योग के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम करते हैं।

वर्ष 2017–18 के दौरान भारत सरकार/तेउविबो द्वारा प्रायोजित अनुदान/योजनाओं पर निम्नलिखित व्यय किया है : –

(रूपये करोड में)

क्र. सं.	संस्थानों के नाम	राशि
1	राष्ट्रीय भूभौतकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई)	0.45
2	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), (अनुसंधान एवं विकास)	10.43

4.1 राष्ट्रीय भूभौतकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई)

राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई) जो कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की एक संघटक अनुसंधान प्रयोगशाला है, की स्थापना पृथ्वी तंत्र की अत्यधिक जटिल संरचना एवं प्रकियाओं के बहुविषयी क्षेत्रों और उसके व्यापक रूप से आपस में जुडे उपतंत्रों में अनुसंधान करने के ध्येय से 1961 में की गई थी। एनजीआरआई का अधिदेश संपोषणीय तरीके से भूसंसाधनों का उपयोग करने के बारे में विचारपूर्ण निर्णय लेने में सरकारी अभिकरणों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के हितधारकों को सक्षम बनाने और प्राकृतिक खतरों के प्रति मुस्तैदी एवं उनका सामना करने की ताकत को सुधारने हेतु सार्वजनिक हित विज्ञान के लिए अनुसंधान करना है। चूंकि पृथ्वी प्रक्रियाओं की करीबी समझ और मानव समाज की उन्नति एवं विकास के साथ उसका मिलन ही भविष्य को सुरक्षित रख सकती है, इसलिए पृथ्वी तंत्र प्रकियाओं के ज्ञान भंडार को विकसित करना और उसे प्राकृतिक आपदा से होने वाले जान–माल की हानि को कम करने के लिए रणनीतियां तैयार करने तथा जीवन स्तर को सुधारने हेतु जल,ऊर्जा एवं खनिज संसाधनों का प्रबंध करने हेतु काम में लाना हमारी परिकल्पना है।

वर्ष के दौरान तेउविबो ने एनजीआरआई को उनकी परियोजना 'बालुमय और मृतिका वातावरण में कार्बन डाईऑक्साइड एवं मिथेन हाईड्रेट प्रावस्था के स्थायित्व का प्रयोगशाला अध्ययन" के लिए 45 लाख रूपये का अनुदान दिया।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य सागर तल की बालुमय और मृतिका वातावरण वाली स्थितियों के समरूप स्थिति में गैस हाईड्रेट को मीथेन और कार्बन डाईऑक्साइड के अणुओं के साथ संश्लेषित करना है। गैस हाईड्रेट प्रणाली

की स्थिरता और आंशिक व पूर्ण रूप से जल संतृप्त तलछट में एक गैस बहुताय वातावरण में रूपांतरण दक्षता का परीक्षण किया जाता है।

गैस (CH4 और CO2)हाईड्रेटस कृत्रिम सिलिका में संश्लेषित किए गए। प्रयोगों में आयतन को स्थिर रखा गया। लगभग 100 प्रतिशत सिलिका मैट्रिक्स के पानी को बहुत कम समय (200–300 मिनट) में हाईड्रेटस में परिवर्तित कर दिया गया। अति संतृप्त प्रणालियों में रूपातंरण प्रक्रिया धीमी होती है। मिथेन हाईड्रेटस के लिए हाईड्रेटस रूपांतरण की दक्षता मामूली रूप से अधिक होती है और उनकी तापीय स्थायित्व अपेक्षित थर्मोडायनामिक सीमा की स्थितियों का पालन करती है। 1.5 से 2 डिग्री प्रति घंटा पर गर्म करने से हाईड्रेटस अलग हो गये।

4.2 इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (अनुसंधान एवं विकास)

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन (इंडियन ऑयल) भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक उद्यम है। वर्तमान में इसके कार्मिक 33,000 हैं। यह आधी सदी से अधिक अवधि से भारत ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा कर रहा है। इसका नैगम दर्शन 'देश की ऊर्जा' और 'दुनिया की एक सराहनीय कंपनी बनना' है। हाइड्रोजन के पूरे वैल्यू चेन में इंडियन ऑयल के कारोबार हैं– पेट्रोलियम उत्पादन की रिफाईनिंग पाइपलाइन, परिवहन और माक्रिटिंग से लेकर कच्चे तेल एवं गैस की खोज एवं उत्पादन प्राकृतिक गैस और पेट्रोरसायनों की मार्केटिंग के अलावा वैकल्पिक ऊर्जा और डाउनस्ट्रीम ऑपरेशंस के भूमंडलीकरण जैसे नए क्षेत्रों में कदम रखना।

इंडियन ऑयल का भारत के लगभग आधे पेट्रोलियम उत्पादन बाजार पर अधिकार है, देश की रिफाइनिंग क्षमता का 33% (इसकी सहायक कंपनी चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड या सीपीसीएल के साथ) और क्षमता के हिसाब से 71% डाउनस्ट्रीम सेक्टर पाइपलाइन पर इसका अधिकार है। इंडियन ऑयल ग्रुप के पास भारत की 23 रिफाइनरियों में से 11 का स्वामित्व और परिचालन है, जिनकी कुल रिफाइनिंग क्षमता 80.7 एमएमटीपीए (मिलियन मीट्रिक टन सालाना) है। कार्पोरेशन का पूरे देश में पाइपलाइन का विशाल नेटवर्क है। कच्चे तेल को रिफाइनरी ले जाने और तैयार उत्पादन को अधिक मांग वाले केंद्रों तक पहुंचाने के लिए लगभग 13400 किमी. का विशाल पाइपलाइन नेटवर्क है। कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए इसकी थ्रपुट कैपेसिटी 94.8 एमएमटीपीए है। गैस के लिए यह क्षमता 9.5 एमएमएस सीएमडी है। कार्पोरेशन इस नेटवर्क के माध्यम से ग्राहकों की उर्जा संबंधी जरूरतों को सफलतापूर्वक पूरा करता है और इसमें किफायत और पर्यावरण सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता है।

इंडियन ऑयल आर एंड डी ने कई स्वदेशी तकनीकियों का विकास किया है, जिसकी खास पहचान इनका उपसर्ग ''इंड'' है। इंडियन ऑयल आर एंड डी द्वारा विकसित प्रमुख तकनीक इंडमैक्स का पारादीप रिफाइनरी में दिसंबर 2015 में सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया। इसकी स्थापित क्षमता 4.17 एमएमटीपीए है।

क्रैक्ड गैसोलाइन के गहरे डीसल्फराइजेशन के लिए इंडएड्प्ट (INDAdeptG) तकनीक

इंडियन ऑयल अनुसंधान एवं विकास केंद्र ने यूरो IV सल्फर विनिर्देशों को पूरा करने के लिए क्रैक्ड गैसोलाइन से सल्फर कम करने के उद्देश्य से इंडएड्प्ट (INDAdeptG) प्रक्रिया और प्रोपराइट्री ऐड्सॉर्बेट का विकास किया। इस तकनीक में अधिशोषण और उत्थान के स्विंग मोड में संचालित दो स्थायी बेड रिएक्टर्स शामिल हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य अनुकूलित ऑपरेटिंग स्थितियों में गैसोलीन का गहरा डिसल्फराइजेशन करना है।

इस प्रक्रिया में, रिएक्टिव ऐड्सॉर्प्शन मैकेनिज्म के जरिए गैसोलीन में सल्फर हटाया जाता है और सल्फर–ब्रेकथ्रू प्वाइंट तक पहुंचने के बाद, नाइट्रोजन– हाइड्रोजन के सक्रिय मिश्रण से अधिशोषित सल्फर और कोक के ऑक्सीकरण द्वारा ऐड्सॉर्बेट का नियंत्रित स्थितियों में हल्की हवा (नाइट्रोजन–2 में 1% ऑक्सीजन–2) के साथ उत्थान होता है।

इंडएड्प्ट (INDAdeptG) तकनीक आईओसीएल अनुसंधान एवं विकास केंद्र के पिछले 10 सालों के व्यापक

गुवाहाटी रिफाइनरी में इंडएड्प्ट (INDAdeptG) इकाई

शोध कार्यों का नतीजा है। आईओसीएल अब इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) के साथ मिलकर इस प्रौद्योगिकी का लाइसेंस प्रदान कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.) और भारत में प्रक्रिया और एड्सॉर्बेट संरचना पर दो पेटेंट प्रदान किए गए हैं।

35000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता की एक प्रदर्शन इकाई 163.9 करोड़ रूपए की कुल परियोजना लागत के साथ गुवाहाटी रिफाइनरी में जनवरी 2017 में सफलतापूर्वक चालू की गई, जिसमें से 88.5 करोड़ रूप्ए अनुदान के तौर पर तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओईआईडीबी) द्वारा दिया जा रहा है और शेष धनराशि आईओसीएल उपलब्ध करा रहा है। फिलहाल यह इकाई बी.एस.–IV गैसोलाइन के उत्पादन के लिए 50 पीपीएम से कम के सल्फर उत्पाद के साथ भारी गैसोलीन अपग्रेड कर रही है।

वर्ष 2017–18 के दौरान 11 एड्सॉर्प्शन चक्र दोनों रिएक्टर्स में सफलतापूर्वक चलाये गये हैं और 700–800 पीपीएम फीड सल्फर से 5–50 पीपीएम सल्फर गैसोलीन उत्पादन किया गया।

5 हाइड्रोजन कॉर्पस फंड (एचसीएफ)

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक ऑटो ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग पर एक हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की स्थापना की है। भारतीय तेल उद्योग को इस सीमांत क्षेत्र में प्रगति करने के लिए प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के साथ सहक्रियात्मक रूप से और घनिष्ठ समन्वय में कार्य करना होगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ तेउविबो द्वारा निम्नानुसार योगदान के साथ 100 करोड़ रुपए का एक हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की स्थापना की है:

1	तेउविबो	40 करोड़ रुपए
2	ओएनजीसी, आईओसी, गेल	16 करोड़ रुपए प्रत्येक
3	एचपीसीएल, बीपीसीएल	6 करोड़ रुपए प्रत्येक

तेउविबो द्वारा एचसीएफ के खातों का रखरखाव किया जाता है। हाइड्रोजन परियोजनाओं की पहचान करने और उनकी निगरानी के लिए सीएचटी, नोडल ऐजेंसी है। एचसीएफ के अंतर्गत आठ परियोजनाएं 27 करोड़ रूपये की लागत से पूरी की गई। 31.3.2018 तक एचसीएफ के तहत 147.47 करोड़ रुपए (लगभग) का कुल कॉपर्स उपलब्ध हैं।

अध्याय
5

तेउविबो का ऊर्जा सुरक्षा में योगदान

ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने विशेष प्रयोजन व्यवस्था (एस पी वी) के द्वारा 5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कच्चे तेल का एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने का निर्णय लिया है। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) नामक यह विशेष प्रयोजन व्यवस्था प्रारंभ में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी थी। बाद में 09.05.2006 से यह तेल उद्योग विकास बोर्ड (तेउविबो) की पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी बन गई। कैवर्न का निर्माण विशाखापट्टनम (1.33 एमएमटी), मंगलौर (1.5 एमएमटी) और पादुर (2.5 एमएमटी) स्थानों पर किया जा रहा है। एक बार कैवर्न पूरी होने पर इन भंडारों में भारत की 10 दिनों शुद्ध आयात की आवश्यकताओं के बराबर कच्चे तेल को भंडारित किया जा सकता है।

इस सामरिक भंडारण सुविधाओं के निर्माण की पूँजीगत लागत का मूलतः सितम्बर, 2005 में 2397 करोड़ रूपये आँका गया जो अब संशोधन के बाद 4098.35 करोड़ हो गया। कंपनी की प्राधिकृत एवं प्रदत्त पूँजी 31.03.2018 को क्रमशः 3832.56 करोड़ रूपये एवं 3681.06 करोड़ रूपये है। तेउविबो की आईएसपीआरएल में इक्विटी प्रतिभागिता 31.03.2018 तक 3681.06 करोड़ रूपये की है। 31.3.2018 को उपरोक्त तीनों स्थलों पर परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :

1. विशाखापट्टनम (भंडारण क्षमता 1.33 एमएमटी)

विशाखापट्टनम केवर्न को चालू कर लिया गया है। भूमिगत सिविल कार्य हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एचसीसी) द्वारा और प्रक्रिया सुविधाएं आईओटी इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड एनर्जी सर्विसिस लिमिटेड (आईओटीआईईएसएल) द्वारा निष्पादित किया गया था। इस सुविधा में दो कंपार्टमेंट हैं केवर्न ए (1.03 एमएमटी) और केवर्न बी (0.3 एमएमटी)। केवर्न ए सामरिक खनिज तेल हेतु है और इसे भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई निधियों से भरा गया है। एचपीसीएल विशाखापट्टनम में अपने रिफाइनरी प्रचालनों हेतु नियमित रूप से केवर्न बी का उपयोग कर रहा है।

एचपीसीएल ने विशाखापट्टनम में कच्चे तेल के लगभग 150 शिपमैंट प्राप्त किए हैं। एचपीसीएल ने आईएसपीआरएल के साथ 20 फरवरी 2018 को विशाखापट्टनम के लिए कच्चे तेल केवर्न के संबंध में एमझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

विशाखापट्टनम भंडार ने मार्च 2018 में रोटरडैम नीदरलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टैंक स्टोरेज पुरस्कारों में "पर्यावरण संरक्षण के लिए बडी प्रतिबद्धता" पुरस्कार प्राप्त किया।

विशाखापट्टनम साइट का हवाई दृश्य

2. मंगलौर (भण्डारण क्षमता : 1.5 एमएमटी) :

मंगलौर केवर्न सुविधा मंगलौर एसईजेड क्षेत्र में आती है। परियोजना हेतु मंगलौर स्पेशल इकोनोमिक जोन लिमिटेड (एमएसईजेडएल) से 104.73 एकड़ भूमि प्राप्त की गई थी। भूमिगत सिविल कार्यो को मैसर्स एसके इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन और करम चन्द थापर (एसकेईसी–केसीटी जेवी) के संयुक्त उद्यम द्वारा और प्रक्रिया सुविधाओं को मैसर्स पुंज लायड द्वारा निश्पादित किया गया था। भूमिगत सिविल कार्यो को पूरा कर लिया गया है और प्रक्रिया सुविधाएं भी पूर्ण कर ली गई हैं। मंगलौर कैवर्न परियोजना में 0.75 एमएमटी के प्रत्येक के 2 भूमिगत भंडारण कंपार्टमेंट हैं। परियोजना की पूंजीगत लागत 1227 करोड रूपये है।

परियोजना को ईरान से खनिज तेल के तीन पार्सल के साथ अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया था। मंगलौर में एक कंपार्टमेंट हेतु खनिज तेल की कुल लागत 1754 करोड़ रूपये है। 25 जनवरी, 2017 में एडीएनओसी तथा आईएसपीआरएल के मध्य मंगलौर स्थित कैवर्न ए को भरने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 10 फरवरी 2018 को अबू धाबी में ADNOC और आईएसपीआरएल के बीच संशोधित पुनर्स्थापित तेल भंडारण और प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। मई 2018 में ADNOC से मंगलौर के लिए कच्चे तेल की पहली शिपमेंट आने की संभावना है।

मंगलौर साइट का दृश्य

3. पादुर (भंडारण क्षमता : 2.5 मिलियन मीट्रिक टन) :

पादुर परियोजना हेतु उडूपी जिले के पादुर/हेरूरू गांवों में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के माध्यम से 179.21 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। यह आईएसपीआरएल द्वारा निष्पादित सबसे बड़ी परियोजना है। भूमिगत सिविल कार्यों को दो भागों में बांटा गया था अर्थात भाग क तथा भाग ख। भाग–क कार्य को मैसर्स एचसीसी और भाग–ख कार्य को मैसर्स एसकेईसी–केसीटी संयुक्त उद्यम को दिया गया था। भूमिगत कार्य 2014 में पूर्ण हुए थे और केवर्न स्वीकृति परीक्षण भी पूर्ण हो गए हैं। सुविधा में 0.625 एमएमटी के प्रत्येक 4 कंपार्टमेंट हैं। केवर्नों का इनर्टाइजेशन पूर्ण हो गया है। परियोजना की अंतिम पूर्णता 10 किलोमीटर लम्बी 110 केवीए की ओवरहेड विद्युत ट्रांसमीशन लाइन और साथ ही साथ मध्यवर्ती वाल्व स्टेशन पादुर तक एक 42 इंच व्यास वाली 36 किलोमीटर पाइपलाइन को बिछाए जाने पर निर्भर करेगी।

केपीटीसीएल (KPTCL) ने स्विचयार्ड चार्ज करने के लिए 22 जनवरी 2018 को अनुमति दी थी। 24 जनवरी 2018 को चार्जिंग पूरी हो गई। 15 और 16 फरवरी 2018 को मंगलौर पादुर 42″ इंच पाइपलाइन ऑडिट ओआईएसडी द्वारा किया गया। चालू करने के लिए सभी जांच पूरी की जा चुकी है। मंगलौर पादुर 42″ इंच पाइपलाइन को आरंभ करने के लिए पीईएसओ से अनुमोदन प्राप्त हुआ। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनुमोदन के पश्चात् परियोजना आरंभ की जाएगी।

पादुर में कैवर्न

4. सामरिक भंडारण कार्यक्रम का चरण–2

दिसम्बर, 2008 में मंत्रीमंडल द्वारा अनुमोदित एकीकृत ऊर्जा नीति (आईईपी) सिफारिश करती है कि सामरिक सह सुरक्षित भंडार के प्रयोजनों हेतु 90 दिवस के तेल आयात के समतुल्य एक भडारण को बनाया रखा जाए। दिसम्बर, 2009 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तैयार एक एप्रोच पेपर में वर्ष 2019–20 तक खनिज तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के 44.14 मिलियन मीट्रिक टन की कुल भण्डारण आवश्यकता को दर्शाया गया था।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से निर्देश के आधार पर, आईएसपीआरएल को चार राज्यों में चरण–2 में कच्चे तेल के 12.5 एमएमटी के सामरिक भंडारण हेतु विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) को तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। चुने गए स्थल राजस्थान में बीकानेर, उड़ीसा में चांदीखोल, गुजरात में राजकोट और कर्नाटक में पादुर है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को डीएफआर तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। ईआईएल द्वारा डीएफआर तैयार की जा चुकी है। जिसमें संशोधित क्षमताएं निम्नानुसार हैं :

1	पादुर	2.5 एमएमटी,
2	चांदीखोल	3.75 एमएमटी,
3	राजकोट	2.5 एमएमटी और
4	बीकानेर	3.75एमएमटी

बाद में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ–साथ एसबीआई कैप्स को चरण–2 कार्यक्रम के क्रियान्वयन के तरीके की सिफारिश करने हेतु नियोजित करने का आईएसपीआरएल को परामर्श दिया था।

निवेशकों के साथ बैठक 8–9 जून, 2015 को हुई थी जिसमें विभिन्न तेल तथा आधारभूत ढांचागत कंपनियों ने भाग लिया था। एसबीआई कैप्स की सिफारिशें प्राप्त हुई और उन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को संप्रेषित कर दिया गया था।

वित्त व्यय समिति (ईएफसी) ने 29 जुलाई, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में चरण–2 के अंतर्गत 9116 करोड़ रूपये की कुल लागत पर दो स्थलों ओडीशा में चांदीखोल (4.4 एमएमटी) और राजस्थान के बीकानेर में (5.6 एमएमटी) सामरिक भंडारणों के निर्माण की सिफारिश की थी। ईएफसी ने इन दो स्थलों हेतु 103 करोड़ रूपये के ओ एंड एम बजट को भी अनुमोदित किया है।

पीएमओ द्वारा गठित समिति की दिनांक 31.07.2017 को दी गई सिफारिशों के अनुसार चांदीखोल में 4.4 एमएमटी और पादुर में 2.5 एमएमटी का एसपीआर का निर्माण पीपीपी माडल के अंतर्गत किया जाएगा। दोनों साइटों को आवश्यकता के आधार पर एसपीएम रूप में समर्पित होना चाहिए। अनुमोदन के लिए कैबिनोट नोट बनाना आरंभ कर दिया गया है।

अध्याय
6

अन्य पहलें/ गतिविधियां

1 **तेउविबो राहत ट्रस्ट (तेउविबो आर टी)**

अप्रैल से जून 2000 तक की अवधि के दौरान कुछ राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में अभूतपूर्व सूखा पड़ा था। तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री, द्वारा की गई अपील की प्रतिक्रिया के रूप में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मई 2000 के दौरान इन राज्यों में सूखा प्रभावित ग्रामों को पेय जल के परिवहन हेतु डीज़ल की लागत वापिस करने का निर्णय लिया गया था। इस प्रयोजन के लिए, तत्कालीन माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के अनुमोदन से एक ट्रस्ट नामतः तेउविबो सूखा राहत ट्रस्ट का एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में 01.06.2000 को गठन किया गया था। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष पदेन सचिव (पीएनजी), ट्रस्ट के प्रबंधन ट्रस्टी पदेन, अपर सचिव (पीएनजी) और ट्रस्ट के सचिव के रूप में सचिव (ओआईडीबी) तथा तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अन्य प्रतिनिधि ट्रस्टियों के रूप इस ट्रस्ट में है। तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने इस कोष में 20.60 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्यों/प्रधानमंत्री राहत कोष और अन्य कल्याण संगठनों के लिए लगभग 21.40 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार, 16.01 करोड़ रुपए की निधियों (ब्याज सहित) तेउविबो राहत ट्रस्ट में उपलब्ध थी। चूंकि इस ट्रस्ट के लक्ष्य व उद्देश्य के आधार व्यापक हैं और अन्य राहत ट्रस्ट से अतिरिक्त अन्य कल्याणकारी उपायों के लिए भी वित्तीय सहायता को अनुमत कर रहे हैं, इसलिए इस ट्रस्ट के नाम को दिनांक 09.07.2010 से परिवर्तित करते हुए तेउविबो सूखा राहत ट्रस्ट से तेउविबो राहत ट्रस्ट कर दिया गया था।

2 **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक रूप से निःशक्तों का कल्याण।**

तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए तत्संबंधी दिशा–निर्देशों का पालन करती है। आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए तेउविबो में एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए रोस्टरों का रखरखाव किया जा रहा है और इन्हें संपर्क अधिकारी द्वारा जांचा जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्त जन की सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए वर्ष 2015 और 2016 के लिए रोस्टरों के निरीक्षक दिनांक 23/30 नवम्बर 2017 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया गया और पाया गया भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार रोस्टर को सही ढंग से रखा जा रहा है।

इसके अलावा अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्त जन के आरक्षित कोटे के स्थान पर उनके रोजगार में किसी प्रकार का बैक लॉग अथवा कमी नहीं है। वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के विरूद्ध किसी प्रकार की उत्पीड़न अथवा भेदभाव संबंधी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

3. **महिलाओं का कल्याण और सशक्तिकरण :**

तेल उद्योग विकास बोर्ड (तेउविबो) लैंगिक मुद्दों से निपटने तथा महिला सशक्तिकरण के कार्य को बढ़ावा देने में सक्रिय है। ''कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न'' की शिकायतों का निवारण करने हेतु इसकी सुनवाई के लिए तेउविबो द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार, तेउविबो में कुल 20 कर्मचारियों में 4 महिलाकर्मी हैं।

4. **सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन भाषा**

तेउविबो ने राजभाषा अधिनियम और इसके अन्तर्गत बने नियमों को अपने सचिवीय कार्यालय में कार्यान्वित किया है। तेउवि बोर्ड सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। तेउविबो, आधिकारिक कार्य में राजभाषा कार्यान्वयन को सवंर्धित करने में सदा प्रयासरत रहता है। तेउविबो के सभी नियम/समझौता ज्ञापन/करार द्विभाषी हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के क्रम में, तेउविबो में सचिव (तेउविबो) महोदय

की अध्यक्षता में एक आधिकारिक राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यरत है। यह समिति तेउविबो में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समग्र प्रगति तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति व कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। तेउविबो पहले ही राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के अन्तर्गत अधिसूचित है।

वर्ष 2017–18 के दौरान, राजभाषा हिन्दी के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए :

- हिन्दी दिवस के अवसर पर तेउविबो में 01.09.2017 से 17.07.2017 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान दिनांक 08.09.2017 को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- बोर्ड के कर्मचारियों को उनके कार्यों को हिन्दी में करने हेतु प्रोत्साहित करने के प्रयोजनार्थ विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें टिप्पण आलेखन, भाषा ज्ञान, वाद विवाद, दोहा प्रतियोगिता आदि षामिल किया गया। पखवाड़े के दौरान एक पुस्तक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया।
- हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, राजभाषा विभाग को नियमित रूप से भेजी गईं थीं।
- तेउविबो में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न विषयों पर त्रैमासिक आधार पर नियमित रूप से हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- तेउविबो ने अपनी अंतर्गृहीय वार्षिक पत्रिका "अनुभूति" का प्रकाशन जारी रखा। इस पत्रिका में साहित्य, कविता, धार्मिक विषय एवं सामाजिक संस्मरणों से संबंधित विषयों का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका का उद्देश्य आधिकारिक भाषा में लेखन कार्य के अलावा इसके प्रति रूचि उत्पन्न करना है।

5 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह

तेल उद्योग विकास बोर्ड में 21 जून 2017 को ''अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस'' का आयोजन, तेउबवेा, भवन, नोएडा में किया गया। तेउविबो भवन नोएडा में स्थिति अनुदानी संस्थाओं के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने ''अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस'' भाग लिया।

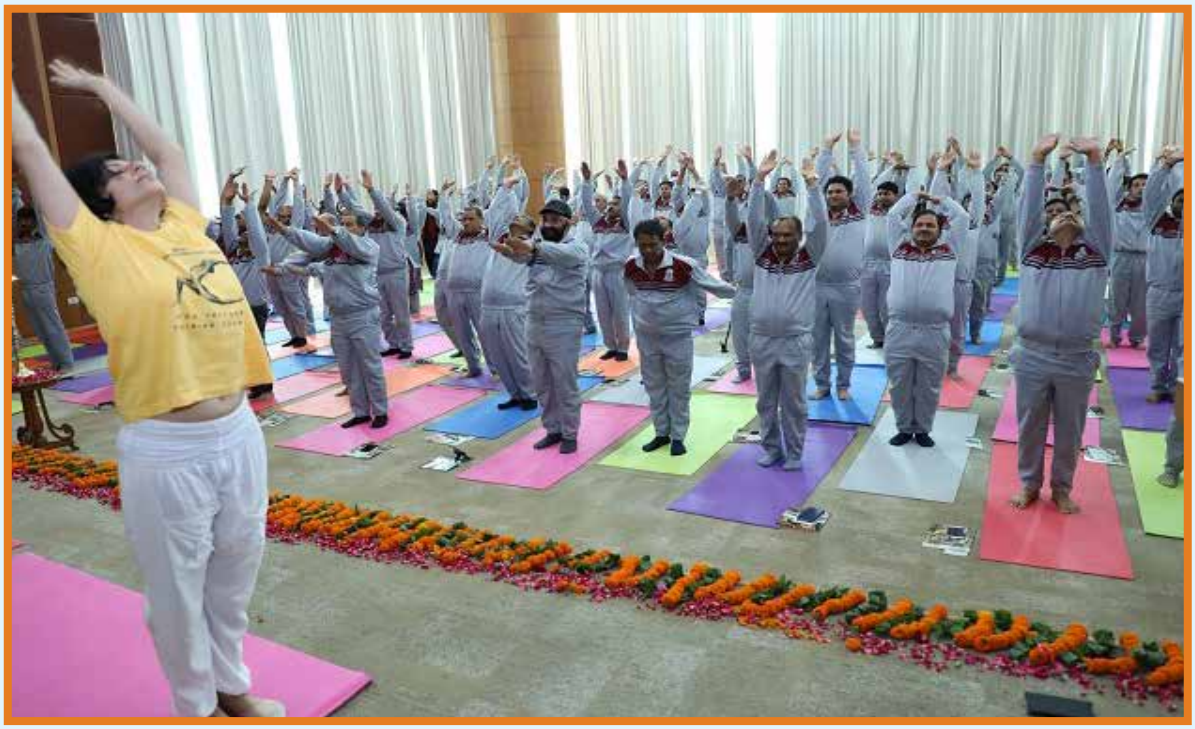

5. 43वां स्थापना दिवस समारोह

तेल उद्योग विकास बोर्ड में 11 जनवरी 2018 को अपना स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस समारोह में तेउविबो के सभी अधिकारी, कर्मचारी और तेउविबो भवन, नोएडा में स्थित अनुदानी संस्थाओं के कार्मिक भी उपस्थित थे। स्थापना दिवस के अवसर पर एक हास्य कवि सम्मेलन का भी आयोजन तेउविबो भवन, नोएडा के सभागार में किया गया। इस अवसर पर ''स्मारिका'' का भी विमोचन किया गया।

6. स्वच्छता पखवाड़ा समारोह

तेल उद्योग विकास बोर्ड ने दिनांक 16.07.2017 से 31.07.2017 के दौरान ''स्वच्छता पखवाड़ा'' मनाया और दिनांक 25.09.2017 से 2.10.2017 के दौरान ''स्वच्छता ही सेवा अभियान'' (एसएचएस) आयोजित किया। पखवाड़े के दौरान शपथ ग्रहण समारोह, नुक्कड़ नाटक, ओईडीबी भवन के आसपास के गंदे क्षेत्रों की पहचान कर उनमें सफाई अभियान, वृक्षारोपण, वॉकाथन और स्वच्छता पर अभिनव विचार पर बातचीत जैसी गतिविधियां आयोजित की गईं। ओआईडीबी के सभी कार्मिकों और तेउविबो भवन, नोएडा में स्थित अन्य अनुदानी संगठनों के कार्मिकों ने उपर्युक्त सभी गतिविधियों में भाग लिया।

7 सूचना का अधिकार अधिनियम

भारत सरकार की दिनांक 15 जून, 2005 की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 को तेउविबो में लागू किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम की रूपरेखा, अन्य बातों के साथ–साथ, सार्वजनिक प्राधिकरणों की कार्य–प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है।

सूचना का अधिकार, 2005 की धारा 5 तथा 19 के उपबन्धों के अनुसार तथा जारी किए गए सभी पूर्व आदेशों के अधिक्रमण में, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, उप मुख्य वित एवं लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी तथा प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) क्रमशः पारदर्शिता अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी तथा जन सूचना अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए हैं।

वर्ष 2017–18 के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 30 अभ्यावेदन/प्राप्तियां प्राप्त की गई हैं। प्राप्त हुए इन सभी 30 अभ्यावेदनों/प्राप्तियों के प्रत्युत्तर प्रेषित कर दिए गए हैं।

अनुलग्नक

31.03.2018 तक केन्द्र सरकार द्वारा एकत्रित उपकर एवं तेउविबो को आंबटित की गई धन राशि से संयोजित विवरण

(रू. करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	सरकार द्वारा कच्चे तेल पर संग्रह	सरकार द्वारा तेउविबो को किया गया भुगतान
1	1974-75	30.82	16.01
2	1975-76	50.05	62.27
3	1976-77	52.88	48.19
4	1977-78	63.72	50.10
5	1978-79	68.89	20.00
6	1979-80	69.70	140.00
7	1980-81	60.40	25.01
8	1981-82	138.97	142.92
9	1982-83	268.83	100.00
10	1983-84	812.80	-
11	1984-85	850.12	-
12	1985-86	897.66	-
13	1986-87	981.50	-
14	1987-88	1806.60	-
15	1988-89	2013.64	63.09
16	1989-90	2914.57	50.00
17	1990-91	2785.15	89.81
18	1991-92	2500.64	95.00
19	1992-93	2207.61	-
20	1993-94	2175.46	-
21	1994-95	2566.16	-
22	1995-96	2819.52	-
23	1996-97	2558.03	-
24	1997-98	2528.74	-
25	1998-99	2448.18	-
26	1999-00	2589.44	-
27	2000-01	2582.21	-
28	2001-02	2722.79	-
29	2002-03	4873.17	-
30	2003-04	4919.49	-
31	2004-05	5033.97	-
32	2005-06	4857.58	-
33	2006-07	6875.53	-
34	2007-08	6854.00	-
35	2008-09	6680.94	-
36	2009-10	6637.13	-
37	2010-11	7671.44	-
38	2011-12	8065.46	-
39	2012-13	14473.16	-
40	2013-14	14,542.38	-
41	2014-15	14,677.24	
42	2015-16	14,468.94	
43	2016-17	12,778.20	
44	2017-18	14246.20	
	Total	1,89,219.91	902.40

टिप्पणी: तेउविबो में प्राप्त उपकर संबंधित आकड़ें ओएनजीसी, ओआईएल एवं डीजीएच द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

अध्याय
7

वार्षिक लेखे

31.3.2018 की यथास्थिति को तुलन पत्र

(राशि लाख रूपये में)

कॉपर्स पूंजीगत निधि एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
कॉपर्स / पूंजीगत निधि	1	90240	90240
आरक्षित एवं अधिशेष निधियॉ	2	1068193	1055564
चिन्हित / अक्षय निधि	3	0	0
जमानती ऋण एवं उधार	4	0	0
गैर जमानती ऋण एवं उधार	5	0	0
आस्थगित जमा देनदारियॉ	6	0	0
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	7296	1129
योग		**1165729**	**1146933**
परिसम्पतियाँ			
अचल परिसम्पतियॉ (निवल ब्लॉक)	8	10204	11191
प्रगतित कार्य	8	50	49
निवेश – चिन्हित / अक्षय निधि	9	0	0
निवेश – अन्य	10	370290	359035
चालू परिसम्पतियॉ, ऋण, अग्रिम आदि	11	785184	776658
विविध खर्चे		0	0
(जिन्हें बट्टे खाते में डाला या समायोजित नहीं किया गया है)			
योग		**1165729**	**1146933**
लेखा संबंधी विशेष नितियॉ	25		
फुटकर देयताएं एवं लेखो पर टिप्पणियॉ	26		

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

ह./–
अजय श्रीवास्तव
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह./–
अशीष चटर्जी
सचिव

दिनांकः
स्थानः नई दिल्ली

31.3.2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

(राशि लाख रूपये में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
बिक्री / सेवाओं से आय	12	0	0
अनुदान / सबसिडी	13	0	0
फीस / अभिदान	14	0	0
निवेश से आय	15	0	0
रायल्टी, प्रकाशन, डीजीएच द्वारा डेटा बिक्री से आय	16	106	514
अर्जित ब्याज	17	53832	58974
अन्य आय	18	530	1292
तैयार माल एवं प्रगति पर कार्य के स्टॉक में बढोत्तरी / (कमी)	19	0	0
योग (क)		**54468**	**60780**
व्यय			
संस्थापन खर्च	20	487	284
अन्य प्रशासनिक खर्चे आदि	21	2248	941
अनुदान, सब्सिडी आदि पर खर्च	22	31552	57638
भुगतान किया गया ब्याज	23	0	0
राज्य सरकारों को रायल्टी	24	0	0
संदिग्ध ऋणो के लिए प्रावधान		0	0
मूल्यह्रास (वर्ष के अन्त मे अनुसूचि 8 के अनुसार निवल योग)	8	991	623
योग – ख		**35277**	**59486**
खर्च पर आय के आधिक्य का शेष (क–ख)		19191	1293
आयकर के लिए प्रावधान		6523	438
विशेष आरक्षित निधि में स्थानानतरण (प्रत्येक का उल्लेख करे)		-	-
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानान्तरण		-	-
आधिक्य के शेष को कॉपर्स / पूंजीगत निधि में स्थानान्तरित		**12668**	**855**
विशेष लेखा नीतियॉ	25		
फुटकर देयताएं एवं लेखा पर टिप्पणियॉ	26		

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

ह./–
अजय श्रीवास्तव
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह./–
अशीष चटर्जी
सचिव

दिनांकः
स्थानः नई दिल्ली

31.3.2018 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची 1 – कॉपर्स / पूँजीगत निधि

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
वर्ष के प्रारंभ में शेष		90240		90240
जोड़ें: कॉपर्स / पूंजीगत निधि में योगदान	-		-	
जोडें / (घटाएं): आय एवं व्यय खाते से निवल आय (खर्च) के शेष की स्थानान्तरित राशि	-		-	
वर्ष के अन्त में शेष		**90240**		**90240**

अनुसूची 2 – आरक्षित एवं अधिशेष निधियाँ

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
1. पूंजीगत आरक्षित निधि				
गत लेखो के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जमा	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी	(-)	-	(-)	
2. पुर्नःमूल्यांकन आरक्षित निधि				
गत लेखो के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जमा/घटा	-		-	
घटाएं वर्ष के दौरान कमी	(-)	-	(-)	
3. विशेष आरक्षित निधि				
गत लेखो के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जमा	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी	(-)	-	(-)	
4. सामान्य आरक्षित निधि				
विगत लेखो के अनुसार		1055564		1055059
वर्ष के दौरान जमा/घटा				
(i) व्यय पर आय से अधिक्य	12668		855	
(ii) घटाएं : कर प्रावधान का समायोजन	39	12629	350	505
कुल		1068193		1055564

अनुसूची 3 – चिन्हित / अक्षय निधि

(राशि लाख रूपये में)

	फंड के आधार पर निधियों का विवरण					योग	
	निधि	निधि	निधि	निधि	निधि	चालू वर्ष	गत वर्ष
(क) निधि का प्रारंभिक शेष							
(ख) निधि में परिवर्धन							
(i) दान / अनुदान							
(ii) निधि के निवेश से आय				शून्य			
(iii) अन्य परिवर्धन (प्रकार का उल्लेख करें)							
योग (क+ख)							
(ग) निधि के उद्देश्य के प्रति उपयोग / खर्च							
(i) पूँजीगत खर्चे							
– अचल परिसम्पतियॉ							
– अन्य							
योग :				शून्य			
(ii) राजस्व खर्चे							
– वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि							
– किराया							
– अन्य प्रशासनिक खर्चे							
योग :							
योग(ग)		-		-			
वर्ष के अन्त में निवल शेष (क+ख-ग)				-			

अनुसूची 4 . आरक्षित ऋण एवं उधार

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		
3. वित्तीय संस्थान		
क) आवधिक ऋण		
ख) अर्जित एवं प्राप्य ब्याज		
4. बैंक		
क) आवधिक ऋण	शून्य	
– अर्जित एवं प्राप्य ब्याज		
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		
– अर्जित एवं प्राप्य ब्याज		
5. अन्य संस्थान एवं एजेन्सी		
6. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र		
अन्य (उल्लेख करें)		
योग :		
टिप्पणी :– एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि		

अनुसूची 5 – अनारक्षित ऋण एवं उधार

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		
3. वित्तीय संस्थान		
4. बैंक :		
(क) आवधिक ऋण		
(ख) अन्य ऋण (उल्लेख करे)	शून्य	
5. अन्य संस्थान एवं एजेन्सी		
6. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र		
7. सावधि जमा		
8. अन्य (उल्लेख करें)		
योगः		
टिप्पणी :– एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि		

अनुसूची 6 अस्थगित जमा देनदारियाँ

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
(क) पूंजीगत उपकरण एवं अन्य परिसम्पत्तियों के बंधक रखने पर प्राप्त स्वीकृतियॉ	शून्य	
(ख) अन्य		
योगः		
टिप्पणी :– एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि		

अनुसूची 7 – चालू देयताएं एवं प्रावधान

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
क. चालू देयताएं एवं प्रावधान				
1. स्वीकृतियॉ		-		-
2. विविध लेनदार				
(क) माल के लिए	-		-	
(ख) अन्य	-	-	-	-
3. प्राप्त अग्रिम		-		-
4. उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं				
(क) जमानती ऋण / उधार	-		-	
(ख) गैरजमानती ऋण / उधार	-		-	
5. सांविधिक देयताएं				
(क) अतिशोध्य	-		-	
(ख) अन्य	-		-	
6. अन्य चालू देयताएं				
क) राज्य सरकारों तथा अन्य को रॉयल्टी का भुगतान	0		0	
ख) आय कर/टीडीएस/वक्रस कॉन्ट्रेक्ट देय कर	5		9	
ग) ठेकेदारों को भुगतान	232		266	
घ) अन्य	185		81	
ड) प्रतिभूति जमा ईएमडी के साथ	117		86	
च) रूकी हुई राशि मजदूरी उपकर के साथ दर (ठेकेदारों के कारण)	135	675	168	610
योग (क) :		**675**		**610**
(ख) प्रावधान				
1. करों के लिए		6521		438
2. ग्रेच्यूटी		0		0
3. सेवानिवृत्ति /पेंशन		0		0
4. संचित छुट्टी का नकदीकरण		96		77
5. व्यापार वारंटी/ दावे		-		-
6. अन्य–लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का प्रावधन		4		4
योग (ख)		**6621**		**519**
योग (क + ख)		**7296**		**1129**

अनुसूची 8 – अचल संपत्तियां

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1.4.2017 से आरंभ वर्ष में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	31.3.2018 वर्ष के अन्त में लागत/ मूल्यांकन	1.4.2017 से आरंभ वर्ष में लागत/मूल्यां. कन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौ. तियाँ	31.3.2018 वर्ष के अन्त में लागत/ मूल्यांकन	31.3.2018 को चालू वर्ष के अन्त में	31.3.2017 को पूर्व वर्ष के अन्त में
क स्थाई परिसम्पतियाँ										
1. भूमि										
(क) पूर्ण स्वामित्व	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	**0**	0
(ख) पट्टे पर	1941	**0**	**0**	1941	0	**0**	**0**	0	**1941**	1941
2. भवन										
(क) पूर्ण स्वामित्व भूमि पर	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	**0**	0
(ख) पट्टे वाली भूमि पर	10254	**0**	**0**	10254	4153	**610**	**0**	4763	**5491**	6101
(ग) स्वामित्व मकान/परिक्षेत्र	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	**0**	0
(घ) भूमि पर निर्माण जो संगठन से संबंधित नही है	32	**0**	**0**	32	20	**1**	**0**	21	**11**	12
3. प्लॉट मशीनरी एवं उपकरण	2970	**0**	**0**	2970	1717	**188**	**0**	1905	**1065**	1253
4. वाहन	7	**0**	**2**	5	5	**0**	**0**	5	**0**	2
5. फर्नीचर, फीक्सर्च	3171	**0**	**0**	3171	1314	**186**	**0**	1500	**1671**	1857
6. कार्यालय उपस्कर	55	**0**	**0**	55	43	**0**	**0**	43	**12**	12
7. कम्प्यूटर /बाह्य उपकरण	56	**1**	**0**	57	52	**2**	**0**	54	**2**	4
8. विद्युत संस्थापन	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	**0**	0
9. पुस्तकालय की पुस्तके	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	**0**	0
10. ट्यूब वैल तथा पानी की आपूर्ति	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	**0**	0
11. अन्य स्थिर परिसम्पतियॉ	23	**4**	**0**	27	14	**3**	**0**	17	**10**	9
चालू वर्ष का योगः	18509	**5**	**2**	18512	7318	**991**	**0**	8309	**10204**	11191
गत वर्ष :	17306	**1793**	**590**	18509	6695	**979**	**356**	7318	**11191**	**10611**
ख पूंजीगत चालू कार्य	49	**0**	**0**	49	0	**0**	**0**	0	**50**	49

अनुसूची 9 : चिन्हित /अक्षय निधि से निवेश

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियॉ	शून्य	
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियॉ		
3. शेयर		
4. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र		
5. नियंत्रित तथा सयुंक्त उद्यम		
6. अन्य (उल्लेख करें)		
योग :	-	-

अनुसूची 10 – अन्य निवेश

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियॉ	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियॉ	-	-
3. शेयर	-	-
बीको लॉरी लिमिटेड	5034	5034
4. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र	-	-
5. नियंत्रित तथा संयुक्त उद्यम आई एस पी आर एल	365256	354001
6. अन्य (उल्लेख करें)	-	-
योग :	**370290**	**359035**

अनुसूची 11 – चालू परिसम्पतियाँ,ऋण, अग्रिम आदि

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
I. चालू परिसम्पतियॉ				
1. इन्वेनटरी				
क) स्टोर एवं स्पेयर	-		-	
ख) खुले उपकरण	-		-	
ग) स्टॉक– इन–ट्रेड				
तैयार माल	-		-	
प्रगतित कार्य	-		-	
कच्चा माल	-		-	
2. फुटकर देनदारी				
क) छ महीने से ज्यादा बकाया देनदारियॉ	-		-	
ख) अन्य	-	-	-	-
3. कुल नकद शेष (इसमें चैक/ड्राफ्ट/ अग्रदाय सहित)	0	0		0
4. बैंक शेष				
क) अधिसूचित बैंको के पास				
– चालू खातों पर	-		-	
– जमा खातों पर	326034		193100	
– बचत खातों पर	18348	344382	4296	197396
ख) अनाधिसूचित बैंको के पास				
– चालू खातों पर	-		-	
– जमा खातों पर	-		-	
– बचत खातों पर	-	-	-	-
5. डाक घर– बचत खाते		-		-
योग (क) :		**344382**		**197396**

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसम्पततियॉ				
1. ऋण				
क) स्टाफ	16		17	
ख) तेल क्षेत्र की सार्वजनिक इकाईयॉ (अनुलग्नक II)	399500		534509	
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-		-	
		399515		**534526**
2. अग्रिम एवं अन्य राशियॉ जो कि नकद या अन्य प्रकार से प्राप्य है				
क) पूंजीगत खातों पर (आईएसपीआरएल को अग्रिम)	3282		4698	
ख) अग्रिम किराया	223		225	
ग) अन्य (इसमें अग्रिम कर, टीडीएस तथा एम एम सैल,प्रतिभूति जमा तथा सीएचटी को दिया गया अग्रिम शामिल है)	19891	**23396**	21426	**26350**
3. उपार्जित आय				
क) चिन्हित / अक्षय निधि में निवेश	-		-	
ख) अन्य – निवेश	4551		1841	
ग) ऋण एवं अग्रिम	2820		6280	
घटाएं: संदिग्ध ऋणों का प्रावधान (पूर्व वर्षों में किया)	2711		2711	
घ) अन्य (डीजीएच से डेटा बिक्री)	5	**4665**	2	**5411**
4. वसूली योग्य दावे				
(I) (विरोध के तहत भुगतान किया गया कर)	12894		12895	
(II) प्राप्य राशि	332	**13226**	80	**12975**
योग (ख):		**440802**		**579262**
योग (क + ख) :		**785184**		**776658**

अनुसूची 12 . बिक्री/ सेवाओं से आय

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री		
ख) कच्चे माल की बिक्री		
ग) खंडित माल की बिक्री		
2. सेवाओं से आय	शून्य	
क) मजदूरी एवं प्रक्रिया प्रभार		
ख) व्यावसायिक/परामर्शी सेवाएं		
ग) ऐजेंसी कमीशन तथा दलाली		
घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/ सम्पति)		
ड.) अन्य (उल्लेख करें)		
योग :		

अनुसूची 13 – अनुदान / सहायता

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
(अवसूलीय अनुदान तथा प्राप्त सहायता		
1) केंद्रीय सरकार		
2) राज्य सरकारें		
3) सरकारी एंजेंसियॉ	शून्य	
4) संस्थान/कल्याणकारी निकाय		
5) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन		
6) अन्य (उल्लेख करें)		
योगः		

अनुसूची 14 – शुल्क / अभिदान

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	शून्य	
2. वार्षिक शुल्क / अंशदान		
3. सेमीनार / कार्यक्रम शुल्क		
4. परामर्शदाता शुल्क		
5. अन्य (उल्लेख करें)		
योगः		

अनुसूची 15 – निवेशों से आय

	चिन्हित निधियों से निवेश		निवेश- अन्य	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
(चिन्हित / अक्षय निधियों से निवेश पर आय)	शून्य			
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर				
ख) अन्य ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र				
2. लाभांश				
क) शेयरों पर				
ख) मयूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर				
3. किराया				
4. अन्य–एन आर एल इक्विटी की बिक्री से पूंजीगत लाभांश				
योग :				
चिन्हित / अक्षय निधियों में अंतरण				

अनुसूची 16 – रायल्टी, प्रकाशन, डीजीएच द्वारा डेटा बिक्री आदि से आय

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1.रायल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशनों से आय	-	-
3. अन्य – डीजीएच द्वारा डेटा बिक्री से आय	106	514
योग :	**106**	**514**

अनुसूची – 17 अर्जित ब्याज

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सावधि जमा पर :		
क) अधिसूचित बैंको के पास (सावधि जमा)	16529	7210
ख) अनाधिसूचित बैंको के पास	-	-
ग) संस्थानो के पास	-	-
घ) अन्य	-	-
2. बचत खातो पर		
क) अधिसूचित बैंको के पास	552	244
ख) अनाधिसूचित बैंको के पास	-	-
ग) डाक घर बचत खाते	-	-
घ) अन्य	-	-
3. ऋणों पर		
क) कर्मचारी / स्टॉफ	10	1
ख) तेल कम्पनियॉ	36674	51519
4. देनदारी तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज		
(क) चल अग्रिम पर ब्याज	0	0
(ख) आय कर विवरणी पर ब्याज	67	0
योग:	**53832**	**58974**
टिप्पणी – स्रोत पर कर कटौती का उल्लेख करें।	**5379**	**5578**

अनुसूची 18 – अन्य आय

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. परिसम्पत्तियों के बिक्री/ निपटान पर लाभ		
क) स्वयं खरीदी गई परिससम्पत्तियां	-	-
ख) प्राप्त अनुदान से खरीदी गई या मुफ्त में प्राप्त परिसम्पततियां	-	-
2. निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3. विविध के लिए शुल्क	-	-
4. पूर्व अवधि आय	0	3
4. विविध आय		
(i) किराये से आय – रू. 424.00	530	1289
(ii) खर्च न की गई अनुदान की वापसी – रू. 106.00		
योग:	**530**	**1292**

अनुसूची 19 – तैयार माल या चालू कार्यों के भंडार मे वृद्धि /कमी

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) अन्तिम स्टॉक	शून्य	
– तैयार माल		
– कार्यगत राशि		
ख) घटाएं : आरम्भिक स्टॉल		
– तैयार माल		
– कार्यगत राशि		
निवल जमा (घटा) (क + ख)		

अनुसूची 20 – स्थापना खर्चे

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) वेतन एवं मजदूरी	279	209
ख) भत्ते एवं बोनस	34	26
ग) भविष्य निधि में अंशदान	0	0
घ) तेउविबो कर्मचारी ग्रुप ग्रेच्यूटी तथा पेंशन निधि में अंशदान	137	20
ड.) चिकित्सा खर्चो सहित कर्मचारी कल्याण खर्चे	17	17
च) कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति तथा सेवान्त लाभ	19	11
छ) अन्य (इसमें संविदा प्रकोष्ठ सम्मलित है)	1	2
योग:	**487**	**284**

अनुसूची 21– अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि लाख रूपये में)

		चालू वर्ष	गत वर्ष
क) क्रय		0	0
ख) मजदूरी तथा संसाधित खर्चे		0	0
ग) गाड़ी तथा भाड़ा		0	0
घ) विद्युत तथा बिजली		443	398
ड) जल प्रभार		2	1
च) बीमा		1	2
छ) मरम्मत एवं रखरखाव		171	166
ज) उत्पाद कर		0	0
झ) किराया, दरें तथा कर		25	25
त्र) गाडियों का चालन एवं रखरखाव		12	13
ट) डाक, तार एवं दूरभाष प्रभार		5	5
ठ) मुद्रण तथा लेखा सामग्री		7	11
ड्) विविध खर्चे		4	8
ढ) सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं पर खर्चे		4	3
ण) अभिदान खर्चे		0	0
त) शुल्क पर खर्चे		0	0
थ) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		0	1
द) आतिथ्य खर्चा		0	0
ध) व्यावसायिक प्रभार		59	24
न) संदिग्ध ऋण/अग्रिम के लिए प्रावधान		0	0
प) बट्टे खाते में डाले गए अवसूलीय खर्चे		0	0
फ) पैकिंग प्रभार		0	0
ब) माल भाड़ा तथा अग्रेषण खर्चे		0	0
भ) संवितरण खर्चे		0	0
म) विज्ञापन तथा प्रचार		8	4
य) अन्य (पूर्व अवधि खर्चे)	1239	1507	280
अन्य	269		
योग :	**1507**	**2248**	**941**

अनुसूची 22 – अनुदान, सहायता आदि पर व्यय

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) संस्थानो/ संगठनों को दिया गया अनुदान (अनुलग्नक।।।–ए)	31452	57638
ख) सरकार/ ते.उ.वि.बोर्ड द्वारा प्रायोजित योजना एवं परियोजनाओं के लिए सहायता (अनुलग्नक।।।–बी)	100	0
योग :	**31552**	**57638**

टिप्पणी – अनुलग्नक।।। (ए) तथा (बी) में कंपनी का नाम, उन्हें दी गई अनुदान/सब्सीडी राशि इंगित की गई है।

अनुसूची 23 – भुगतान किया गया ब्याज

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) स्थाई ऋणों पर	0	0
ख) अन्य ऋणो पर (बैंक प्रभार के साथ)	0	0
ग) अन्य	0	0
योग	0	0

अनुसूची 24 राज्य सरकारों को रॉयल्टी का भुगतान

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अरूणाचल प्रदेश सरकार	0	0
गुजरात सरकार	0	0
योग	**0**	**0**

अनुसूची–25 – महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. **लेखाकरण व्यावहारिक रीति**

वित्तीय विवरणपत्र, अनुदान सहायता को छोड़कर प्रोद्भवन आधार पर बनाये जाते हैं। अनुदानों का जिस वर्ष में भुगतान किया जाता है, उसी में इन्हें खर्च किया गया समझा जाता है और तदानुसार इन्हें राजस्व खर्चों में दर्शाया जाता है।

2. **निवेश**

दीर्घावधि निवेश लागत मूल्य पर लिए गए हैं। इन निवेशों की लागत दर्शाते समय उनमें अस्थाई आधार पर छोड़कर, मूल्यों में कमी का प्रावधान किया जाता है।

3. **स्थाई परिसम्पत्तियाँ**

स्थाई परिसम्पत्तियाँ के मूल्य में अभिग्रहण की लागत जिसमें अधिभार तथा कर तथा अभिग्रहण से संबंधित आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष खर्चे सम्मिलित हैं। निर्माण संबंधित परियोजनाओं में पूर्व–प्रचालित खर्चे पूंजीगत की जाने वाली आस्तियों के अंग बनते हैं।

4. **मूल्यह्रास**

1.1 मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 1961 में उल्लिखित दरों के आधार "मूल्यह्रास पद्धति" के अनुसार किया जाता है। स्थाई आस्तियों में वर्ष के दौरान हुई बढ़ोतरी/कमी के लिए मूल्यह्रास आयकर नियमों के आधार पर लिया जाता है। रूपये 5,000 या उससे कम कीमत की आस्तियों को पूर्ण रूप से समायोजित कर किया गया है।

5. **सरकारी अनुदान/सब्सिडी**

अनुदान, विभिन्न राज्य सरकारों/प्रचालकों को देय रायल्टी को छोड़कर जिसका भुगतान सरकार के आदेशानुसार किया जाता है, नकद के आधार पर लेखागत किया जाता है।

6. **आय**

व्यवहार्य परिसम्पतियों पर ब्याज एवं अन्य आय की गणना देय आधार पर होती है जबकि अव्यवहार्य परिसम्पत्तियों पर यह गणना उनकी प्राप्ति आधार पर होती है। व्यवहार्य परिसम्पतियाँ वह हैं जिन पर आय 90 दिन के बाद अदेय नहीं रहती है।

7. **विदेशी मुद्रा विनिमय**

विदेशी मुद्रा में किये गये लेन देन का लेखीकरण भुगतान किये जाने वाले दिन की विनिमय दर के आधार पर किया जाता है।

8. **लीज़**

लीज़ शर्तों के सन्दर्भ में लीज़ किराये को व्यय में दर्शाया जाता है।

9. **सेवानिवृत्ति लाभ**

9.1 तेउवि बोर्ड ने अपने वर्तमान कार्मिकों की पिछली सेवाओं की देयताओं के संरक्षण के लिए दो ट्रस्ट नामतः "तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रुप ग्रेज्यूटी योजना" तथा "तेउवि बोर्ड कर्मचारी सेवा निवृत्ति

योजना" की स्थापना की। योजनाओं के लिए निधियों की व्यवस्था ट्रस्ट के माध्यम से वास्तविक मूल्याकंन के आधार पर की जा रही है।

1.2 कर्मचारियों द्वारा संचित छुट्टियों के एवज में भुगतान की जाने वाली राशि का प्रावधान किया जाता है तथा इसकी गणना इस अवधारणा पर की जाती है कि कर्मचारी हर वर्ष के अन्त में उसका लाभ–प्राप्त करने का हकदार है।

अनुसूची–26 – आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएंः–

(क) वर्ष 2015–16 के दौरान, 10.80 लाख रूपये टीडीएस के दावों के प्रकटन के परिणामस्वरूप/ टीआरएसीईएस (आय कर विभाग) से डाउनलोड डिफॉल्ट सारांश के आधार पर वर्ष 2016–17 के लिए टीडीएस खातों के दावों को संशोधित कर 10.88 लाख रूपये किया गया। वर्ष 2008–09 से वर्ष 2017–18 से संबधित दावे निम्नानुसार हैंः–

निर्धारण वर्ष	राशि (लाख रूपये में)
2008–09	2.76
2009–10	0.05
2010–11	3.66
2011–12	2.53
2013–14	0.33
2014–15	0.17
2015–16	1.06
2016–17	0.32
कुल	10.88

उपरोक्त दावों को खातों में नहीं दर्शाया गया है जैसाकि तेउविबो, लेखा अधिकारी (टीडीएस) के समक्ष अपील दायर करने पर विचार कर रही है।

(ख) तेउविबो तथा मैसर्स गोदरेज एण्ड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के बीच तेउविबो भवन के जी+3 ब्लॉक के आंतरिक कार्य के निष्पादन से उत्पन्न एक आर्बिट्रेशन मामला था। आरबीट्रेटर द्वारा फैसला मैसर्स गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के पक्ष में दिया गया तथा उनके दावे रू0. 180. 41 लाख के बदले में रू0. 62.78 लाख की राशि देय करने का निर्णय दिया। तेउविबो ने माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में आरबीट्रेटर के फैसले के विरूद्ध एक याचिका दायर की। इसे ध्यान में रखते हुए, इस प्रावधान को खातों में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) विभिन्न मूल्यांकन वर्षो के लिए आयकर जिसके विरूद्ध विभिन्न प्राधिकरणों के पास लंबित अपीलों का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र0स0	निर्धारण वर्ष	धारा 271(1)(सी) के तहत लंबित अपील में शामिल राशि (रूपये करोड़ में)	मामले की स्थिति	धारा 143(3) के तहत लंबित अपील में शामिल राशि (रूपये करोड़ में)	मामले की स्थिति
1	2005–06	1.76	आईटीएटी के समक्ष लंबित अपील	–	
2	2006–07	1.85	आईटीएटी के समक्ष लंबित अपील	–	
3	2007–08	1.40	आईटीएटी के समक्ष लंबित अपील	–	आईटीएटी द्वारा केस को लेखा अधिकारी को दे दिया गया है। आज तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
4	2008–09	4.52	सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित अपील	5.63	आईटीएटी द्वारा केस को लेखा अधिकारी को दे दिया गया है। आज तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
5	2010–11	22.77	सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित अपील	28.97	आईटीएटी द्वारा केस को लेखा अधिकारी को दे दिया गया है। आज तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
6	2011–12			28.54	आईटीएटी के समक्ष लंबित अपील
7	2012–13			20.51	आईटीएटी के समक्ष लंबित अपील
8	2013–14			3.85	सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित अपील
9	2014–15			14.71	सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित अपील
	कुल	32.30		115.20	

आगे, निर्धारण वर्ष 2009–10 के लिए, टैक्स विभाग ने आईटीएटी के समक्ष अपील की थी और कर निर्धारण अधिकारी के लिए मामला अलग रखा गया है इसलिए 17.74 करोड़ रूपये की इस राशि को आकस्मिक देयताओं की राशि बनाया जायेगा।

2. **वचन बद्धताएँ**

पूंजीगत

क) भुगतान के लिए अन्तिम बिलों के मूल्य रूपये 331 लाख (लगभग) पर, पीएमसी और ठेकेदारों से स्पष्टीकरण के अभाव में उनपर विचार नहीं किया गया है।

ख) (i) इंडियन स्टैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) द्वारा बनाए जा रहे कार्यनीतिक कच्चे तेल भण्डारण के निर्माण हेतु सरकार के निर्देशानुसार परियोजना के लिए रूपये 383256 लाख तेउविबो द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे तथा शेष राशि रूपये 26579 लाख आनुपातिक लागत के अपने भाग के रूप में एचपीसीएल द्वारा दी जाएगी।

(ii) तेउविबो ने मार्च 2018 के अंत तक मैसर्स इंडियन स्टैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड(आईएसपीआरएल) को रूपये 368538 लाख (गत वर्ष 358700 लाख) इक्विटी के रूप में निवेश के लिए दिये। कंपनी पहले ही रूपये 3652564700/– लाख के 3652564670 शेयर, 10/– रूपये प्रति प्रमाणपत्र आबंटित कर शेयर प्रमाण जारी कर चुकी है। शेष रूपये 3283 लाख की राशि 31 मार्च 2018 तक शेयरों के आबंटन के लिए लंबित है।

3. **चालू परिसम्पतियाँ, ऋण तथा अग्रिम**

क) सरकार के निर्देशानुसार, बीको लारी लिमिटेड को दिये गये रूपये 32.76 करोड़ के ऋण को कंपनी में तेउविबो की इक्विटी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। शेयर प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जा चुका है। इस ऋण को इक्विटी में परिवर्तन के पश्चात् बीको लॉरी लिमिटेड में तेउविबो की कुल इक्विटी रूपये 17.58 करोड़ से बढकर रूपये 50.34 करोड़ हो गई है, जो कि कंपनी की कुल इक्विटी का 67.33% है।

सीसीईए ने रूपये 59.60 करोड़ के संचित घाटे को समाहित करने की मंजूरी द्वारा बीएलएल की इक्विटी की पूंजी को रूपये 74.76 करोड़ से घटाकर रूपये 15.16 करोड़ करने की स्वीकृति दी है। बीएलएल की इक्विटी में कमी से तेउविबो को रूपये 40.13 करोड़ का नुक्सान होगा क्योंकि रूपये 50.34 करोड़ रूपये की तेउविबो की इक्विटी 4.93:1 के अनुपात में घटकर रूपये 10.21 करोड़ हो जाएगी।

बीएलएल द्वारा कंपनी अधिनियम के तहत मामले को संकलित कर लेने के पश्चात् तेउविबो, बीएलएल में इक्विटी पूंजी की कमी के कारण तेउविबो के घाटे को बट्टे खाते में डालने को तेउविबो/केन्द्रीय सरकार के समक्ष ले जाएगा। केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति के पश्चात् हानि को आईसीएआई के लेखा मानक–13 के अनुसार तेउविबो के लेखा खातों में दर्शा दिया जाएगा।

ख) केनफिना तथा बीको लॉरी लिमिटेड से वसूले जाने वाले ब्याज क्रमशः रूपये 2443 लाख रूपये तथा रूपये 268 लाख था। यूटीआई 1964 योजना यूनिट के तहत प्रतिभूतियों से संबंधित मामला पर मुकदमेंबाजी चल रही है। चूंकि इस राशि की वसूली संदिग्ध है, अतः लेखों में इसे पहले ही संदिग्ध कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

ग) तेउविबो द्वारा निर्णय लिया गया है कि अपने अनुदानी संस्थानों से कोई किराया तथा रखरखाव प्रभार नहीं लिया जाएगा इसलिए अनुदानी संस्थानों से न तो कोई वसूली की गई और न ही अनुदानी संस्थानों से किराया या रखरखाव प्रभार के अन्तर्गत लेखों में वसूली योग्य राशि दर्शायी गई है। चूंकि आईएसपीआरएल, तेउविबो की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, इसलिए आईएसपीआरएल से कोई किराया, रखरखाव नहीं लिया जाता है।

4. **कर निर्धारण**

(क) चूँकि तेउविबो आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत एक आयकर भुगतान वाली कंपनी है अतः आयकर के लिए प्रावधान करना आवश्यक समझा गया है। संलग्न लाभ तथा हानि लेखे (अनुलग्नक-I) आयकर विभाग को देय आयकर की गणना करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) (गपप) के तहत आयकर कटौती के लिए प्राधिकृत संस्थान के रूप में अधिसूचित करने के पश्चात तैयार किए गए हैं।

(ख) वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, आय कर विभाग ने धारा 143 (3) के अन्तर्गत मूल्याकंन वर्ष 2014–15 के लिए 14.71 करोड़ रूपये की मांग की है और उसे निर्धारण वर्ष 2015–16 में कर वापसी के समक्ष समायोजित कर लिया गया है। हालांकि, निर्धारण वर्ष 2014–15 के लिए विभाग द्वारा किए गए संशोधन पर सीआईटी ;एद्ध के समक्ष अपील लम्बित है।

5. बोर्ड, वर्ष के दौरान 1239 लाख रूपये के समयपूर्व खर्चे का दावा कर रहा है। जिसमें आईएसपीआरएल चरण II परियोजना के डीएफआर से संबंधित 1236 लाख रूपये के खर्चे शामिल हैं।

6. तेउविबो द्वारा वर्ष के दौरान किए गए दूरभाष, इन्टरनेट सुविधा प्रबंधन, विद्युत भार तथा डीजल प्रभार आदि की समानुपातिक लागत आईएसपीआरएल को डेबिट की जा चुकी है।

7. तुलन पत्र की अनुसूची 25 मत्वपूर्ण लेखांकन नीति के खण्ड 6 के अनुसार बीएलएल से रूपये 95.16 लाख के ब्याज को आय में नहीं दर्शाया गया है।

8. (i) आईसीएआई द्वारा जारी AS-15 के प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यमान कर्मचारियों की सेवानिवृत्त लाभ के लिए पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि के लिए बोर्ड ने दो विभिन्न ट्रस्टों (न्यासों) नामतः "तेउवि बोर्ड कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजना" तथा तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रेच्युटी योजना का गठन किया।

(ii) तेउवि बोर्ड ने आयकर विभाग में आयकर अधिनियम 1961 की चौथी अनुसूची के भाग बी तथा भाग सी के तहत अपनी दो योजनाओं क्रमशः "तेउविबो कर्मचारी ग्रेच्युटी योजना" तथा "तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रेच्युटी योजना के लिए कर में छूट के लिए आवेदन दिया है। उत्तर की प्रतीक्षा है।

9. चार्टर्ड एकांउट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानक लेखाकरणों का जहां लागू हो अनुपालन किया गया है।

10. 1 से 26 तक अनुसूचियां संलग्न हैं तथा ये दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखे तथा तुलनपत्र का अन्तरिम भाग है।

11. तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा, लाभ तथा हानि लेखा, तथा सूचियों के आँकडे को निकटतम लाख रूपये के गुणांक में दर्शाया गया है। पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार सुव्यवस्थित/सुगठित किया गया है।

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

ह./–

(अजय श्रीवास्तव)

वित्तीय सलाहकार एवं मु0ले0अधिकारी

ह./–

(आशीष चटर्जी)

सचिव

दिनांक :

स्थान : नई दिल्ली

अनुलग्नक-I
(सदर्भ अनुसूची 26, नोट सं. 4(क)

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष की लाभ एवं हानि खाता

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	अनुसूची सं.	2017-18	2016-17
आय			
ब्याज आय	17	53832	58974
निवेश से आय	15	0	0
अन्य आय	16 & 18	636	1806
योग		**54468**	**60780**
खर्चे			
प्रत्यक्ष प्रचालन पर व्यय	22 & 24	31552	57638
कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते	20	487	284
प्रशासनिक खर्चे	21	2248	941
अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	8	991	623
योग		**35277**	**59487**
वर्ष के लिए लाभ		**19191**	**1293**
कर पूर्व लाभ		**19191**	**1293**
घटायें: कर के लिए प्रावधान		**6523**	**438**
कर पश्चात शुद्ध लाभ, तुलन पत्र में स्थानांतरित		**12668**	**855**
विशेष लेखानीतियों एवं लेखों पर टिप्पणी	25 & 26		

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

ह./-
अजय श्रीवास्तव
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह./-
अशीष चटर्जी
सचिव

दिनांक:
स्थान: नई दिल्ली

अनुलग्नक II

(सन्दर्भ : अनुसूची 11(बी)

सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों से 31 मार्च 2018 तक ऋणों के बकाये का विवरण

(राशि लाख रूपये में)

क्रम सं;	1.4.2017 को आरंभिक शेष	वर्ष 2017 –18 के दौरान संवितरित ऋण	तेल उपक्रमों द्वारा वर्ष 2017– 18 के दौरान वापस किए गए ऋण	तेल उपक्रमों द्वारा वर्ष 2017– 18 के दौरान वापस किए गए ऋण	31.03.2018 को अंतिम शेष
1	आईओसीएल	157475	0	68831	88644
2	बीपीसीएल	179513	0	43718	135795
3	एचपीसीएल	28375	0	9569	18806
4	बीसीपीएल	129079	15758	12650	132187
5	बीएलएल	1200	0	0	1200
6	एमआरपीएल	25000	0	17500	7500
7	गेल गैस लिमिटेड	13867	3557	2056	15368
	कुल	**534509**	**19315**	**154325**	**399500**

अनुलग्नक – III क

सन्दर्भ अनुसूची 22

वर्ष 2017–2018 के दौरान दिए गए अनुदान को दर्शाने वाली तालिका

(राशि लाख रूपये में)

Sl. No.	संस्थान को नाम	2017-18	2016-17
क	**संस्थान का नाम**		
	नियमित अनुदानी संस्थान		
1	हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय	18950	12153
2	पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन	4388	4125
3	उच्च प्रोद्योगिकी संस्थान	3212	1982
4	पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ	2134	2082
5	तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय	1639	1606
	योग (क)	**30323**	**21948**
ख	**अनुसंधान एवं विकास अनुदान**		
6	एनजीएचपी– II	0	32102
7	आईओसीएल(प्छक। क्मचजे) अनु0एवंवि0 केन्द्र,फरीदाबाद	1043	3588
8	ऑयल इंडिया लिमिटेड – एकल सदस्य समिति के शुल्क का भुगतान	41	0
9	**एनजीआरआई**	45	0
	योग (ख)	**1129**	**35690**
	योग (क+ख)	**31452**	**57638**

अनुलग्नक – III (बी)
(सन्दर्भ अनुसूची 22)

भारत सरकार/ते.उ.वि.बो द्वारा प्रायोजित योजनाओं/परियोजनाओं पर वर्ष 2017–2018 के दौरान व्यय

(राशि लाख रूपये में)

Sl.No.	संस्थान का नाम	2017-18	2016-17
1	हाईडोकार्बन सेक्टर स्किल परिषद	100	0
	कुल योग (सी)	**100**	**0**

अध्याय
8

भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड, नोएडा के लेखों पर भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक का पृथक लेखा प्रतिवेदन।

1. हमने, तेल उद्योग विकास बोर्ड के दिनांक 31 मार्च 2018 तक के तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के आय तथा व्यय लेखों की लेखा परीक्षा, भारत के नियत्रंक और महालेखा परीक्षक द्वारा तेल उद्योग विकास अधिनियम 1971 की धारा 20(2) के साथ पठित नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियॉ तथा सेवा की शर्तो) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत लेखा परीक्षा की है। जिसे तेल उद्योग विकास अधिनियम 1974 (तेउविबो नियम 1974) की धारा 20(2) के साथ पढ़ा जाए। इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व ते.उ.वि.बो. के प्रबंधन का है हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों पर लेखा परीक्षा के आधार पर अपना मत प्रस्तुत करना है।

2. इस पृथक, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में केवल वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण प्रथाओं के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटन मानकों आदि के संबंध में केवल लेखाकरण व्यवहार पर नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमित्तता) तथा दक्षता एवं निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन–देन पर लेखा परीक्षा अभियुक्तियां यदि कोई हो, निरीक्षण/प्रतिवेदनों/सीएंडएजी के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अलग से सूचित की जाती है।

3. हमने, अपने लेखा परीक्षण, भारत में सामान्य रूप से लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर किए हैं। इन मानकों के अनुसार हम लेखा परीक्षण इस प्रकार योजित एवं निष्पादित करते हैं ताकि इस बात से आश्वासित किया जा सके कि लेखा परीक्षण में कोई भी अयथार्थ विवरण नहीं है। एक लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच मूल्यों से संबंधित प्रमाण तथा तालिका में उनका प्रकटन होना चाहिए। लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखा परीक्षणों के सिद्धान्तों का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों तथा वित्तीय कथनों के सम्पूर्ण प्रदर्शन का मूल्यांकन करना शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षण हमारी राय को एक उचित आधार प्रदान करते हैं।

4 लेखा परीक्षणों के आधार पर हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

(i) हमने, वह सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थी।

(ii) इस रिपोर्ट द्वारा विचारित तुलन–पत्र, आय एवं व्यय लेखा वर्ष 2007 में भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित किए गए सामान्य प्रारूप के अंतर्गत तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में जैसाकि हमारे निरीक्षण में लगा कि तेउविबो द्वारा उचित लेखा पुस्तिकाएं तथा संबंधित रिकार्ड अद्यतन किए जा रहे हैं।

(iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) लेखों पर टिप्पणियाँ

क) तुलनपत्र : देयताएं : चालू देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 7) : 7296 लाख रूपये

उपरोक्त उल्लिखित में 6.63 लाख रूपये की कमी निम्नलिखित कारण से है :

(i) ब्रिज लोन के संबंध में अर्जित दंडस्वरूप ब्याज के लिए 4.41 लाख रुपए की राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि दंडस्वरूप ब्याज का भुगतान उपलब्ध नहीं था। बीएलएल की खराब वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, किसी प्रकार की उचित निश्चितता नहीं थी कि दंडस्वरूप ब्याज राशि की वसूली हो जाएगी।

(ii) मार्च 2018 माह में तेल उद्योग विकास बोर्ड में प्राप्त विद्युत व्यवस्था के प्रचालन और रखरखाव से संबंधी शुल्कों के लिए मैसर्स स्टर्लिंग एंड विल्सन के 2.22 लाख रुपए के दावों की राशि का प्रावधान नहीं किया गया है।

उपर्युक्त के गैर–प्रावधान के परिणामस्वरूप "व्यय की तुलना में आय" के संदर्भ में 6.63 लाख रुपए का ओवरस्टेटमेंट भी हुआ है।

(ख) निवेश (अनुसूची 10) – अन्य : 370290 लाख :

आर्थिक मामलों की केबिनेट समिति के निर्णय के अनुसार मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड में इक्विटी निवेश में कटौती न करने के कारण उपरोक्त में 4013 लाख रूपये अधिकतर हो गए हैं जिस कारण "आय की व्यय से अधिकता" इस राशि के बराबर है।

(ग) चालू देयताएं, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची 11) : 785184 लाख रूपये

उपरोक्त बीको लॉरी लिमिटेड को दिए गए ब्रिज लोन के प्रावधान को न करने के कारण से 1200 लाख रूपये अधिक हो गये हैं, हालांकि, ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता था। बीएलएल की खराब आर्थिक हालत को देखते हुए कोई भी तर्कसंगत उम्मीद इस राशि को वापस करने की नहीं थी। इस कारण से "आय की व्यय से अधिकता" इस राशि के बराबर है।

(घ) सार्थक लेखांकन नीतियां (अनुसूची 25)

आय के संबंध में सार्थक लेखांकन नीति संख्या 6 के संदर्भ अपेक्षित हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी निर्दिष्ट है कि "ब्याज और अन्य आय को निष्पादित परिसंपत्तियों के मामले में यथोचित आधार पर तथा गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को अर्जन आधार पर अर्जित

किया जाता है"। निष्पादित परिसंपत्तियां वे हैं जिनपर देय आय का 90 दिनों से अधिक अवधि तक भुगतान नहीं किया जाता है। उपर्युक्त लेखांकन नीति, लेखांकन नीति संख्या 1 के विपरीत है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निर्दिष्ट किया गया है कि वित्तीय विवरणों को संचय विधि के आधार पर तैयार किया जाता है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि ब्याज से संबंधित कैंफिना के 2443 लाख रुपए और बीएलएल के 268 लाख रुपए के लिए ओआईडीबी को जिम्मेदार माना गया है। चूंकि इन राशियों की वसूली संदिग्ध थी, इसलिए इन खातों में उपयुक्त प्रावधान कर दिए गए हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सार्थक लेखांकन नीति संख्या 6 को निम्नानुसार संशोधित किया जाना चाहिए।

"निष्पादित/गैर–निष्पादित संपत्तियों के मामले में ब्याज और अन्य आय अर्जित आधार पर लेखाबद्ध किए जाते हैं। निष्पादित वे संपत्तियां हैं जिनकी आय का अर्जन, आय के अर्जित होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर प्राप्त कर लिया जाता है। गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के मामले में, अर्जित आय के खातों में उचित प्रावधान किए जाते हैं"।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सार्थक लेखांकन नीति में कमी के कारण, ओआईडीबी ने मैसर्स बीएलएल को प्रदान किए गए ऋण पर अर्जित ब्याज के रूप में 915.16 लाख रूपए को लेखाबद्ध नहीं किया था जिसे वर्ष 2017–18 के दौरान गैर–निष्पादित संपत्ति मान लिया गया था। इस प्रकार, बीएलएल से अर्जित ब्याज की राशि को लेखाबद्ध किया जाना चाहिए था और तत्पश्चात उसके लिए वर्ष 2017–18 के लेखों में उपयुक्त प्रावधान किया जाना चाहिए था।

(ड़) सामान्य

भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार के स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा से संबंधित दिशानिर्देशों के पैरा 7.01 के अनुसार, भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त निकायों को अपने खातों को एक समान प्रारूप में संकलित करने की आवश्यकता है। इसके लिए खातों में बैलेंस शीट, आय और व्यय खाता, उपर्युक्त वित्तीय विवरणों की अनुसूची, सार्थक लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, लेखा संबंधी टिप्पणियों के माध्यम से अन्य सूचनाओं के प्रकटीकरण और प्राप्ति एवं भुगतान संबंधी विवरण शामिल होने चाहिए। तथापि, वर्ष 2015–16 और 2016–17 के लिए भारत के सीएजी की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट संबंधी टिप्पणियों के बावजूद प्राप्ति और भुगतान विवरण तैयार नहीं किया गया है।

ख. अनुदान सहायता

वर्ष 2017–18 के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड को सरकार या सरकारी संस्थाओं से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई।

ग. प्रबंधन पत्र

वो कमियां जिन्हें लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है उन्हें ठीक करने/उन पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उसे सचिव, तेल उद्योग विकास बोर्ड को एक पृथक प्रबंधन पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया है।

(v) इस रिपोर्ट के अनुलग्नक में बताए गए महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(vi) पिछले अनुच्छेदों में, हमारे अवलोकन के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्ट के साथ तुलन पत्र एवं आय एवं व्यय लेखा तैयार किए हैं और लेखों की पुस्तिकाओं के अनुसार हैं।

(vii) हमारी राय में व हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कथित वित्तीय विवरणिकाओं जिन्हें उन पर दिए गए लेखा नीतियों व नोट के साथ पढ़ा जाए तथा इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुलग्नक–I में उल्लिखित विषय भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुरूप है, और एक सत्य व निष्पक्ष राय प्रदान करते हैं।

(क) जहॉ तक यह दिनांक 31 मार्च 2018 को तेल उद्योग विकास बोर्ड के कार्यों पर आधारित तुलन पत्र से संबंधित हैं और

(ख) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय लेखों से है, उस दिन समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय से अधिक व्यय के संबंध में है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

ह0/–
(रूप राशि)
प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा
तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–II, मुम्बई

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018

अनुसूची(संदर्भ अनुच्छेद 4(v) के संदर्भ में)

टिप्पणियां	प्रत्युत्तर
1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	तेल उद्योग विकास बोर्ड की वर्ष 2017–2018 की आंतरिक लेखा परीक्षा बाहरी चार्टर एकांटेंट्स फर्मों द्वारा कराई गई।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	अनुदानी संगठनों द्वारा किए गए कार्य की वास्तविक प्रगति प्राप्त करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और सुदृढ़ व औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए। अनुदान जारी करने के पश्चात तेउविबो अनुदानी संस्थानों से वार्षिक आधार पर परियोजना की वास्तविक प्रगति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाणपत्र लेता है। हालांकि कार्य, की वास्तविक प्रगति बोर्ड द्वारा न तो सत्यापित नहीं की जाती और न ही बोर्ड के पास कोई ऐसी प्रभावी प्रणाली है, जिससे अनुदान के उचित उपयोग को मॉनिटर किया जा सके।
3. अचल संपत्तियों के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली	स्थाई संपत्ति रजिस्टर, जिसमें सम्पतिवार पूर्ण और अद्तन विवरण जैसाकि–खरीद की तिथि/संपत्ति का अधिग्रहण, संपत्ति का वास्तविक मूल्य, संपत्ति का स्थान, संपत्ति का जोड़ना/घटाना/खरीदना, मूल्यह्रास, संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों, वाहन, फर्नीचर और फिक्सचर, कम्प्यूटरों/उससे संबंधित उपकरण, बिजली, संस्थापन आदि होते हैं, को उचित तरीके से नहीं बनाया गया है।
4. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता	जैसाकि बताया और सूचित किया गया, कि तेउविबो द्वारा सभी करों तथा सांविधिक देयताओं का भुगतान समय पर किया गया था।

ओआईडीबी के वित्ती य वर्ष 2017–18 के खातों पर सीएजी की लेखा परीक्षण संबंधी टिप्पणियां और ओआईडीबी की ओर से उत्तर

टिप्पणियां	प्रत्युत्तर
क लेखों पर टिप्पणियाँ क) बैलेंस शीटः देयताएंः वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची–7): 7296 लाख रुपए निम्नलिखित के कारण उपर्युक्त 6.63 लाख रुपए अल्प उल्लिखित है। (i) ब्रिज लोन के संबंध में अर्जित दंडस्वरूप ब्याज के लिए 4.41 लाख रुपए की राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि दंडस्वरूप ब्याज का भुगतान उपलब्ध नहीं था। बीएलएल की खराब वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, किसी प्रकार की उचित निश्चितता नहीं थी कि दंडस्वरूप ब्याज राशि की वसूली हो जाएगी। (ii) मार्च 2018 माह में ओआईडीबी में प्राप्त विद्युत व्यवस्था के प्रचालन और रखरखाव से संबंधी शुल्कों के लिए मेसर्स स्टर्लिंग एंड विल्सन के 2.22 लाख रुपए के दावों की राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। उपर्युक्त के गैर–प्रावधान के परिणामस्वरूप व्यय की तुलना में आय के संदर्भ में 6.63 लाख रुपए का ओवरस्टेटमेंट भी हुआ है।	बीएलएल के लेखों पर वित्तीय वर्ष 2016–17 की दंडस्वरूप ब्याज राशि 4.41 लाख रुपए है और इसलिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान लाभ के संदर्भ में किसी प्रकार का अतिशयोक्तिपूर्ण व्याख्यान नहीं किया गया है। इस संबंध में आगामी खुलासे पहले से ही खातों की टिप्पणियों में किए जा चुके हैं। यह भुगतान उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग द्वारा संपूर्ण विद्युत संबंधी निरीक्षण के लिए संवैधानिक प्राधिकरणों की ओर से मंजूरी प्राप्त करने के लिए ओआईडीबी भवन में विद्युत संबंधी निरीक्षण कार्य के भुगतान से संबंधित है। चूंकि उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 से संबंधित नहीं है, इसलिए, इसके लिए किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है और इस व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में बुक किया जाएगा।
(ख) निवेश (अनुसूची–10) – अन्य : 370290 लाख रुपए : आर्थिक मामलों पर मंत्रिमण्डलीय समिति के निर्णय के अनुसार मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड में इक्विटी निवेश की कमी न होने के कारण उपर्युक्त का 4013 लाख रुपए के रूप में ओवरस्टेटमेंट किया गया है। परिणामस्वरूप, 'व्यय से अधिक आय' भी उतनी ही राशि तक अधिक उल्लिखित है।	जैसा कि पहले ही दिनांक 05.10.2018 के पत्र के रूप में उत्तर दिया गया है (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय संख्या 1 से 23 के प्रत्युत्तर) कि मैसर्स बीएलएल द्वारा दिनांक 17.06.2015 के पत्र संख्या बीएलएल/एमडी/डीसीओ/2015–16/017 द्वारा संसूचित किया गया है कि इस कंपनी को रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 3 (1) (ओ) के संदर्भ में अक्टूबर 2015 में रूग्ण औद्योगिक कंपनी के रूप में घोषित कर दिया गया था और उक्त कार्यवाही के संदर्भ में, कंपनी की पूंजीगत कमी को जारी रखा गया है। स्थिति समान बनी हुई है। इसके अलावा, यह सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने हाल ही में बीएलएल को बंद करने का निर्णय ले लिया है।
ग) वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची 11) रू 785184 लाख रुपए बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) को प्रदान किए गए ब्रिज लोन के प्रावधान के कारण उपर्युक्त 1200 लाख रुपए तक अधिक उल्लिखित है, तथापि किस्तों का भुगतान उपलब्ध नहीं था। बीएलएल की खराब वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, किसी प्रकार की उचित सुनिश्चितता नहीं थी कि ऋण राशि को वसूल कर लिया जाएगा। परिणामस्वपरूप, 'व्यय से अधिक आय' से संबंधित राशि भी उतनी ही राशि तक अधिक है।	यह दोहराया जा रहा है कि सार्थक लेखांकन नीतियों की अनुसूची 25 के अनुसार ब्याज और अन्य आय को निष्पादित परिसंपत्तियों के मामले में यथोचित आधार पर तथा गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को अर्जन आधार पर अर्जित किया जाता है।

घ) सार्थक लेखांकन नीतियां (अनुसूची 25) आय के संबंध में सार्थक लेखांकन नीति संख्या 6 के संदर्भ अपेक्षित हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी निर्दिष्ट, है कि 'ब्याज और अन्य आय को निष्पादित परिसंपत्तियों के मामले में यथोचित आधार पर तथा गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को अर्जन आधार पर अर्जित किया जाता है'। निष्पादित परिसंपत्तियां वे हैं जिनपर देय आय का 90 दिनों से अधिक अवधि तक भुगतान नहीं किया जाता है। उपर्युक्त लेखांकन नीति, लेखांकन नीति संख्या 1 के विपरीत है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निर्दिष्ट किया गया है कि वित्तीय विवरणों को संचय विधि के आधार पर तैयार किया जाता है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि ब्याज से संबंधित कैंफिना के 2443 लाख रुपए और बीएलएल के 268 लाख रुपए के लिए ओआईडीबी को जिम्मेदार माना गया है। चूंकि इन राशियों की वसूली संदिग्ध थी, इसलिए इन खातों में उपयुक्त प्रावधान कर दिए गए हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सार्थक लेखांकन नीति संख्या 6 को निम्नानुसार संशोधित किया जाना चाहिए: ''निष्पादित/गैर–निष्पादित संपत्तियों के मामले में ब्याज और अन्य आय अर्जित आधार पर लेखाबद्ध किए जाते हैं। निष्पादित वे संपत्तियां हैं जिनकी आय का अर्जन, आय के अर्जित होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर प्राप्त कर लिया जाता है। गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के मामले में, अर्जित आय के खातों में उचित प्रावधान किए जाते हैं''। उपर्युक्त के अतिरिक्त, सार्थक लेखांकन नीति में कमी के कारण, ओआईडीबी ने मेसर्स बीएलएल को प्रदान किए गए ऋण पर अर्जित ब्याज के रूप में 95.16 लाख रूपए को लेखाबद्ध नहीं किया था जिसे वर्ष 2017–18 के दौरान गैर–निष्पादित संपत्ति मान लिया गया था। इस प्रकार, बीएलएल से अर्जित ब्याज की राशि को लेखाबद्ध किया जाना चाहिए था और तत्पश्चात उसके लिए वर्ष 2017–18 के लेखों में उपयुक्त प्रावधान किया जाना चाहिए था।	जैसा कि पहले ही आश्वस्त कर दिया गया है, इस मुद्दे को संशोधन के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उठाया जाएगा।
ड़) सामान्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार के स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा से संबंधित दिशानिर्देशों के पैरा 7.01 के अनुसार, भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त निकायों को अपने खातों को एक समान प्रारूप में संकलित करने की आवश्यकता है। इसके लिए खातों में बैलेंस शीट, आय और व्यय खाता, उपर्युक्त वित्तीय विवरणों की अनुसूची, सार्थक लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, लेखा संबंधी टिप्पणियों के माध्यम से अन्य सूचनाओं के प्रकटीकरण और प्राप्ति एवं भुगतान संबंधी विवरण शामिल होने चाहिए। तथापि, वर्ष 2015–16 और 2016–17 के लिए भारत के सीएजी की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट संबंधी टिप्पणियों के बावजूद प्राप्ति और भुगतान विवरण तैयार नहीं किया गया है।	ओआईडीबी एक संवैधानिक निकाय है जिसे ''तेल उद्योग के विकास के लिए तेल उद्योग की समस्याओं के प्रति सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 के तहत स्थापित किया गया था''। इसलिए, इसमें किसी प्रकार के लाभ के उद्देश्य शामिल नहीं हैं। यह सहायता अधिनियम के अनुसार ऋण और अग्रिम, अनुदान और इक्विटी भागीदारी के माध्यम से प्रदान की जाती है। मुख्य रूप से दिए गए ऋणों पर ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती है और उसका उपयोग अनुदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसे आय व्यय विवरण में प्रतिबिंबित किया जाता है। लाभ हानि खाते को आयकर गणना के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राप्ति एवं भुगतान विवरण तैयार नहीं किया जाता है।
ख) अनुदान सहायता ओआईडीबी द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान सरकार और सरकारी एजेंसियों की ओर से किसी प्रकार का अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है।	ओआईडीबी को अतिरिक्त उपकर आय के हस्तांतरण के मामले को विभिन्न अवसरों पर उठाया गया था। तथापि, 1992–93 से अब तक ओआईडीबी को कच्चे तेल पर एकत्रित उपकर से किसी प्रकार के नवीनतम विभाजन को आवंटित नहीं किया गया है।

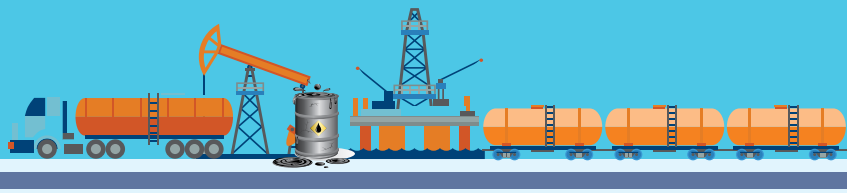

अनुसूची(संदर्भ अनुच्छेद 4(v) के संदर्भ में)

टिप्पणियां	प्रत्युत्तर
1. **आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** तेल उद्योग विकास बोर्ड की वर्ष 2017–2018 की आंतरिक लेखा परीक्षा बाहरी चार्टर एकांटेंट्स फर्मों द्वारा कराई गई।	ओआईडीबी ने लेखा और कर संबंधी मामलों के निर्धारण हेतु ओआईडीबी को परामर्शी सेवाओं से संबंधित सहायता एवं सेवा प्रदान करने के लिए 'मैसर्स आर. सी. चड्ढा एंड कंपनी' को नियुक्त किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेखा परीक्षकों के मानदंडों के अनुसार खाते तैयार किए गए हैं और लेखांकन मानक निर्धारित किए गए हैं।
2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता** अनुदानी संगठनों द्वारा किए गए कार्य की वास्तविक प्रगति प्राप्त करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और सुदृढ़ व औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए। अनुदान जारी करने के पश्चात तेउविबो अनुदानी संस्थानों से वार्षिक आधार पर परियोजना की वास्तविक प्रगति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाणपत्र लेता है। हालांकि कार्य, की वास्तविक प्रगति बोर्ड द्वारा न तो सत्यापित नहीं की जाती और न ही बोर्ड के पास कोई ऐसी प्रभावी प्रणाली है, जिससे अनुदान के उचित उपयोग को मॉनिटर किया जा सके।	ओआईडीबी द्वारा अपने अनुदान संस्थान को जारी किए गए थोक अनुदान मजदूरी और वेतन, कार्यालय व अन्य प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति करने हेतु हैं। कार्यालय के उपकरण जिनके जीवनकाल सीमित होते है जैसे कि कंप्यूटर, फैक्स मशीन, फोटोकॉपी मशीन इत्यादि के अतिरिक्त, इस अनुदान से किसी प्रकार की संपत्ति निर्मित नहीं गई है। इन वस्तुओं से संबंधित संपत्ति रजिस्टर का रखरखाव इन अनुदान संस्थानों द्वारा किया जाता है। उचित अनुदान की निगरानी के संदर्भ में, बोर्ड की अपनी विभिन्न बैठकों में अनुदान की उपयोगिता की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। इसके अलावा, ओआईडीबी द्वारा एक प्रोफॉर्मा तैयार किया गया है, जिसमें शीर्षवार अनुमोदित बजट तथा पिछले माह तक किए गए व्यय के ब्यौरे एवं वर्तमान माह की मांग को शामिल किया जाता है। सभी प्रकार के प्रस्ताव निर्धारित प्रोफॉर्मा (अनुलग्नक – 1) के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं और अनुदान जारी करने से पूर्व शीर्षवार अनुमोदित बजट के अनुसार जांच की जाती है। इन विवरणों की जांच ओआईडीबी को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है कि न तो बजट अनुदान से अधिक व्यय किया गया है और न ही निधियों की निष्क्रियता रही है क्योंकि विगत माह तक प्राप्त अनुदान के उपयोग की प्रगति पर ही वर्तमान अनुदान निर्भर करते हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में, खातों के लेखा परीक्षित विवरणों के साथ जीएफआर निर्धारित प्रारूप के अनुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया जाता है।
3. **अचल संपत्तियों के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली** स्थाई संपत्ति रजिस्टर, जिसमें सम्पतिवार पूर्ण और अद्तन विवरण जैसाकि–खरीद की तिथि/संपत्ति का अधिग्रहण, संपत्ति का वास्तविक मूल्य, संपत्ति का स्थान, संपत्ति का जोड़ना/घटाना/खरीदना, मूल्यह्रास, संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों, वाहन, फर्नीचर और फिक्सचर, कम्प्यूटरों/उससे संबंधित उपकरण, बिजली, संस्थापन आदि होते हैं, को उचित तरीके से नहीं बनाया गया है।	ओआईडीबी द्वारा सूचनाओं जैसे के मद संबंधी विवरण, स्थान, मात्रा, लागत, क्रय आदेश, विक्रेता के विवरण आदि को दर्ज करने के लिए संपत्ति और मालसूची रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है। तथापि, जीएफआर–22, नियम– 211 (ii) (क) की आवश्यकता के अनुसार संपत्ति और मालसूची संबंधी जानकारी को पुनः वर्गीकृत किया जाता है। संपत्तियों का अंतिम वास्तविक सत्यापन और इन्हें संख्या / कोडिंग प्रदान करने संबंधी कार्यवाही वर्ष 2015–16 के दौरान किया गया था और वर्ष 2016–17 और 2017–18 के दौरान परिसंपत्तियों से संबंधित किसी प्रकार की वृहत अधिग्रहण न होने के कारण ये कार्यवाहियां नहीं की गईं थीं। तथापि, लेखा परीक्षाओं के आधार पर दिए गए सुझावों का संज्ञान लिया गया है और इसका पालन किया जाएगा।
4. **सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता** जैसाकि बताया और सूचित किया गया, कि तेउविबो द्वारा सभी करों तथा सांविधिक देयताओं का भुगतान समय पर किया गया था।	सभी सांविधिक देयताओं का भुगतान समय पर कर दिया गया।

अध्याय
9

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड

निदेषक मंडल

Jh d-Mh- f=ikBh	अध्यक्ष	
Jh vUkr dekj flg	निदेशक	(11.05.2017 तक)
Jh ,-ih- lkguh	निदेशक	(22.06.2017 तक)
Jh jktho cly	निदेशक	(18.08.2017 से)
Jh lt; l/khj	निदेशक	
Jh vk'kh"k pVthl	निदेशक	
Jh jktu d- fiYy	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	(01.06.2017 तक)
Jh ,p-ih-,l- vkgtk	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	(02.06.2017 से)
Jherh lxhrk xjkyk	स्वतंत्र निदेशक	(27.03.2018 तक)
Jh ,l-ch- vfXugk=h	स्वतंत्र निदेशक	(27.03.2018 तक)

e[; dk;dkjh vf/kdkjh ,o ic/k fun'kd
श्री एच.पी.एस. आहुजा

diuh lfpo
श्री अरूण तलवार

lkfof/kd ys[kk ijh{kd
मैसर्स पुरूषोथमन भूटानी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

cd l
dkikj'ku cd
एम–41, कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली–110 001

ithdr dk;ky;
301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तृतीय तल, बाबर रोड,
नई दिल्ली–110 001

i'kklfud dk;ky;
ओ.आई.डी.बी, भवन, तीसरी मंजिल, प्लॉट न. 2, सैक्टर – 73, नोएडा–201301, उ.प्र.
फोन : 91–120–2594661, फैक्स : 91–120–2594643
वेबसाईट : www.isprlindia.com
ई–मेल : isprl@isprlindia.com

fo'kk[kkiêue ifj;kstuk dk;ky;
लोवागार्डन, एच.एस.एल. फैब्रिकेशन यार्ड के पीछे,
गाँधीग्राम पोस्ट, विशाखापट्टनम्–530 005
फोन : 0891–2574056

exyksj ifj;kstuk dk;ky;
चन्द्राहास नगर, कलावर पोस्ट, वाया बाजपे
मंगलूरू–574142, फोन : 0824–6066100

iknj ifj;kstuk dk;ky;
पीओ : पादुर, वाया कापू, जनपद उडुपी–574 106
फोन : 0820–2576683

fun'kdk dh fjikV

lok e]
'k;j/kkjdx.k]
bfM;u LVVfTkd iVkfy;e fjt0lfyfeVM

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कंपनी के कार्यकरण के संबंध में 14वीं वार्षिक रिपोर्ट और उसके साथ लेखे का लेखा–परीक्षित विवरण तथा तत्संबंधी लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट को सहर्ष प्रस्तुत करता है।

foÙkh; ifj.kke

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु आपकी कंपनी के वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

Ø-l	fooj.k	vkdMs yk[kk e	
		31 मार्च 2018 के अनुसार	31 मार्च 2017 के अनुसार
(क)	1 अप्रैल, 2017 के अनुसार प्रगतिधीन कार्य का प्रारंभिक शेष	1,52,106.27	242,369.42
(ख)	वर्ष के दौरान प्रचालन पूर्व व्यय	5,266.85	(-)90,263.15
(ग)	अचल परिसंपत्तियों (पीपीई) में निवल वृद्धि	65.32	1,05,467.55
(घ)	निवल गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	13,597.40	17,070.66
(ङ)	निवल वर्तमान परिसंपत्तियां	724.76	(-)5,689.56
(च)	संचित हानि/लाभ	(-)16,595.39	(-)10,587.47
dy ¼d+[k+x+?k+³+p½		**1,55,165.21**	**2,58,367.44**
निवल गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां {(i)-(ii)}		13,597.40	17,070.66
(i) गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां (दीर्घावधि ऋण और अग्रिम)		13,617.12	17,084.20
(ii) गैर–वर्तमान देयताएं		19.68	13.54
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां {(i)-(ii)}		724.76	(-)5,689.56
(i) वर्तमान परिसंपत्तियां		4,996.60	5,525.75
(ii) वर्तमान देयताएं		4,271.84	11,215.31

dk;Z&fu"iknu leh{kk

आपकी कंपनी को 5.33 एमएमटी कच्चे तेल के भण्डारणों को स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है (अनुपातिक लागत साझेदारी आधार पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के साथ साझा किए जाने वाले 0.30 एमएमटी सहित)। सामरिक भण्डारों के सृजन हेतु चयन किए गए स्थल विशाखापट्टनम (1.33 एमएमटी), मंगलौर (1.5 एमएमटी) और पादुर (2.5 एमएमटी) हैं।

इस प्रकार परियोजनाओं की कुल संशोधित लागत 4098.35 करोड़ होती है। भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पूंजीगत लागत को ओआईडीबी के पास उपलब्ध विद्यमान निधियों से पूरा किया जाएगा,

सिवाय विशाखापट्टनम में 0.3 एमएमटी कंपार्टमेंट हेतु, जिसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अनुपातिक लागत साझेदारी आधार पर ग्रहण किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया था कि सामरिक भण्डारों की प्रचालन तथा अनुरक्षण लागत को भारत सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 में खनिज तेल भरने की लागत के प्रति 4,948 करोड़ आवंटित किए हैं। इन निधियों में से, विशाखापट्टनम में 1.03 एमएमटी का एक कंपार्टमेंट और मंगलौर कैवर्न में 0.75 एमएमटी का एक कंपार्टमेंट भरा गया है।

आपकी कंपनी ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न पहलें किए हैं। परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :

1- fo'kk[kkiêue ¼Hk.Mkj.k {kerk % 1-33 ,e,eVh½

विशाखापट्टनम कैवर्न 2015 में शुरू किया गया था। इस सुविधा में दो कंपार्टमेंट कैवर्न ए (1.03 एमएमटी) और कैवर्न बी (0.3 एमएमटी) हैं। कैवर्न ए सामरिक कच्चे तेल के लिए है और भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि से भरा गया है। एचपीसीएल ने आनुपातिक लागत साझा करने के आधार पर कैवर्न बी लिया है। विशाखापट्टनम में एचपीसीएल द्वारा अपने रिफाइनरी परिचालन के लिए इसका नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है। एचपीसीएल के साथ 27 अप्रैल, 2017 को एक संयुक्त स्वामित्व समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

fo'kk[kkiêue e Hkfe d Åij cukb xb lfo/kkvk dk –';

2- exykj ¼Hk.Mkj.k {kerk %1-5 ,e,eVh½

मंगलौर कैवर्न सुविधा मंगलौर एसईजेड क्षेत्र में आती है। परियोजना हेतु एमएसईजेडएल से 104.73 एकड़ भूमि प्राप्त की गई थी। भूमिगत सिविल कार्यों को मैसर्स एस.के. इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन और करम चन्द थापर के संयुक्त उद्यम (एसकेईसी–केसीटी जेवी) द्वारा निष्पादित किया गया था और प्रक्रिया सुविधाओं को मैसर्स पुंज लॉयड द्वारा पूरा किया गया। सुविधा में 0.75 एमएमटी के प्रत्येक 2 कंपार्टमेंट हैं।

- मंगलौर कैवर्न बी अक्टूबर 2016 के महीने में शुरू किया गया था। कच्चे तेल का कुल मूल्य लगभग 1726 करोड़ है। मैंगलोर के कैवर्न ए को भरने के लिए 10 फरवरी, 2018 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान अबू धाबी में एडीएनओसी के साथ पुनर्स्थापित तेल भंडारण और प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। मैंगलोर के लिए कच्चे तेल का पहला वीएलसीसी शिपमेंट 12 मई, 2018 को माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा अबू धाबी से ध्वजांकित किया गया था और 19 मई, 2018 को मंगलौर में प्राप्त हुआ था।

मंगलौर में भूमि के ऊपर बनाई गई सुविधाओं का दृश्य

3- ikn~j ¼HkaMkj.k {kerk% 2-5 ,e,eVh½

पादुर परियोजना के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के माध्यम से उडुपी जिले के पादुर गांव में 179.21 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई थी। यह आईएसपीआरएल द्वारा निष्पादित सबसे बड़ी परियोजना है।

पादुर में कमिशनिंग पूर्व जांच पूर्ण हो गई है। कमिशनिंग गतिविधियां प्रगति पर हैं। कमीशन के लिए मंगलौर कैवर्न बी से पादुर तक कच्चे तेल को स्थानांतरित करने के लिए सरकार से अनुमोदन 16.08.2018 को प्राप्त हुआ। मंगलौर से पादुर तक 42′′ इंच कच्चे तेल पाइपलाइन के लिए ओआईएसडी मंजूरी 21.08.2018 को प्राप्त हुई।

4- lkefjd Hk.Mkj dk;Øe dk pj.k&II

दिसम्बर, 2008 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एकीकृत ऊर्जा नीति (आईईपी) सिफारिश करती है कि सामरिक सह सुरक्षित भंडार के प्रयोजनों हेतु 90 दिन के तेल आयात के समतुल्य एक भण्डार को रखा जाए। दिसम्बर, 2009 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तैयार एक एप्रोच पेपर में वर्ष 2019–20 तक खनिज तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के 44.14 मिलियन मीट्रिक टन की कुल भण्डारण आवश्यकता को दर्शाया गया था।

पादुर की कैवर्न

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से निर्देश के आधार पर, आईएसपीआरएल को 4 राज्यों में चरण–II में कच्चे तेल के 12.5 एमएमटी के सामरिक भण्डारण हेतु विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) को तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। चुने गए स्थल राजस्थान में बीकानेर, ओडिशा में चंडीखोल, गुजरात में राजकोट और कर्नाटक में पादुर हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को डीएफआर तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। ईआईएल द्वारा डीएफआर तैयार की जा चुकी है जिसमें संशोधित क्षमताएं निम्नानुसार हैं :–

(i) पादुर 2.5 एमएमटी,

(ii) चंडीखोल 3.75 एमएमटी,

(iii) राजकोट 2.5 एमएमटी और

(iv) बीकानेर 3.75 एमएमटी।

तत्पश्चात् पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ–साथ एसबीआई कैप्स को चरण–II कार्यक्रम के क्रियान्वयन के तरीके की सिफारिश करने हेतु नियोजित करने का आईएसपीआरएल को परामर्श दिया था। निवेशक बैठक 8–9 जून, 2015 को हुई थी जिसमें विभिन्न तेल तथा आधारभूत ढांचा कंपनियों ने प्रतिभागिता की थी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "दो एसपीआर के लिए समर्पित एसपीएम सहित ओडिशा में चंडीखोल (4 एमएमटी) और पादुर (2.5 एमएमटी) कर्नाटक के दो स्थलों में 6.5 एमएमटी सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व की स्थापना के लिए सैद्धातिंक रूप से अनुमोदन दिया है। 'इन प्रिंसिपल' मंजूरी भारत सरकार के बजटीय समर्थन को कम करने के लिए पीपीपी मॉडल के तहत परियोजना को अपनाना है।

ykHkka'k

आपके निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

vkjf{kr dk vUrj.k

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान किए गए घाटे को 31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के रिजर्व्स में स्थानांतरित कर दिया गया है।

lkoZtfud tek

आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2018 के अनुसार जनता से कोई सावधि जमा आमंत्रित स्वीकृत अथवा नवीनिकृत नहीं किया है और तदानुसार उसके संबंध में कोई मूलधन या ब्याज बकाया नहीं है।

y[kk&ijh{kk lfefr

बोर्ड ने लेखा परीक्षा समिति गठित की है जिसमें तीन निदेशकों नामतः श्री एस.बी. अग्निहोत्री, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति, श्री संजय सुधीर, संयुक्त सचिव (आईसी), एमओपीएडंएनजी/निदेशक, आईएसपीआरएल, सदस्य–लेखा परीक्षा समिति और श्रीमती संगीता गैरोला, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य–लेखा परीक्षा समिति शामिल हैं। दोनों स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27 मार्च, 2018 को पूरा हुआ और बोर्ड ने 4 मई, 2018 को लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया जिसमें श्री राजीव बंसल, अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, एमओपीएडंएनजी/निदेशक, आईएसपीआरएल अध्यक्ष–लेखा परीक्षा समिति और श्री एच. पी. एस आहुजा, मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल सदस्य–लेखा परीक्षा समिति के रूप में शामिल थे। ।

वित्तीय वर्ष के दौरान हुई बैठकों की संख्या तथा तिथि और प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण vuqc/k&I के रूप में संलग्न है।

ukekadu vkj ikfjJfed lfefr

बोर्ड ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन किया है जिसमें तीन निदेशकों नामतः श्रीमती संगीता गैरोला, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष–एनआरसी, श्री संजय सुधीर, संयुक्त सचिव (आईसी), एमओपीएडंएनजी/ निदेशक, आईएसपीआरएल, सदस्य–एनआरसी और श्री एसबी अग्निहोत्री, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य–एनआरसी शामिल हैं। दोनों स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27 मार्च, 2018 को पूरा हुआ और बोर्ड ने 4 मई, 2018 को एनआरसी का पुनर्गठन किया जिसमें श्री संजय सुधीर, संयुक्त सचिव (आईसी) एमओपीएडंएनजी/ निदेशक, आईएसपीआरएल अध्यक्ष–एनआरसी और श्री एच.पी.एस. आहुजा, मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल सदस्य–एनआरसी के रूप में शामिल थे।

वित्तीय वर्ष के दौरान हुई बैठकों की संख्या तथा तिथि और प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण vuqc/k&I के रूप में संलग्न है।

dkjikjV lkekftd mÙkjnkf;Ro lfefr

बोर्ड ने कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) कमेटी गठित की है जिसमें तीन निदेशकों अर्थात श्रीमती संगीता गैरोला, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष–सीएसआर समिति, श्री संजय सुधीर, संयुक्त सचिव (आईसी), एमओपीएडंएनजी/ निदेशक, आईएसपीआरएल, सदस्य–सीएसआर समिति और श्री एस.बी. अग्निहोत्री, स्वतंत्र

निदेशक, सदस्य–सीएसआर समिति शामिल हैं। दोनों स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27 मार्च, 2018 को पूरा हुआ और बोर्ड ने 4 मई, 2018 को सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया जिसमें श्री संजय सुधीर, संयुक्त सचिव (आईसी), एमओपीएडंएनजी / निदेशक, आईएसपीआरएल अध्यक्ष–सीएसआर समिति और श्री एच.पी.एस. आहुजा, मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल सदस्य–सीएसआर समिति के रूप में शामिल थे।

वित्तीय वर्ष के दौरान हुई बैठकों की संख्या तथा तिथि और प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण vu|c/k&I के रूप में संलग्न है।

कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों पर कोई व्यय नहीं किया है क्योंकि कंपनी ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कोई लाभ नहीं कमाया है।

okf"kd fjVul dk fu"d"k

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुपालन में, जिसे कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के साथ पढ़ा जाता है, वार्षिक रिटर्न का एक उद्धरण फार्म सं. एमजीटी–9 में vu|c/k&d के रूप में संलग्न है।

ckM dh cBd

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की 5 बैठकें हुई जिसका ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(i) 02 मई, 2017

(ii) 14 जून, 2017

(iii) 06 सितम्बर, 2017

(iv) 09 नवम्बर, 2017

(v) 22 फरवरी, 2018

वित्तीय वर्ष के दौरान हुई बैठकों की संख्या तथा तिथि और प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण vu|c/k&I के रूप में संलग्न है।

0;kikj d Lo:i e ifjorlu

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान व्यापार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं।

depkfj;k d C;kj

कंपनी में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013, जिसे कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के साथ पढ़ा जाता है, के प्रावधानों के अंतर्गत विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो।

Lor= fun'kdk }kjk ?kk"k.kk

दोनों स्वतंत्र निदेशकों द्वारा यह घोषणा की गई है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप धारा 6 के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

tkf[ke çca/ku

प्रभावी जोखिम प्रबंधन कंपनी की सतत् सफलता हेतु महत्वपूर्ण है। कंपनी के पास कंपनी प्रचालनों से संबद्ध जोखिमों की पहचान और जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए उचित सुधारात्मक कदम उठाने के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति है। कंपनी से संबद्ध प्रमुख जोखिम खनिज तेल प्राप्ति तथा भंडारण और वितरण से संबंधित है। इन जोखिमों को मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को अपना कर तथा पर्याप्त बीमा कवर लेकर न्यून किया जाता है।

çeq[k çca/kd dkfeZd

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक निम्नलिखित थे :

क) मु. का. अ. एवं प्रबंध निदेशक – श्री राजन के. पिल्लै (1 जून, 2017 तक)

क) मु. का. अ. एवं प्रबंध निदेशक – श्री एच.पी.एस. आहुजा (2 जून, 2017 से)

ख) मुख्य वित्त अधिकारी – श्री एस.आर. हास्यागर (23 मई, 2017 तक)

ख) मुख्य वित्त अधिकारी – श्री गौतम सेन (24 मई, 2017 से)

ग) कंपनी सचिव – श्री अरूण तलवार

ikfjJfed

आईएसपीआरएल बोर्ड में मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर सभी निदेशक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मनोनीत अधिकारी हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नामित पदाधिकारी निदेशक को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया था। स्वतंत्र निदेशकों को मीटिंग में भाग लेने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित शुल्क के अनुसार भुगतान किया गया था। मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक और कंपनी के अन्य अधिकारी तेल क्षेत्र के पीएसयू से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं।

Hkkfrd ifjorZu rFkk çfrc)rk,¡

ऐसे कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हैं जो तुलन–पत्र से संबंधित कंपनी के वित्त–वर्ष के समापन के पश्चात तथा रिपोर्ट की तिथि के मध्य हुए हो।

ykxr y[kk&ijh{kk

अधिनियम की धारा 148 के संदर्भ में, कंपनी को लागत लेखाकार द्वारा आयोजित अपनी लागत के लेखा–परीक्षा की आवश्यकता नहीं है।

dEiuh dh pkyw fLFkfr vkSj Hkfo"; esa dEiuh ds çpkyuksa dks çHkkfor djus okys fu;kedksa ;k U;k;ky;ksa ;k vf/kdj.kksa }kjk ikfjr egRoiw.kZ rFkk Hkkfrd vkns'kksa dk C;kSjk

कंपनी की चालू स्थिति और भविष्य में कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले किसी महत्वपूर्ण तथा भौतिक आदेश को नियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित नहीं किया गया था।

lgk;d daiuh@la;qä m|e@lgHkkxh daiuh

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी की कोई सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम/सहभागी कंपनी नही है।

ys[kk&ijh{kd

lkafof/kd ys[kk&ijh{kk %

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक (सी एंड ए जी) ने मैसर्स पुरुषोथमन भूटानी एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को कंपनी के सांविधिक लेखा–परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है जिन्होंने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कंपनी के लेखे पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है ¼vuqca/k&[k½। शेयरधारकों को लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई अर्हता शामिल नहीं है।

कंपनी एक्ट 2013 की धारा 143 (6) (ए) के तहत 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के तहत आयोजित पूरक लेखा–परीक्षा के आधार पर सी एंड ए जी ने कंपनी एक्ट, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत दो अवलोकन किया है। सी एंड ए जी का अवलोकन प्रबंधन के उत्तर के साथ vuqca/k&?k पर संलग्न है।

lfpoky;hu ys[kk&ijh{kk %

वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड ने मैसर्स एस.एन. अग्रवाल एंड कंपनी, कंपनी सचिव (सीपी संख्या – 3581), पूर्णकालिक प्रैक्टिस में होने वाले कंपनी सचिव को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त वर्ष 2017–18 हेतु सचिवालयीन लेखा–परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया था। सचिवालयीन लेखा–परीक्षकों द्वारा दी गई रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ ¼vuqca/k&x½ के रूप में संलग्न है। शेयरधारकों को लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई महत्वपूर्ण अर्हता शामिल नहीं है।

Åtkl lja{k.k] izkS|ksfxdh lekos'k] vuqla/kku vkSj fodkl rFkk fu;kZr vkSj fons'kh eqæk vtZu rFkk 0;;

कंपनी ने विशाखापट्टनम तथा मंगलौर केवर्नों को चालू किया है और पादुर में केवर्न अभी कमीशन के अधीन है। कंपनी के पास ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समावेश किए जाने के संबंध में प्रकाशित की जाने वाली कोई जानकारी नहीं है।

कंपनी का वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जन नहीं था। तथापि, इसमें समीक्षाधीन अवधि के दौरान अपने व्यापार क्रियाकलापों हेतु कुल 7.99 लाख रूपये की विदेशी मुद्रा का उपयोग किया है।

foÙkh; fooj.kksa ds lanHkZ esa vkarfjd foÙkh; fu;a=.k dh Lohdk;Zrk ds lac/k esa fooj.k

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखती है।

dk;ZLFky ij ;kSu mRihM+u dh jksdFkke

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निषेध तथा निवारण और उससे संबंधित या प्रासंगिक सभी मामलों और 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध तथा समाधान) अधिनियम, 2013 में समाविष्ट सभी पहलुओं को कवर करने वाली एक नीति बनाई है। कंपनी ने अधिनियम के तहत आंतरिक

शिकायत समिति के संविधान से संबंधित प्रावधानों का पालन किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को अधिनियम के तहत कोई शिकायत नहीं मिली।

ckM eY;kdu

व्यक्तिगत निदेशकों, बोर्ड और उसकी समितियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित बोर्ड प्रदर्शन मूल्यांकन नीति के अनुसार किया गया था।

y[kk ijh{kdk }kjk /kk[kk/kMh dh fjikÉVx

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की कोई घटना की रिपोर्टिंग नहीं की गई है।

/kkjk 186 d vrxr _.k] xkjVh ;k fuos'k dk C;kjk

वर्ष 2017–18 के दौरान आईएसपीआरएल द्वारा कोई ऋण नहीं दिया गया है और न कोई निवेश किया। आईएसपीआरएल ने संबंधित प्रवेश कर मामले के संबंध में उपायुक्त, वाणिज्य कर विभाग, मंगलौर को 31 मार्च, 2018 को   1.68 करोड़ की तीन बैंक गारंटियां दी है।

lcf/kr i{k dkjkckj

सभी संबंधित पक्ष कारोबार ओआईडीबी द्वारा इक्विटी पूंजी भागीदारी और मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक आईएसपीआरएल, मु.वि.अ. आईएसपीआरएल और कंपनी सचिव, आईएसपीआरएल को प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान तक ही सीमित थे। संबंधित पक्षों के साथ ये संव्यवहार व्यापार के समान्य सचालन के दौरान किए गए अतिरिक्त संसाधनों के विस्तार पर हैं एवं सामग्री के आधार पर नहीं है।

lfpoky;h ekudk dk vuikyu

इन्स्टीटूयट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इड़िया द्वारा निर्धारित सचिवालयी मानकों का कम्पनी द्वारा पूर्णतया पालन किया जाता है।

कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति कम्पनी की वेबसाईट www.isprlindia.com पर रखी जायेगी।

fun'kdk d mÙkjnkf;Ro dk fooj.k

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अंतर्गत निदेशक मंडल अपने सर्वोतम ज्ञान और योग्यता के साथ पुष्टि करते हैं:

(1) वार्षिक लेखों की तैयारी में, सामग्री विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है;

(2) उन्होंने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और निर्णय एवं अनुमान बनाए हैं जो उचित और समझदार हैं ताकि 31 मार्च, 2018 को कंपनी के मामलों की स्थिति तथा उस वर्ष के लाभ और हानि के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके ;

(3) उन्होंने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचानने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;

(4) उन्होंने वार्षिक लेखे "अनंवरत संबंध" के आधार पर तैयार किया है।

(5) उन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित सिस्टम तैयार किए थे और इस तरह के सिस्टम पर्याप्त थे एवं प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे।

fun'kd eMy

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में 31 मार्च, 2018 के अनुसार 4 अंशकालिक गैर–कार्यपालक निदेशक और एक पूर्णकालिक सीईओ एवं एमडी है, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(1) श्री के.डी. त्रिपाठी, सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएडंएनजी) – अध्यक्ष (डीआईएन 07239755)
(2) श्री राजीव बंसल, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक (डीआईएन 00245460)
(3) श्री संजय सुधीर, संयुक्त सचिव (आईसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक (डीआईएन 07396936)
(4) श्री आशीष चटर्जी, संयुक्त सचिव (जीपी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक (डीआईएन 07688473)
(5) श्री एच.पी.एस आहुजा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक (डीआईएन 07793886)

01 अप्रैल, 2017 के से निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

(1) श्री अनंत कुमार सिंह, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक (डीआईएन 07302904) (11.05.2017 से समाप्त)
(2) श्री ए.पी.साहनी, अपर सचिव पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक (डीआईएन 03359323) (22.06.2017 से समाप्त)
(3) श्री राजन के. पिल्लै, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक (डीआईएन 06799503) (01.06.2017 से समाप्त)
(4) श्रीमती संगीता गैरोला, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन 07172316) (27.03.2018 से समाप्त)
(5) श्री एस. बी. अग्निहोत्री, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन 03390553) (27.03.2018 से समाप्त)
(6) श्री एच.पी.एस. आहुजा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक (डीआईएन 07793886) (02.06.2017 से नियुक्ति)
(7) श्री राजीव बंसल, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक (डीआईएन 00245460) (18.08.2017 से नियुक्ति)

vfHkLohÑfr

आपका निदेशक मंडल भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल उद्योग विकास बोर्ड से प्राप्त मूल्यवान मार्ग–दर्शन तथा सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

gLrk-@&
¼fdj.k oklqnso½
funs'kd
¼Mhvkbl,u 06419718½

gLrk-@&
,p-ih-,l- vkgqtk½
eq-dk-v- ,oa çcaèk funs'kd
¼Mhvkbl,u 07793886½

दिनांक : 15.11.2018
स्थान : नई दिल्ली

vuqca/k & d

QkeZ la- ,eth&9
okf"kZd fooj.kh dk fu"d"kZ
31 ekpZ 2018 dks lekIr foÙkh; o"kZ gsrq dEiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 92¼3½ vkSj dEiuh ¼çca/ku vkSj ç'kklu½ fu;ekoyh] 2014 ds fu;e 12¼1½ ds vuqikyu esa

I. iathdj.k vkSj vU; C;kSjs%

(i) सीआईएन : U63023DL2004GOI126973

(ii) पंजीकरण तिथि 16 जून, 2004

(iii) कंपनी का नाम – इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड

(iv) कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी – गैरसूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी

(v) पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरे – 301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तीसरा तल, बाबर रोड, नई दिल्ली–110001, टेलीफोन : 0120–2594661 फैक्स : 0120–2594643

(vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है – नहीं

(vii) रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट का नाम, पता तथा संपर्क ब्यौरा, यदि कोई हो – लागू नही

II. dEiuh dh fØ;kdyki

विशाखापट्टनम, मंगलौर और पादुर में सामरिक खनिज तेल भंडारण कैवर्नों का निर्माण, कैवर्नों का प्रचालन और कैवर्न में खनिज तेल की अभिरक्षा।

Øe la-	eq[; mRikn@lsokvksa dk uke rFkk fooj.k	mRikn@lsok dk ,uvkbZlh dksM	dEiuh ds dqy VuZvksoj dk %
1.	खनिज तेल कैवर्न सुविधाओं का निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण	43900 52109	--
2.	--	--	--

III. /kkjd dEiuh dk C;kSjk

Øe la-	dEiuh dk uke vkSj irk	iSu uEcj	/kkjd dEiuh@vuq"kaxh dEiuh@,lksfl,V dEiuh	/kkfjr 'ks;jksa dk %	ykxw [kaM
1.	rsy m|ksx fodkl cksMZ	AAAJO0 032A	/kkjd	100	2(46)

IV. 'k;j /kkfjr iVu ¼dqy bfDoVh d çfr'kr d rkj ij bfDoVh 'k;j ith C;kjk½
(i½ J.kh&okj 'k;j/kkfjrk

'k;j/kkjdk dh J.kh	o"k d ikjHk e /kkfjr 'k;jk dh l[;k ¼l[;k djkM e½				o"k d vr e /kkfjr 'k;jk dh l[;k ¼l[;k djkM e½				o"k d nkjku % ifjorlu
	MheV	Hkkfrd	dqy	dqy 'k;jk dk %	MheV	Hkkfrd	dqy	dqy 'k;jk dk %	
d- çekVj									
(1) भारतीय									
(क) व्यक्तिगत/एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) राज्य सरकार (रें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) कारपोरेट निकाय	शून्य	357.44	357.44	100	शून्य	368.11	368.11	100	2.99
(ङ) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(च) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mi tkM ¼d½ ¼1½ %&	शून्य	357.44	357.44	100	शून्य	368.11	368.11	100	2.99
¼2½ fons'kh									
(क) एनआरआई–व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख) अन्य – व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) कारपोरेट निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ङ) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mi tkM ¼d½ ¼2½ %&	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
çekVj dh dqy 'k;j/kkfjrk ¼d½¾¼d½¼1½+¼d½¼2½	शून्य	357.44	357.44	100	शून्य	368.11	368.11	100	2.99
[k- lkoZtfud 'k;j/kkfjrk	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1. संस्थान									
(क) म्यूचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) राज्य सरकार (रें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ङ) उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-

'k;j/kkjdksa dh Js.kh	o"kZ ds izkjEHk esa /kkfjr 'ks;jksa dh la[;k ¼la[;k djksM+ esa½				o"kZ ds var esa /kkfjr 'ks;jksa dh la[;k ¼la[;k djksM+ esa½				o"kZ ds nkSjku ifr'kr ifjorZu
	MheSV	HkkSfrd	dqy	dqy 'ks;jksa dk %	MheSV	HkkSfrd	dqy	dqy 'ks;jksa dk %	
2)									
(छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(झ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mi tksM+ ¼[k½ ¼1½ %&	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. गैर–संस्थान									
(क) कारपोरेट निकाय									
(I) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) व्यक्तिगत									
(i) 1 लाख तक की नामितिक शेयर पूंजी धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) 1 लाख से अधिक की नामितिक शेयर पूंजी धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mi tksM+ ¼[k½ ¼2½ %&	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख)(1) + (ख)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ग) जीडीआर और एडीआर हेतु संरक्षक द्वारा धारित शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ldy tksM+ ¼d+[k+x½	शून्य	357.44	357.44	100	शून्य	368.11	368.11	100	2.99

(ii) iorldk dh ‘k;j/kfjrk

Ø-l	‘k;j/kkjdk dk uke*	o”k dk ikjHk e ‘k;j/kkfjrk			o”k dk vr e ‘k;j/kkfjrk			
		‘k;jk dh l[;k ¼djkM e½	dqiuh dk dqy ‘k;jk dk %	dqy ‘k;jk e jgu@ HkkjkØkr j[k x, ‘k;jk dk %	‘k;jk dh l[;k ¼djkM e½	dqiuh dk dqy ‘k;jk dk %	dqy ‘k;jk e jgu@ HkkjkØkr j[k x, ‘k;jk dk %	o”k dk nkjku ‘k;j /kkfjrk dk % ifjorlu
1	rsy m|kx fodkl ckMl							
	dqy	357.44	100	शून्य	368.11	100	शून्य	2.99

* तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) के अतिरिक्त, कंपनी के 6 अन्य शेयरधारक हैं जो ओआईडीबी के नामिति हैं। अन्य 6 शेयरधारकों के नाम नीचे दिए गए हैं :

(1) श्री गणेश चन्द्र डोभाल
(2) श्री राजेश कुमार सैनी
(3) श्री गिरीश चन्द्र
(4) श्रीमती ज्योति शर्मा
(5) श्री एम.एस. चौहान
(6) श्री राजेश मिश्रा

(iii) iorldk dh ‘k;j/kkfjrk e ifjorlu

Ø-l		o”k dk ikjHk e ‘k;j/kkfjrk		o”k dk nkjku lfpr ‘k;j/kkfjrk	
		‘k;jk dh l[;k ¼l[;k djkM e½	dqiuh dk dqy ‘k;jk dk %	‘k;jk dh l[;k ¼l[;k djkM e½	dqiuh dk dqy ‘k;jk dk %
	वर्ष के प्रारंभ में	**357.44**	**100**	**357.44**	**100**
	शेयरों का आवंटन	‘k;jk dk vkoVu **i) 14/06/2017** 2 करोड़ **ii) 06/09/2017** 4.689 करोड़ **iii) 09/11/2017** 1.130 करोड़ **iv) 22/02/2017** 2.850 करोड़			
	वर्ष के अंत में	**368.11**	**100**	**368.11**	**100**

(iv) n l ‘kh"k ‘k;j/kkjdk dk ‘k;j/kkfjrk iSVuZ ¼funs’kdks] izorZdk vkSj thMhvkj rFkk ,Mhvkj ds /kkjdks ds vfrfjDr½ %

Ø-la		o"kZ ds izkjEHk esa ‘k;j/kkfjrk		o"kZ ds nkSjku lafpr ‘k;j/kkfjrk	
	10 ‘kh"kZ ‘k;j/kkjdks esa ls izR;sd ds fy,	‘k;jksa dh la[;k	dEiuh ds dqy ‘k;jksa dk %	‘k;jksa dh la[;k	dEiuh ds dqy ‘k;jksa dk %
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वृद्धि / कमी हेतु कारण निर्दिष्ट करते हुए शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि / कमी (जैसे कि आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि) :	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में (अथवा पृथकीकरण की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान पृथक हुए हैं तो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(v) funs’kdks vkSj izeq[k izca/ku dkfeZdks dh ‘k;j/kkfjrk %

Ø-la		o"kZ ds izkjEHk esa ‘k;j/kkfjrk		o"kZ ds nkSjku lafpr ‘k;j/kkfjrk	
	izR;sd funs’kd vkSj ds,eih gsrq	‘k;jksa dh la[;k	dEiuh ds dqy ‘k;jksa dk %	‘k;jksa dh la[;k	dEiuh ds dqy ‘k;jksa dk %
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि / कमी वृद्धि / कमी का कारण निर्दिष्ट करते हुए (जैसे की आवंटन / अतंरण / बोनस / स्वेट इक्विटी इत्यादि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

V. _.kxLrrk

cdk;k@iknHkr C;kt fdrq Hkxrku grq n; ugh lfgr diuh dh _.kxLrrk

	tek dk vfrfjDr ifrHkr _.k	vifrHkr _.k ¼yk[k :i;s e½	tek	dqy _.kxLrrk
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता (i) मूल धन (ii) देय किंतु अदा न किया गया ब्याज (iii) प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज	शून्य	746.71	शून्य	746.71
dqy ¼i+ii+iii½	शून्य	746.71	शून्य	746.71
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन • वृद्धि • कमी	शून्य	शून्य 746.71	शून्य	शून्य 746.71
निवल परिवर्तन	शून्य	746.71	शून्य	746.71
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता (i) मूल धन (ii) देय किंतु अदा न किया गया ब्याज (iii) प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
dqy ¼i+ii+iii½	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

VI. funs'kdk vkSj ieq[k icU/ku dkfeZdk dk ikfjJfed

क. प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक

¼:i;s yk[k e½

Ø-la	ikfjJfed dk C;kjk	,eMh@MCY;wVhMh dk uke	,eMh@MCY;wVhMh dk uke	dqy jkf'k
		श्री राजन के. पिल्लै, मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक (01.04.2017 से 01.06.2017)	श्री एच.पी.एस आहुजा, मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक (02.06.2017 से 31.03.2018)	
1.	सकल वेतन (क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ का मूल्य (ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अनुसार वेतन के एवज में लाभ	₹ 4.84 (क+ख+ग)	₹ 56.87 (क+ख+ग)	₹ 61.71 (क+ख+ग)
2.	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	स्वेट इक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य, निर्दिष्ट करें...	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल (क)	₹ 4.84	₹ 56.87	₹ 61.71
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	₹ 156.54 लाख		

*अधिकारी की मूल कंपनी से प्राप्त वास्तविक डेबिट नोट्स के आधार पर

[k- vU; fun’kdk dk ikfjJfed

Ø-l	ikfjJfed dk C;kjk	fun’kd dk uke		dqy jkf’k ¼ yk[k e½
	1. स्वतंत्र निदेशक	श्रीमती संगीता गैरोला	श्री एस.बी. अग्निहोत्री	
	• बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	₹ 1.98	₹ 2.16	₹ 4.14
	कुल (1)	₹ 1.98	₹ 2.16	₹ 4.14
	2. अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक			
	• बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (2)	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (ख) = (1+2)	₹ 1.98	2.16	4.14
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	₹ 65.85		
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	₹ 156.54 लाख		

x- ,eMh@çc/kd@MCY;wVhMh ds vfrfjDr çe[k çc/ku dkfeZdksa dks ikfjJfed

Ø-l	ikfjJfed dk C;kjk	ize[k izc/ku dkfeZd				
		lhbZvks	lh,Qvks*		daiuh* lfpo	dqy jkf’k ¼ yk[k e½
			श्री एस.आर. हास्यागर 01.04.2017 से 23.05.17)	श्री गौतम सेन 24.05.2017 से 31.03.18)		
1.	सकल वेतन (क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ का मूल्य (ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अनुसार वेतन के एवज में लाभ	पहले ही तालिक में क्रम सं. ए में कवर किया जा चुका है।	₹ 6.01 (क+ख+ग)	₹ 29.59 (क+ख+ग)	₹ 41.63 (क+ख+ग)	₹ 77.23 (क+ख+ग)
2.	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	स्वेट इक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य , निर्दिष्टि करें...	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	dqy		₹ 6.01	₹ 29.59	₹ 41.63	₹ 77.23

*अधिकारी की मूल कंपनी से प्राप्त वास्तविक डेबिट नोट्स के आधार पर

VII. t|ekuk@nM@'keu 'kYd dk 'keu

i:dkj	d:iuh vf/kfu;e dh /kkjk	lf{kIr fooj.k	yxkbZ xbZ t|ekuk@nM@ 'keu 'kYd d: C;kj:	ikf/kdj.k (vkjMh@ ,ulh,yVh@ U;k;ky;)	dh xbZ vihy] ;fn dkbZ gks ¼C;kjk nhft,½
d- d:iuh					
t|ekuk	--	--	--	--	--
nM	--	--	--	--	--
'keu	--	--	--	--	--
[k- fun:'kd					
t|ekuk	--	--	--	--	--
nM	--	--	--	--	--
'keu	--	--	--	--	--
x- vU; p:ddrkZ vf/kdkjh					
t|ekuk	--	--	--	--	--
nM	--	--	--	--	--
'keu	--	--	--	--	--

¼vuqca/k&I½

cksMZ dh lfefr;ksa vkSj cksMZ dh cSBdksa dk C;kSjk vkSj funs'kdksa }kjk Hkkx yh xbZ cSBdksa dh la[;k

y{kk&ijh{kk lfefr %

लेखा–परीक्षा समिति की वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान दो बैठकें हुई थी। ये बैठकें 12 मई, 2017 और 2 अगस्त, 2017 को आयोजित की गई थी। लेखा–परीक्षा समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है :

Øe la-	lnL;	inuke	foÙkh; o"kZ 2017&18 esa Hkkx yh xbZ cSBdksa dh la[;k
1	श्री एस.बी. अग्निहोत्री	अध्यक्ष	2
2	श्री संजय सुधीर	सदस्य	2
3	श्रीमती संगीता गैरोला	सदस्य	2

ukekadu ,oa ikfjJfed lfefr ¼,uvkjlh½ %

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान एनआरसी की चार बैठकें हुई थी। ये बैठकें 7 अप्रैल, 2017, 12 मई, 2017, 2 अगस्त, 2017 और 28 नवंम्बर, 2017 को आयोजित की गई थी। एनआरसी बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है :

Øe la-	lnL;	inuke	foÙkh; o"kZ 2017&18 esa Hkkx yh xbZ cSBdksa dh la[;k
1	श्रीमती संगीता गैरोला	अध्यक्ष	4
2	श्री संजय सुधीर	सदस्य	4
3	श्री एस.बी. अग्निहोत्री	सदस्य	4

dkWjiksjsV lkekftd mÙkjnkf;Ro ¼lh,lvkj½ lfefr %

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

funs'kd eaMy %

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की पांच बैठकें हुई जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है –

(i) 2 मई, 2017
(ii) 14 जून, 2017
(iii) 6 सितम्बर, 2017
(iv) 9 नवंम्बर, 2017
(v) 22 फरवरी, 2017

Øe l-	fun'kd dk uke	inuke	foÙkh; o"k 2017&18 d nkjku Hkkx yh xb ckM cBdk dh l[;k
1	श्री के.डी. त्रिपाठी	अध्यक्ष	5
2	श्री अनंत कुमार सिंह (11.05.2017 तक)	निदेशक	1
3	श्री ए.पी. साहनी (22.06.2017 तक)	निदेशक	2
4	श्री राजीव बंसल (18.08.2017 से)	निदेशक	2
5	श्री संजय सुधीर	निदेशक	5
6	श्री आशीष चटर्जी	निदेशक	4
7	श्री आर.के. पिल्लै (01.06.2017 तक)	सीईओ एवं एमडी (भूतपूर्व)	1
8	श्री एच.पी.एस आहुजा (02.06.2017 से)	सीईओ एवं एमडी	4
9	श्रीमती संगीता गैरोला (27.03.2018 तक)	स्वतंत्र निदेशक	4
10	श्री एस.बी. अग्निहोत्री (27.03.2018 तक)	स्वतंत्र निदेशक	5

vuqcU/k & [k

Lora= ys[kk&ijh{kd dh l'kksf/kr fjiksVZ

lsok esa lnL;x.k]
bafM;u LVªsfVftd isVªksfy;e fjtoZ fyfeVsM

यह संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 19 जुलाई, 2018 की स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट के अधिलंघन में जारी की जा रही है। हमारी पिछली रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक द्वारा इंगित कुछ कमी के संदर्भ में संशोधित रिपोर्ट जारी की जा रही है। इसके अलावा, हम पुष्टि करते हैं कि पहले व्यक्त किए गए मत में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

bM , , l foÙkh; fooj.kksa ij fjiksVZ

हमने bafM;u LVªsfVftd isVªksfy;e fjtoZ fyfeVsM (''कंपनी'') के संलग्न इंड ए एस वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2018 के अनुसार तुलन–पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) तथा नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सार तथा अन्य विवरणात्मक जानकारी शामिल है, की लेखा–परीक्षा की है।

bM , , l foÙkh; fooj.kksa gsrq çca/ku dk mÙkjnkf;Ro

कंपनी का निदेशक मंडल, कपनी अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड ए एस) सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ या हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन) और नकदी प्रवाहों तथा कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन की वास्तविक तथा उचित स्थिति को दर्शाने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कम्पनी की परिसंपत्तियों की रक्षा और धोखा–धड़ियों तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों का रख–रखाव उचित लेखांकन नीति के चयन तथा उपयोग तर्कसंगत तथा विवेकसम्मत होने वाले निर्णयों तथा अनुमानों का उपयोग और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण भी शामिल है जो लेखांकन मानकों की सटीकता तथा पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, ऐसे इंड ए एस वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुतिकरण हेतु संगत थे जो एक सही तथा वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करें और जो किसी भौतिक गलत बयानी से मुक्त हों चाहे धोखा–धड़ी अथवा चूक के कारण हों ।

ys[kk&ijh{kd dk mÙkjnkf;Ro

हमारा उत्तरदायित्व अपने लेखा–परीक्षा के आधार पर इन इंड ए एस वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन तथा लेखा–परीक्षा मानकों और अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन लेखा–परीक्षा में शामिल किए जाने वाले मामलों को ध्यान में लिया है।

हमने इंड ए एस वित्तीय विवरणों का अपने लेखा–परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन संबंधी मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपूर्ण आवश्यकताओं का

अनुपालन करें और अपनी लेखा–परीक्षा की योजना तथा निष्पादन इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक गलत बयानी से मुक्त है।

लेखा–परीक्षा में परीक्षण के तौर पर इंड ए एस वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जांच का कार्य भी शामिल होता है। चयन की गई प्रक्रियाविधि लेखा–परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें इंड ए एस वित्तीय विवरण की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन शामिल होता है, चाहे धोखा–धड़ीवश हुआ हो या त्रुटिवश। उन जोखिम आंकलनों को करने में लेखा–परीक्षक, परिस्थितियों में उचित होने वाली लेखा–परीक्षा प्रक्रियाविधियों को बनाने के लिए इंड ए एस वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनके उचित प्रस्तुतिकरण के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है। लेखा–परीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन, तथा साथ ही साथ इंड ए एस वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और हमारी इंड ए एस वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा मत हेतु एक आधार मुहैया कराता है।

er

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण अधिनियम में अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और इंड ए एस सहित भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2018 को कंपनी की स्थिति (वित्तीय स्थिति) का, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी की हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन) और नकदी प्रवाह तथा इक्विटी में परिवर्तन एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

vU; fof/kd ,oa fu;ked vko';drkvksa ij fjikVZ

(क) केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) की शर्तों के अनुसार जारी, कंपनी (लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") की अपेक्षा के अनुसार, हमने लागू सीमा तक उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण vuqc/k&d में संलग्न किया है।

(ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) के प्रावधानों के अंतर्गत हम सूचित करते हैं कि :

(क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किये, जो हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा–परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे।

(ख) हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा–परीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है;

(ग) इस रिपोर्ट से संबधित तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण लेखा–बहियों के अनुरूप है;

(घ) हमारे मतानुसार, उक्त वर्णित इंड ए एस एकल वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं;

(ङ) निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च, 2018 के अनुसार रिकार्ड में लिया गया था, के आधार पर कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार 31 मार्च, 2018 को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अपात्र नहीं हैं;

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में ^vuqc/k&[k^ में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें; और

(छ) कम्पनी (लेखा–परीक्षा तथा लेखा–परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई श्रेष्ठ जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार :

(i) कंपनी ने इसके इंड ए एस वित्तीय विवरणों में इसकी वित्तीय स्थिति पर लम्बित याचिकाओं के प्रभाव को प्रकट किया है – वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 17.2 को देखें।

(ii) कम्पनी की कोई व्युत्पन्न संविदाओं सहित ऐसी कोई दीर्घावधि संविदाएं नहीं हैं जिसके लिए कोई भौतिक पूर्वानुमान वाली हानियां हों।

(iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा तथा बचाव निधि को अंतरित किए जाने की अपेक्षा वाली कोई राशि नहीं थी।

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत उप–निदेशों द्वारा अपेक्षानुसार ^vuqc/k&x^ में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

—r% i#"kkFkeu HkVkuh ,.M dEiuh
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 005484एन

gLrk-@&
fcu; dqekj >k
Hkkxhnkj
lnL;rk l- 509220

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.08.2018

y[kk&ijh{kdk dh fjiksVZ dk vuqca/k & d

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु इंड ए.एस वित्तीय विवरणों पर bfM;u LVªVftd iVªkfy;e fjt0l fyfeVM के सदस्यों को समसंख्यक तिथि की लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट के पैराग्राफ ए में उल्लिखित अनुबंध के संबंध, हम सूचित करते हैं कि:

(I) (क) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक ब्यौरों तथा स्थितियों सहित पूर्ण ब्यौरों को दर्शाने वाले उचित रिकार्डों को रखा है।

(ख)वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा सभी निश्चित संपत्तियों को भौतिक रूप से सत्यापित नहीं किया गया था और कंपनी द्वारा संपत्तियों के सत्यापन के लिए कोई नियमित कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है, जो हमारी राय में, कंपनी के विस्तार एवं इसकी संपत्ति के स्वरूप के संबंध में उचित नहीं है।

(ग) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों की हमारे द्वारा जांच के आधार पर पादुर की कुछ एकड़ जमीन को छोड़कर अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं। (टिप्पणी सं–23(xxiv) देखें)

(II) हमें प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार विशाखापट्टनम और मंगलौर में खनिज तेल माल–सूची का भारत सरकार के महत्वपूर्ण संप्रभुता वाले भण्डार होने के चलते संदर्भाधीन अवधि के दौरान तर्कसंगत अंतरालों पर प्रबंधन द्वारा उनका भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे मतानुसार भंडारों के स्वरूप तथा स्थिति के संबंध में भौतिक सत्यापन की आवृति तर्कसंगत प्रतीत होती है।

(III) (क) प्रस्तुत सूचना के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर की गई कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षों को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किए हैं। अतः उक्त आदेश का पैराग्राफ 3(3) कंपनी पर लागू नहीं होता और इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

(IV) हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर कंपनी ने निवेश, गारंटी और प्रतिभूति प्रावधानों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 का अनुपालन किया है।

(V) कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किए हैं और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश और अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधान तथा कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2015 जनता से स्वीकार जमाओं के संबंध में लागू नहीं होता है। इस प्रकार आदेश का पैराग्राफ 3(v) कम्पनी पर लागू नहीं होता है और इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

(VI) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार केन्द्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के रख–रखाव को विहित नहीं किया है। इस प्रकार आदेश का पैराग्राफ 3(vi) कंपनी पर लागू नहीं होता है और इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

(VII) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा लेखाबहियों एवं रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने सामान्यतः आयकर, मूल्यवर्धित कर, कार्य संविदा कर, सेवा कर, उप कर,

जीएसटी तथा अन्य किसी सांविधिक देय सहित अविवादित सांविधिक देयों को आमतौर पर नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा करवाया है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए गए अनुसार विवाद के कारण कंपनी द्वारा आयकर, बिक्री कर तथा रॉयल्टी के निम्नलिखित देयों को जमा नहीं करवाया गया है।

lfof/k dk uke	n;k dh idfr	jkf'k ¼yk[k : i;s eas½	vof/k ftlls jkf'k lacaf/kr gS	eap tgka fookn yfcr gS
आय कर अधिनियम अधिनियम, 1961,	आय कर	255.32	निधारण वर्ष 2014–15	सीआईटी (ए), दिल्ली
आय कर अधिनियम अधिनियम, 1961,	आय कर	220.09	निधारण वर्ष 2015–16	सीआईटी (ए), दिल्ली
बिक्री कर	एंट्री कर	26.73	वित्तीय वर्ष 2010–11	बिक्री कर अपीलीय अधिकरण, बंगलौर
बिक्री कर	एंट्री कर	88.47	वित्तीय वर्ष 2011–12	बिक्री कर अपीलीय अधिकरण, बंगलौर
बिक्री कर	एंट्री कर	93.32	वित्तीय वर्ष 2012–13	वाणिज्यिक कर का उप वाणिज्यिक विभाग, बंगलौर
बिक्री कर	एंट्री कर	67.00	वित्तीय वर्ष 2013–14	वाणिज्यिक कर का उप वाणिज्यिक विभाग, बंगलौर
आंध्र प्रदेश लघु खनिज रियायत नियमावली 1996	रायल्टी	11794.95	31.03.2018 तक	खान एवं भूविज्ञान निदेशालय आंध्र प्रदेश

(VIII) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक अथवा सरकार से कोई ऋण नहीं लिया है और कोई डिबेंचर भी जारी नहीं किए हैं। इस प्रकार आदेश का पैराग्राफ 3(VIII) कंपनी पर लागू नहीं होता है और उस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

(IX) कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण लिखित तथा सावधि ऋण सहित इनिशियल पब्लिक ऑफर अथवा आगे के पब्लिक ऑफर के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है। इस प्रकार आदेश का पैराग्राफ 3(IX) कंपनी पर लागू नहीं होता है और उस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

(X) निष्पादित की गई लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के साथ अथवा कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान किसी धोखा–धड़ी को पाया या सूचित नहीं किया गया है।

(XI) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा सत्यापित लेखाबहियों के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान अथवा व्यवस्था कंपनी अधिनियम की अनुसूची–V के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 197 के प्रावधानों द्वारा अधिदेशित अपेक्षित अनुमोदन के अनुसार किया गया है।

(XII) कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है। तदानुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(XII) लागू नहीं होता है।

(XIII) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों और हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों के परीक्षण के आधार पर संबंधित पक्षों के साथ समव्यवहार अधिनियम की धारा 177 तथा 188 के अनुपालन में है और जहां लागू हों ऐसे समव्यवहारों के ब्योरे लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षानुसार इंड ए एस वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं।

(XIV) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों और हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों के परीक्षण के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमानी आवंटन या निजी स्थापन अथवा पूर्णता या आंशिक रूप से भुगतान किए गए परिवर्तनीय डिबेंचरों को जारी नहीं किया है। तदानुसार, पैराग्राफ 3(XIV) कंपनी पर लागू नहीं होता है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

(XV) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों और हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों के परीक्षण के आधार पर कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी संव्यवहार नहीं किया है। तदानुसार, पैराग्राफ 3(XV) कंपनी पर लागू नहीं होता है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

(XVI) हमारे मतानुसार कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–1ए के अंतर्गत पंजीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है। तदानुसार, पैराग्राफ (XVI) कंपनी पर लागू नहीं होता है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

—r i#"kkFkeu HkVkuh ,.M diuh
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 005484एन

gLrk-@&
fcu; dekj >k
Hkkxhnkj
lnL;rk l- 509220

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 31.08.2018

y[kk&ijh{kdk dh fjikVZ dk vuca/k & [k

<u>diuh vf/kfu;e] 2013 ^^vf/kfu;e^^ dh /kkjk 143 dh mi&/kkjk 3 d [kaM¼i½ d vrxr vkarfjd foÙkh; fu;=.kk ij fjikVZ</u>

lok e]
bfM;u LVVftd iVkfy;e fjt0l fyfeVM ¼vkbZ,lihvkj,y½ d lnL;x.k

हमने 31 मार्च, 2018 के अनुसार bfM;u LVVftd iVkfy;e fjt0l fyfeVM 'कंपनी' की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा–परीक्षा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के इंड ए एस एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा–परीक्षा के साथ की है।

vkrfjd foÙkh; fu;=.kk grq çca/ku dk nkf;Ro

कंपनी का प्रबंधन कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है और ऐसा इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेन्टस ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा–परीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में बताए गए अनुसार आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रख–रखाव शामिल होता है जो इसके व्यापार के व्यवस्थित तथा दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य करें और जिसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसम्पत्तियों की रक्षा, धोखा–धड़ी तथा त्रुटियों का निवारण और पता लगाया जाना, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता तथा पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षानुसार विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार किया जाना शामिल है।

y[kk&ijh{kd dk nkf;Ro;

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा–परीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में अपना मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा–परीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा–परीक्षा संबंधी परामर्शी नोट ''परामर्शी नोट'' और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन संबंधी मानकों के अनुरूप की है, जिस सीमा तक यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा–परीक्षा पर लागू होते हैं, और दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा–परीक्षा पर लागू होते हैं, तथा दोनों को इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेन्टस ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। इन मानकों तथा परामर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करें और अपनी लेखा–परीक्षा की योजना तथा निष्पादन इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित तथा अनुरक्षित किए गए हैं और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक पहलुओं के संबंध में प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

हमारी लेखा–परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उसकी प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में लेखा–परीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने का कार्य भी शामिल होता है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा–परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि क्या कोई भौतिक कमजोरी मौजूद है, और आकलन किए गए जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन शामिल था। चयन की गई प्रक्रियाविधि लेखा–परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरण की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन शामिल होता है, चाहे धोखा–धड़ीवश हुआ हो या त्रुटिवश।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और हमारे लेखा–परीक्षा मत हेतु एक आधार मुहैया कराता है।

foÙkh; fjiksfVax ij vkarfjd foÙkh; fu;a=.k dk vFkZ

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने और सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बनाई जाती है। किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां तथा प्रकियाएं शामिल होती है जो कि:

(1) तर्कसंगत ब्यौरे में रिकार्डों के रख–रखाव, सटीकता और उचित रूप से कंपनी के संव्यवहारों और परिसंपत्तियों के निपटान को दर्शाते हों,

(2) इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करते हो कि आवश्यकतानुसार ऐसे संव्यवहारों को रिकार्ड किया जाए जो सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने और कंपनी की प्राप्तियों तथा व्यय को केवल कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किया जाता हो,

(3) इंड ए एस वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव होने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों की अप्राधिकृत खरीद, उपयोग या निपटान को रोकने या समय पर पता लगाने के संबंध तर्कसंगत आश्वासन मुहैया करवाते हों।

foÙkh; fjiksfVax ij vkarfjd foÙkh; fu;a=.k dh fufgr lhek,a

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं है, जिसमें सांठ–गांठ या अनुचित प्रबंधन की संभावना, नियंत्रणों को लांघना, त्रुटि या धोखा–धड़ी के कारण भौतिक गलतबयानी जिसका पता न लग सके, शामिल हैं। साथ ही भविष्य की अवधियों हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन होता है कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त सिद्ध हो सकता है, अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन के स्तर में कमी आ सकती है।

er

हमारे मतानुसार, कंपनी के पास सभी भौतिक संबंध में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2018 को प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है, जो इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेन्टस ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा–परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में बताए गए अनुसार आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है।

—r i#"kkFkeu HkVkuh ,.M diuh
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 005484एन

gLrk-@&
fcu; dekj >k
Hkkxhnkj
lnL;rk l- 509220

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.08.2018

y[kk&ijh{kdk dh fjikVZ dk vuqc/k & x

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु इंड ए एस वित्तीय विवरणों पर bfM;u LVsVfTkd iSVªksfy;e fjtoZl fyfeVsM के सदस्यों को समसंख्यक तिथि की लेखा–परीक्षा रिपोर्ट के पैराग्राफ सी में उल्लिखित अनुबंध के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:

(1) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी की तीन स्थलों अर्थात विशाखापट्टनम, मंगलौर तथा पादुर में सुविधाएं हैं। विशाखापट्टनम और मंगलौर स्थानों के लिए पट्टा विलेख पंजीकृत कर लिए गए हैं। पादुर भूमि के मामले में कुछ एकड़ भूमि के शीर्षक दस्तावेज अभी तक कंपनी के नाम पर निष्पादित नहीं की गई है। (टिप्पणी सं–23(xxiv) देखें)

(2) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार ऋण/उधार/ब्याज आदि की छूट/बटटे खाते में डालना संबंधी सूचना देने का मामला कंपनी से संगत नहीं है।

(3) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तृतीय पक्ष के पास कोई माल–सूची नहीं है और कोई परिसंपत्ति सरकार तथा अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त नहीं हुई है, और मामला कंपनी से संगत नहीं है।

—rs iq:"kksRre HkkVkuh ,.M daiuh
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 005484एन

gLrk-@&
fcu; dqekj >k
Hkkxhnkj
lnL;rk la- 509220

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.08.2018

lfpoky;hu y[kk&ijh{kk fjikV

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुपालन में)

lfpoky;hu y[kk&ijh{kk fjikV
lekIr foÙkh; o"k 31-3-2018 d fy,

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
301 वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर
तीसरा तल, बाबर रोड
नई दिल्ली–110001

हमनें bfM;u LVsVftd isVkfy;e fjtoZ fyfeVsM (जिसे एतदपश्चात ''कंपनी'' कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छे कारपोरेट व्यवहारों के पालन की सचिवालयीन लेखा–परीक्षा की है। सचिवालयीन लेखा–परीक्षा को इस प्रकार से किया गया था कि उसने हमें कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उस पर अपना मत व्यक्त करने के लिए एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाया था।

सचिवालयीन लेखा–परीक्षा के दौरान कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्ड़ों के हमारे सत्यापन और कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मुहैया करवाई गई सूचना के आधार पर भी हम एतदद्वारा यह सूचित करते है कि हमारे मतानुसार कम्पनी ने 31 ekpZ 2018 को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करने वाली लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कम्पनी में उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन तंत्र विद्यमान है जिसका तरीका और एतदपश्चात सूचित करने के तरीके को नीचे दिया गया है:

हमनें इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (''कंपनी'') द्वारा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों का परीक्षण निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार किया है:

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा उप नियमय लागू नहीं

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेश से प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा विनियमय लागू नहीं

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशा–निर्देश :–

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यापक अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011: लागू नहीं

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर निषेध का प्रतिशेध) विनियम, 1992: लागू नहीं

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी के जारी करने हेतु, जरूरी प्रकटीकरण) विनियम, 2009 : लागू नहीं

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टाक खरीद योजना) दिशा–निर्देश, 1999: लागू नहीं

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन एवं सूचीकरण) विनियम, 2008 : लागू नहीं

(च) कम्पनी अधिनियम तथा ग्राहकों के साथ कारोबार से संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (किसी इश्यू के रजिस्टर और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993: लागू नहीं

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीबद्ध करना) विनियम, 2009: लागू नहीं

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 1998: लागू नहीं

(vi) अन्य लागू विधियां :

(i) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934

(ii) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974

(iii) तेल क्षेत्र अधिनियम, 1948

(iv) भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884

पर्यावरणीय कानून :

(i) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974

(ii) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981

(iii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

(iv) हानिकारक पदार्थ (प्रबंधन और संचालन) नियम, 1989

विविध विधियां :

(I) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

हम कंपनी द्वारा अन्य लागू अधिनियमों के अंतर्गत अनुपालन हेतु कंपनी द्वारा बनाई गई प्रणालियों तथा तंत्र हेतु कंपनी और इसके अधिकारियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों और एजेंडा दस्तावेजों के माध्यम से बोर्ड को की गई रिपोर्टिंग पर भी निर्भर रहे हैं।

हमनें निम्नलिखित के लागू खंडों के साथ अनुपालन का भी परीक्षण किया है :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयीन मानक।

(ii) कम्पनी द्वारा स्टाक एक्सचेंज(जों) के साथ किए गए सूचीकरण समझौते : लागू नहीं

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि का पालन किया है।

ge vkx lfpr djr g fd

कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशक, गैर–कार्यपालक निदेशक और स्वतंत्र निदेशक का उचित संतुलन हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में होने वाले परिवर्तनों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया था तथा इस अवद्यि के दौरान श्री सतीश बलराम अग्निहोत्री (डीआईएन 03390553) एवं श्रीमति संगीता गैरोला (डीआईएन 07172316) 27.03.2018 को सेवानिवृत्त हो चुके थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठक के कार्यक्रम की पर्याप्त सूचना विस्तृत कार्यसूची के साथ दी जाती है और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर अतिरिक्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता हेतु एक तंत्र विद्यमान है।

कंपनी द्वारा बोर्ड/समिति और शेयरधारकों की बैठकों के रखे गए कार्यवृत्त के अनुसार, हमनें पाया कि सभी निर्णयों को संबंधित बोर्ड/समिति और शेयरधारकों द्वारा बिना किसी विमत टिप्पणी के अनुमोदित किया गया था।

हम आगे सूचित करते हैं कि कंपनी में लागू विधियों, नियमों, विनियमों तथा दिशा–निर्देशों की निगरानी तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार तथा प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

हम आगे सूचित करते हैं कि लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने उक्त संदर्भित विधियों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि के अनुपालन में कंपनी के मामलों पर व्यापक प्रभाव होने वाले किसी कार्यक्रम/कार्रवाई को नहीं लिया है।

—r , l- ,u- vxoky ,.M diuh
diuh lfpo

gLrk-@&
¼lR;k ukjk;.k vxoky½
ifDVflx diuh lfpo
¼lhih l[;k 3581½

स्थान : नोएडा
दिनांक : 18.05.2018

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
301 वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर
तीसरा तल, बाबर रोड
नई दिल्ली –110001

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

(1) हमने कंपनी की कोई व्यापार और/अथवा वित्तीय लेखा–परीक्षा नहीं की है और कंपनी द्वारा उल्लिखित आंकड़ों को सही पाया माना गया है।

(2) हमने कंपनी के विपणन, प्रचालन, तकनीकी सेवाओं, कर, वाणिज्य या वित्तीय और लेखांकन से संबंधित मामलों पर कोई मत व्यक्त, नहीं किया है।

(3) हमने हमें मुहैया करवाए गए सभी दस्तावेजों के हस्ताक्षरों, मौलिकता और पूर्णता की प्रामाणिकता को माना है और इसके अलावा जो मूल नहीं थे, उन्हें उनके तदानुरूपी मूल दस्तावेजों के अनुरूप माना है।

(4) हमने सचिवालयीन रिकार्डों की विषय–वस्तु की सत्यता के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखा–परीक्षा व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है। परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवालयीन रिकार्डों में सही तथ्यों को प्रदर्शित किया जा सके। हम मानते हैं कि अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों ने हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाया है।

—r ,l- ,u- vxoky ,.M diuh
diuh lfpo

gLrk-@&
¼lR;k ukjk;.k vxoky½
ifDVflx diuh lfpo
¼lhih l[;k 3581½

स्थान : नोएडा
दिनांक : 18.05.2018

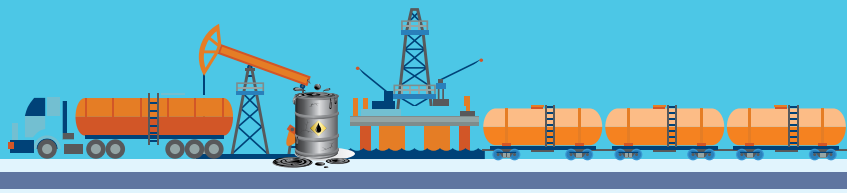

lR;kfir nLrkostksa dh lwph

(1) संशोधित मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तथा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।

(2) 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट।

(3) लेखा–परीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान हुई निदेशक मंडल, बोर्ड की लेखा–परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, सीएसआर समिति, स्वतंत्र निदेशकों की बैठकों के कार्यवृत्त और साथ में संबंधित उपस्थिति रजिस्टर।

(4) रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आयोजित आम सभा बैठकों के कार्यवृत्त।

(5) सांविधिक रजिस्टर अर्थात

- निदेशकों तथा केएमपी का रजिस्टर
- अंतरणों का रजिस्टर
- सदस्यों का रजिस्टर

(6) बोर्ड की बैठकों तथा समिति बैठकों हेतु सभी निदेशकों/सदस्यों को प्रस्तुत कार्य–सूची दस्तावेज।

(7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के निदेशकों से प्राप्त घोषणाएं।

(8) अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी द्वारा दायर किए गए सभी ई–फार्म और लेखा–परीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान तत्संबंधी संलग्नक।

(9) मंगलौर स्थल हेतु 30.09.2022 तक प्रेशर वेसल में एलपीजी गैस के भंडारण हेतु लाइसेंस।

(10) मंगलौर सुविधा हेतु 30.06.2021 तक वैध हेतु जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत स्रावों और वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत उत्सवर्जनों के निपटान हेतु सहमति।

(11) 26.04.2021 तक वैध मंगलौर में सुविधा हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ऊंचाई स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

(12) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति का गठन और 01.01.2017 से 31.12.2017 तक की अवधि के लिए अधिनियम के अंतर्गत दायर वार्षिक रिटर्न।

—rs ,l- ,u- vxzoky ,.M daiuh
daiuh lfpo

gLrk-@&
¼lR;k ukjk;.k vxzoky½
iSfDVflax daiuh lfpo
¼lhih la[;k 3581½

okf”kZd ys[kk

2017-18

bfM;u LVªsVftd iSVªksfy;e fjtoZ lfyfeVsM
31 ekpZ 2018 dks vuqlkj rqyu&i=

लाख ₹ में

	fooj.k	fVIi.kh	31 ekpZ 2018 dks vuqlkj	31 ekpZ 2017 dks vuqlkj
	ifjlaifRr;k¡			
(I)	xSj&orZeku ifjlaifRr;k¡			
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	1,77,796.75	1,83,2573.46
	(ख) प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	2.1	1,55,373.12	1,52,106.27
	(ग) अमूर्त परिसम्पत्ति	2.2	4,450.00	-
	(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	ऋण	3	789.65	577.63
	(ङ) आय कर परिसंपत्तियां (निवल)		116.97	105.18
	(च) अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	4	12,710.51	16,506.57
	mi tksM+		**3,51,236.99**	**3,52,553.10**
(II)	orZeku ifjlaifRr;k¡			
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) नकदी और नकदी तुल्य	5	1,617.91	1,747.80
	(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	6	2,869.05	1,059.18
	(ख) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	7	509.64	2,718.77
	mi tksM+		**4,996.60**	**5,525.75**
	dqy		**3,56,233.59**	**3,58,078.85**
	bfDoVh vkSj ns;rk,¡			
(I)	bfDoVh			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	8	3,68,106.47	3,57,437.47
	(ख) अन्य इक्विटी	9	(16,595.39)	(10,587.47)
(II)	आवंटन लंबित होने वाली शेयर आवेदन राशि		431.00	-
	mi tksM+		**3,51,942.07**	**3,46,849.99**
(III)	ns;rk,¡			
	xSj&orZeku ns;rk,¡			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	अन्य वित्तीय देयताएं	10	19.68	13.54
	mi tksM+		**19.68**	**13.54**
(IV)	orZeku ns;rk,¡			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) ऋण	11	-	746.71
	(ii) देय व्यापार	12	1,961.71	6,156.51
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	13	2,164.38	706.39
	(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	14	145.74	3,605.70
	mi tksM+		**4,271.84**	**11,215.31**
	dqy		**3,56,233.59**	**3,58,078.85**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 1
लेखे पर टिप्पणियां 2-23
उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां तुलन–पत्र का एक अभिन्न भाग है।
हमारी संलग्न तारीख रिपोर्ट के अनुसार

dr s iq:"kksRre HkVukxj ,.M dEiuh
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005484एन

gLrk-@&
¼lh, fcu; dqekj >k½
भागीदार
सदस्यता सं. 509220

LFkku % ubZ fnYyh
fnukad % 19-07-2018

dr s funs'kd eMy vkSj mudh vksj ls

gLrk-@&
¼vk’kh”k pVthZ½
funs'kd
¼MhvkbZ,u % 07688473½

gLrk-@&
¼,p-ih-,l- vkgwtk½
lhbZvks ,oa ,eMh
¼Mhvkbz,u % 07793886½

gLrk-@&
¼xkSre lsu½
eq[; foRr vf/kdkjh

gLrk-@&
¼v:.k ryokj½
dEiuh lfpo

bfM;u LVªsVftd isVªksfy;e fjtoZ~l fyfeVsM
31 ekpZ] 2018 dks lekIr o"kZ gsrq ykHk ,oa gkfu fooj.k

लाख ₹ में

fooj.k	fVIi.kh	31 ekpZ] 2018 dks lekIr o"kZ gsrq	31 ekpZ] 2017 dks lekIr o"kZ gsrq
vk;			
ब्याज आय		21.98	8.21
अन्य आय		3.92	
dqy vk;		**25.90**	**8.21**
O;;			
मुल्यह्रास	15	5,526.03	4,122.98
अन्य व्यय		496.54	470.46
dqy O;;		**6,022.57**	**4,593.44**
कर पूर्व हानि		(5,996.67)	(4,585.23)
dj O;;%			
वर्तमान कर		-	-
विलंबित कर		-	-
		-	-
		-	-
o"kZ gsrq gkfu		**(5,996.67)**	**(4,585.23)**
अन्य व्यापक आय		**-**	**-**
o"kZ gsrq dqy O;kid vk; ¼blesa ykHk@¼gkfu½ rFkk o"kZ gsrq vU; O;kid vk; 'kkfey gS½		**(5,996.67)**	**(4,585.23)**
izfr bfDoVh 'ks;j vtZu ¼ 10@& izR;sd dk vafdr ewY;½	16		
(I) मूलभूत		(0.17)	(0.13)
(II) तनुकृत		(0.17)	(0.13)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां — 1
लेखे पर टिप्पणियां — 2-23
उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां तुलन–पत्र का एक अभिन्न भाग है।
हमारी संलग्न तारीख रिपोर्ट के अनुसार

drs i`:"kksRreu HkkVkuh ,.M dEiuh
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005484एन

gLrk-@&
¼lh, fcu; dqekj >k½
भागीदार
सदस्यता सं. 509220

LFkku % ubZ fnYyh
fnukad % 19-07-2018

drs funs'kd eaMy vkSj mudh vkSj ls

gLrk-@&
¼vk'kh"k pVthZ½
funs'kd
¼MhvkbZ,u % 07688473½

gLrk-@&
¼,p-ih-,l- vkgwtk½
lhbZvks ,oa ,eMh
¼MhvkbZ,u % 07793886½

gLrk-@&
¼xkSre lsu½
eq[; foRr vf/kdkjh

gLrk-@&
¼v:.k ryokj½
daiuh lfpo

bfM;u LVfVftd iVkfy;e fjt0l fyfeVM 31 ekp] 2018 dk lekIr o"kZ gr udnh iokg fooj.k			
			लाख ₹ में
Ø-l-	fooj.k	31 ekp] 2018 dk lekIr o"kZ gr	31 ekp] 2017 dk lekIr o"kZ gr
¼d½	ipkyu fØ;kdykiks ls udnh iokg		
	djksa ls igys 'kq) ykHk	**(5,996.97)**	**(4,585.23)**
	समायोजन हेतु :		
	मूल्यह्रास	5,526.03	4,122.98
	ब्याज आय	(21.98)	(8.21)
	dk;Z'khy iwath ifjorZu ls igys ipkyu ykHk	**(492.62)**	**(470.46)**
	समायोजन हेतु :		
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों तथा अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	3,983.30	2,307.88
	देयताएं और प्रावधान में (वृद्धि)/कमी	(6,190.63)	1,174.33
	dk;Z'khy iwath esa fuoy ¼of)½@deh	**(2,207.33)**	**(3,482.21)**
	lapkyu ls mRiUu udnh	**(2,699.95)**	**(3,011.75)**
	iR;{k dj Hkqxrku ¼udn okilh dk fuoy½	(11.78)	(7.98)
	ipkyu fØ;kdykiks ls dqy udnh iokg ¼d½	**(2,711.73)**	**(3,003.77)**
¼[k½	fuos'k fØ;kdykiksa ls udnh iokg ¼djkM½		
	वित्तीय परिसंपत्तियों /सीडब्लुआईपी की खरीद	(3,332.18)	(15,538.38)
	वित्तीय परिसंपत्तियों का विक्रय	-	333.99
	अमुर्त परिसंपत्तियों की खरीद	(4,450.00)	-
	प्राप्त ब्याज	21.98	8.21
	fuos'k xfrfof/k;ksa esa mi;ksx udnh ¼[k½	**(7,760.20)**	**(15,196.18)**
¼x½	foRrh; xfrfof/k;ksa ls udnh iokg ¼djkM½		
	शेयर पूंजी इश्यु से प्राप्तियां	11,100.00	13,054.99
	शेयर पूंजी इश्यु पर स्टाम्प शुल्क	(11.25)	(24.32)
	लघु अवधि के लिए ऋण	(746.71)	559.17
	foRr iks"k.k ls dqy udnh iokg ¼x½	**10,342.04**	**13,589.84**
¼?k½	udnh rFkk udnh rqY; esa fuoy of)@¼deh½ ¼d+[k+x½	**(129.89)**	**(1,397.43)**
	o"kZ ds izkjEHk esa udnh rFkk udnh rqY;	**(1,747.80)**	**(350.37)**
	o"kZ ds var esa udnh rFkk udnh rqY;	**1,617.91**	**1,747.80**

हमारी संलग्न तारीख रिपोर्ट के अनुसार

drs iq:"kksRRke HkVukxj ,.M dEiuh
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005484एन

gLrk-@&
¼lh, fcu; dqekj >k½
भागीदार
सदस्यता सं. 509220

LFkku % ubZ fnYyh
fnukad % 19-07-2018

drs funs'kd eMy vkSj mudh vksj ls

gLrk-@&
¼vk'kh"k pVthZ½
funs'kd
¼MhvkbZ,u % 07688473½

gLrk-@&
¼,p-ih-,l- vkgqtk½
lhbZvks ,oa ,eMh
¼Mhvkbz,u % 07793886½

gLrk-@&
¼xkSre lsu½
eq[; foRr vf/kdkjh

gLrk-@&
¼v:.k ryokj½
dEiuh lfpo

bfM;u LVfVft d iVkfy;e fjt0l fyfeVM

31 ekp] 2018 dk lekIr o"k gr bfDoVh e ifjorlu dk fooj.k

d- bfDoVh 'k;j iwth

लाख ₹ में

fooj.k	31 ekp] 2018 dks vuqlkj	31 ekp] 2017 dks vuqlkj
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष	3,57,437.47	3,41,882.47
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	10,669.00	15,555.00
fjiksfVx vof/k dh vir e 'ks"k	**3,68,106.47**	**3,57,437.47**

[k- vU; bfDoVh

लाख ₹ में

fooj.k		vkjf{kr vkSj vf/k'ks"k	dqy
		ifr/kkfjr vk;	
01 अप्रैल, 2016 को शेष		(5,977.92)	(5,977.92)
वर्ष हेतु लाभ/(हानि)		(4,585.23)	(4,585.23)
जारी शेयरों पर स्टाम्प ड्यूटी		(24.32)	(24.32)
वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय		-	-
31 ekp] 2017 dks 'ks"k		**(10,587.47)**	**(10,587.47)**
वर्ष हेतु लाभ/(हानि)		(5,996.67)	(5,996.67)
जारी शेयरों पर स्टाम्प ड्यूटी		(11.25)	(11.25)
वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय		-	-
31 ekp] 2018 dks 'ks"k		**(16,595.39)**	**(16,595.39)**

d`rs i`:"kksRFkeu HkkVkuh ,.M dEiuh

सनदी लेखाकार

एफआरएन 005484एन

gLrk-@&

¼lh, fcu; dqekj >k½

भागीदार

सदस्यता सं. 509220

LFkku % ubZ fnYyh

fnukad % 19-07-2018

d`rs funs'kd eMy vkSj mudh vksj ls

gLrk-@&

¼vk'kh"k pVthZ½

funs'kd

¼MhvkbZ,u % 07688473½

gLrk-@&

¼,p-ih-,l- vkgqtk½

lhbZvks ,oa ,eMh

¼MhvkbZ,u % 07793886½

gLrk-@&

¼xkSre lsu½

eq[; foRr vf/kdkjh

gLrk-@&

¼v:.k ryokj½

dEiuh lfpo

bfM;u LVªSVftd isVªksfy;e fjtoZ~l fyfeVsM

foRrh; fooj.kksa dk Hkkx gksus okyh fVIif.k;k¡

fVIi.kh la- 2 % lEifRr] la;a= vkSj midj.k

orZeku o"kZ — लाख ₹ में

fooj.k	ldy Cykd				eY;gkl				fuoy Cykd	
	1 vizSy] 2017 dks vuqlkj	o"kZ ds nkSjku o/kZu	fuiVku@ dVkSrh@ vUrj.k@ iqu% oxhZdj.k	31 ekpZ] 2018 dks vuqlkj	31 ekpZ] 2017 dks eY;gkl	o"kZ ds nkSjku eY;gkl	fuiVku@ dVkSrh@ vUrj.k@ iqu% oxhZdj.k	31 ekpZ] 2018 dks dqy eY;gkl	31 ekpZ] 2018 dks vuqlkj	31 ekpZ] 2017 dks vuqlkj
(क) भवन	9,544.41			9,544.41	827.39	658.87	-	1,486.26	8,058.15	8,717.02
(ख) सड़के तथा पुलिया	1,375.27			1,375.27	356.28	245.23	-	601.50	773.76	1,018.99
(ग) संयंत्र और मशीनरी	70,192.38			70,192.38	2,897.60	2,500.09	-	5,397.70	64,794.69	67,294.78
(घ) कैवर्न	1,07,238.72			1,07,238.72	1,922.03	1,789.20	-	3,711.23	1,03,527.49	1,05,316.69
(ङ) फर्नीचर और फिक्सचर	607.26	0.48		607.75	123.39	9.22	-	132.60	475.14	483.87
(च) परिवहन वाहन	61.92			61.92	9.33	7.35	-	16.69	45.24	52.59
(छ) कार्यालय उपकरण	224.60	53.53		278.13	85.58	69.53	-	155.11	123.02	139.02
(ज) कम्प्यूटर	421.16	11.31		432.47	186.67	246.54	-	433.21	(0.74)	234.49
dqy	1,89,665.74	65.32	-	1,89,731.06	6,408.28	5,526.03	-	11,934.31	1,77,796.75	1,83,257.49

foxr o"kZ — लाख ₹ में

fooj.k	ldy Cykd				eY;gkl				fuoy Cykd	
	1 vizSy] 2016 dks vuqlkj	o"kZ ds nkSjku o/kZu	fuiVku@ dVkSrh@ vUrj.k@ iqu% oxhZdj.k	31 ekpZ] 2017 dks vuqlkj	31 ekpZ] 2016 dks eY;gkl	o"kZ ds nkSjku eY;gkl	fuiVku@ dVkSrh@ vUrj.k@ iqu% oxhZdj.k	31 ekpZ] 2017 dks dqy eY;gkl	31 ekpZ] 2017 dks vuqlkj	31 ekpZ] 2016 dks vuqlkj
(क) भवन	3,195.16	6,349.25	-	9,544.41	309.93	517.46	-	827.39	8,717.02	2,885.23
(ख) सड़कें तथा पुलिया	968.33	406.94	-	1,375.27	144.54	211.74	-	356.28	1,018.99	823.79
(ग) संयंत्र और मशीनरी	29,674.44	40,823.53	305.59	70,192.38	1,037.35	1,860.25	-	2,897.60	67,294.78	28,637.09
(घ) कैवर्न	49,517.40	57,749.29	27.97	1,07,238.72	652.31	1,269.72	-	1,922.03	1,05,316.69	48,865.09
(ङ) फर्नीचर और फिक्सचर	597.07	10.19	-	607.26	114.50	8.89	-	123.39	483.87	482.57
(च) परिवहन वाहन	37.72	24.20	-	61.92	3.53	5.80	-	9.33	52.59	34.19
(छ) कार्यालय उपकरण	183.93	41.10	0.43	224.60	15.43	70.15	-	85.58	139.02	168.50
(ज) कम्प्यूटर	24.12	397.04	-	421.16	7.70	178.97	-	186.67	234.49	16.42
dqy	84,198.19	1,05,801.54	333.99	1,89,665.74	2,285.30	4,122.98	-	6,408.28	1,83,257.46	81,912.89

bfM;u LVªSVft d iVªkfy;e fj t0l lfyfeVM
foRrh; fooj.kks dk Hkkx gksus okyh fVIif.k;k
fVIi.kh l- 2-1 % ixfr/khu iwthxr dk;l

लाख ₹ में

fooj.k		31 ekp] 2018 dks vuqlkj	31 ekp] 2017 dks vuqlkj
चरण–I – विशाखापट्टनम कैवर्न भंडारण परियोजना	प्रारंभ में जोड़े : वर्ष के दौरान वर्धन घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत	- - -	98.30 - (98.30)
	‘k”k cdk;k	**-**	**-**
– पादुर कैवर्न भंडारण परियोजना	प्रारंभ में जोड़े : वर्ष के दौरान वर्धन घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत	1,50,106.27 5,266.85 -	1,41,958.53 8,147.74 -
	‘k”k cdk;k	**1,55,373.12**	**1,50,106.27**
– मंगलौर कैवर्न परियोजना	प्रारंभ में जोड़े : वर्ष के दौरान वर्धन घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत/स्थानांतरण घटाएं : अमूर्त परिसंपित्तयों में स्थानांतरण	2,000.00 - - (2,000.00)	1,00,312.59 17,310.18 (1,15,622.77) -
	‘k”k cdk;k	-	**2,000.00**
dqy ¼ixfr/khu iwthxr dk;½		**1,55,373.12**	**1,52,106.27**

bfM;u LVªSVft d iVªkfy;e fj t0l lfyfeVM
foRrh; fooj.kks dk Hkkx gksus okyh fVIif.k;k
fVIi.kh l- 2-2 % ver/ ifjlifRr;k

vewrZ lEifÙk ¼ikbiykbu ds fy, vkjvks;w½		
fooj.k	31 ekp] 2018 dks vuqlkj लाख ₹ में	31 ekp] 2017 dks vuqlkj लाख ₹ में
वर्ष की शुरुआत के रूप में सकल ब्लॉक वर्ष के दौरान अन्य संपत्तियों से जोड़ / स्थानांतरण निपटान / कटौती / स्थानांतरण / पुनर्वर्गीकरण	- 4,450.00 -	- - -
o"kZ ds var esa ldy Cykd	4,450.00	-
वर्ष की शुरुआत में अमूर्तकरण वर्ष की दौरानं अमूर्तकरण निपटान / कटौती / स्थानांतरण / पुनर्वर्गीकरण	- - -	- - -
वर्ष के अंत में अमूर्तकरण	-	-
fuoy [kaM	**4,450.00**	**-**
नोट(1): आरओयु का संबंध विच्छेद		
आरओयु 42'' पादुर पाईपलाइन	2,450.00	
आरओयु 48'' मंगलौर पाईपलाइन	2,000.00	
नोट(2): पाइपलाइन के लिए आरओयू निरंतर आधार पर अधिग्रहित किया जाता है, इसलिए कोई अमूर्तकरण प्रदान नहीं किया जा रहा है।		

bfM;u LVVftd iVkfy;e fjt0l fyfeVM
foRrh; fooj.kk dk Hkkx gku okyh fVIif.k;k

fVIi.kh l- 3 & .k

लाख ₹ में

fooj.k	31 ekp] 2018 d vu lkj	31 ekp] 2017 d vu lkj
(अप्रतिभूत परिशोधित लागत पर अच्छे माने गए)		
सुरक्षा जमा	789.65	577.63
d y	**789.65**	**577.63**

fVIi.kh l- 4 & vU; xj&orLeku ifjlifRr;k

लाख ₹ में

fooj.k	31 ekp] 2018 d vu lkj	31 ekp] 2017 d vu lkj
¼vifrHkr vPN eku x,½		
सरकारी प्राधिकारियों के पास शेष – प्राप्य सेनवैट क्रेडिट	-	1,064.55
पादुर भूमि के प्रति अग्रिम	-	342.15
आरओयू तथा अन्य आपूर्ति के प्रति अग्रिम	2.25	2,350.00
आपूर्तिकारों / संविदाकारों को जुटाए जाने का अग्रिम	-	133.26
पूर्व प्रदत्त किराया (पटाधारी भूमि हेतु)	12,708.26	12,616.61
d y	**12,710.51**	**16,506.57**

fVIi.kh l- 5 & udnh vkj udnh rY;

लाख ₹ में

fooj.k	31 ekp] 2018 d vu lkj	31 ekp] 2017 d vu lkj
cd 'k"k		
चालू खाते में	1,617.90	1,747.60
udn 'k"k		
हस्तगत नकदी	0.00	0.20
d y	**1,617.91**	**1,747.80**

fVIi.kh l- 6 & vU; foÙkh; ifjlifRr;k

लाख ₹ में

fooj.k	31 ekp] 2018 d vu lkj	31 ekp] 2017 d vu lkj
(अप्रतिभूत परिशोधित लागत पर अच्छे माने गए)		
भारत सरकार से प्राप्य वाईजैग के ओ एण्ड एम व्यय	2,332.57	869.32
नकदी अथवा वस्तु रूप में वसूली योग्य अग्रिम	536.48	189.86
d y	**2,869.05**	**1,059.18**

fVIi.kh l- 7 & vU; orLeku ifjlifRr;k

लाख ₹ में

fooj.k	31 ekp] 2018 d vu lkj	31 ekp] 2017 d vu lkj
(अप्रतिभूत अच्छे समझे गए)		
पूर्व प्रदत्त व्यय	0.33	6.28
शेयरों पर स्टाम्प ड्यूटी के प्रति अग्रिम	12.34	3.59
मंगलौर एसईजेड से वसूली योग्य राशि	-	2,230.14
पूर्व प्रदत्त किराया (पटाधारी भूमि हेतु)	493.11	476.47
अन्य	3.86	2.29
d y	**509.64**	**2,718.77**

bfM;u LVªsVsft d iSVªksfy;e fjt0Zl fyfeVsM
foRrh; fooj.kksa dk Hkkx gksus okyh fVIif.k;ka

fVIi.kh l- 8 & 'ks;j iwath

लाख ₹ में

fooj.k	31 ekpZ 2018 dks vuqlkj		31 ekpZ 2017 dks vuqlkj	
	'ks;jksa dh la[;k	jkf'k	'ks;jksa dh la[;k	jkf'k
bfDoVh 'ks;j iwath ¼d½ ikf/kd`r 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	3832560000	3,83,256.00	3832560000	3,83,256.00
¼[k½ fuxZr] vfHknRr vkSj iw.kZr% iznRr 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	3681064670	3,68,106.47	3574374670	3,57,437.47

fVIif.k;ka
¼i½ bfDoVh 'ks;jksa dh la[;k dk feyku%

fooj.k	31 ekpZ 2018 dks vuqlkj		31 ekpZ 2017 dks vuqlkj	
10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर				
प्रारंभिक शेष	3574374670			3418824670
जारी किए गए शेयर	106690000			155550000
पुनः खरीद किए गए शेयर	-			-
अंतिम शेष	3681064670			3574374670

¼ii½ 5% ls vf/kd 'ks;j/kkj.k djus okys 'ks;j/kkjdksa dk C;kSjk

'ks;j/kkjdksa dk uke	31 ekpZ 2018 dks vuqlkj		31 ekpZ 2017 dks vuqlkj	
	/kkfjr 'ks;jksa dh la[;k	'ks;jksa dh mls Js.kh esa /kkfjr dk %	/kkfjr 'ks;jksa dh la[;k	'ks;jksa dh mls Js.kh esa /kkfjr dk %
10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर				
तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली और उसके नामित	3681064670	100%	3574374670	100%
dqy	**3681064670**	**100%**	**3574374670**	**100%**

¼iii½ bfDoVh 'ks;jksa ls layXu 'krsZa@vf/kdkj

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिनका प्रति मूल्य 10 प्रत्येक का है और एक शेयर पर एक मत दिया जा सकता है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। निगम के परिसमापन की स्थिति में इक्विटी शेयरों के धारक, उनके द्वारा धारित इक्विटी की संख्या के अनुपात में कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

¼iv½ rqyu i= ds vuqlkj fiNys 5 o"kksZa dj vof/k ds fy,

(क) नकदी में भुगतान किए बिना भुगतान (अनुबंधों) के अनुसार पूरी तरह भुगतान किए गए शेयरों की कुल संख्या।	शून्य
(ख) बोनस शेयरों के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान के रूप में आवंटित शेयरों की कुल संख्या।	शून्य
(ग) शेयरों और शेयरों के वर्ग की कुल संख्या वापस खरीदी गई।	शून्य

bfM;u LVªsVsftd isVªksfy;e fjtoZ~l fyfeVsM

foRrh; fooj.kksa dk Hkkx gksus okyh fVIif.k;ka

fVIi.kh la- 9 & vU; bfDoVh

लाख ₹ में

fooj.k	31 ekp] 2018 ds vuqlkj	31 ekp] 2017 ds vuqlkj
प्रतिधारित आय का शेष:		
पिछले वर्ष के लेखे से अग्रेनीत शेष	(10,587.47)	(5,977.92)
घटाएं : निर्गत शेयर पर स्टाम्प शुल्क	(11.25)	(24.32)
घटाएं : वर्ष हेतु हानि	(5,996.67)	(4,585.23)
dqy	**(16,595.39)**	**(10,587.47)**

fVIi.kh la- 10 & vU; foRrh; ns;rk,a ¼ifj'kksf/kr ykxr ij½

लाख ₹ में

fooj.k	31 ekp] 2018 ds vuqlkj	31 ekp] 2017 ds vuqlkj
आपूर्तिकारों/संविदाकारों से जमा/प्रतिधारण राशि	19.68	13.54
dqy	**19.68**	**13.54**

fVIi.kh la- 11 & _.k ¼ifj'kksf/kr ykxr ij½

लाख ₹ में

fooj.k	31 ekp] 2018 ds vuqlkj	31 ekp] 2017 ds vuqlkj
ओआईडीबी से अप्रतिभूत अल्पावधि ऋण *	-	746.71
dqy	-	746.71

* ओआईडीबी से अप्रतिभूत ऋण ब्याज मुक्त है।

fVIi.kh la- 12 & ns; O;kikj

लाख ₹ में

fooj.k	31 ekp] 2018 ds vuqlkj	31 ekp] 2017 ds vuqlkj
i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के देय	-	-
ii) अन्यों को देय	1,961.71	6,156.51
dqy	**1,961.71**	**6,156.51**

fVIi.kh la- 13 & vU; foRrh; ns;rk,a ¼ifj'kksf/kr ykxr ij½

लाख ₹ में

fooj.k	31 ekp] 2018 ds vuqlkj	31 ekp] 2017 ds vuqlkj
(परिशोधित लागत पर)		
आपूर्तिकारों/संविदाकारों से जमा	2,164.38	706.39
dqy	**2,164.38**	**706.39**

fVIi.kh la- 14 & vU; orZeku ns;rk,a

लाख ₹ में

fooj.k	31 ekp] 2018 ds vuqlkj	31 ekp] 2017 ds vuqlkj
सांविधिक देय	**35.85**	162.21
एचपीसीएल वाईजैग को देय	97.28	97.27
अन्य	12.61	3,346.23
dqy	**145.74**	**3,605.70**

fVIi.kh la- 15 & vU; O;;

लाख ₹ में

fooj.k	31 ekp] 2018 dks lekIr o"kZ gsrq	31 ekp] 2017 dks lekIr o"kZ gsrq
पट्टा किराया (पट्टाधारी भूमि)	493.11	469.93
कार्यालय व्यय	3.42	0.53
dqy	**496.54**	**470.46**

bfM;u LVªsVftd iSVªksfy;e fjt0lZ fyfeVsM
foRrh; fooj.kksa dk Hkkx gksus okyh fVIif.k;k¡

fVIi.kh la- 16 & Hkkjrh; ys[kkdu ekud & 33 ds vuqlkj bZih,l dk çdVhdj.k

fVIi.kh	fooj.k	31 ekp] 2018 dks lekIr o"kZ grq	31 ekp] 2017 dks lekIr o"kZ grq
		लाख ₹ में	लाख ₹ में
	çfr 'ks;j vtZu		
(i)	आधारभूत		
	इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य वर्ष हेतु लाभ/(हानि)	(5,996.67)	(4,585.23)
	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित संख्या	3,624,014,232	3,499,136,215
	प्रति शेयर सम मूल्य	10.00	10.00
	जारी प्रचालनों से प्रति शेयर हानि – आधारभूत	(0.17)	(0.13)
(ii)	तनुकृत		
	इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य वर्ष हेतु लाभ/(हानि)	(5,996.67)	(4,585.23)
	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित संख्या – तनुकृत हेतु	3,628,324,232	3,574,375,014
	प्रति शेयर सम मूल्य	10.00	10.00
	जारी प्रचालनों से प्रति शेयर हानि – तनुकृत	(0.17)	(0.13)

bfM;u LV'Vft d i'Vªksfy;e fjt0ly fyfeVsM
foRrh; fooj.kksa dk Hkkx gksus okyh fVIif.k;ka
fVIi.kh la- 17 & ifrc)rk,a vkSj vkdfLerk,a

17-1	iês
	ipkyu iêk & iêk/kkjh ds :i esa
(i)	संबंधित पट्टा अनुबंधों में बताए गए अनुसार पट्टा किरायों को लाभ एवं हानि विवरण को और अधिकतम बाध्यताओं को देय दीर्घावधि गैर–निरस्तीकरण योग्य प्रचालन पट्टों पर प्रभारित किया जाता है।

लाख ₹ में

(ii) xSj&fujLrhdj.k ;kX; ipkyu iêks gsrq iêk fdjk;k	31 ekpZ 18	31 ekpZ 17
अवधि के दौरान मान्यता प्रदान किए गए पट्टा किराए	6.95	373.36
भावी पट्टा दायित्वों		
– एक वर्ष के भीतर	6.95	6.95
– एक वर्ष के पश्चात किंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	27.82	27.82
– पांच वर्ष से अधिक	180.10	187.05

17-2 vkdfLed nkf;Ro,a vkSj ifrc)rk,a ¼iko/kku u dh xbZ lhek rd½

fooj.k

¼d½ vkdfLed nkf;Ro

dEiuh ds ifr nkos ftUgsa _.k ugha ekuk x;k gS eY; 102853-95 yk[k ¼2017% 43411 yk[k½ dh rqyuk esa

क) आयकर की विवादित मांग 475 लाख (2017: 526 लाख)

ख) खान और प्राणीशास्त्र विभाग द्वारा रॉयल्टी की विवादित मांग 11794.95 लाख (2017: 10493 लाख)

ग) 86,997 के लिए ठेकेदारों द्वारा विवादित दावे लाख (2017: 28800 लाख) विभिन्न साइटों पर किए गए परियोजनाओं के कारण ईआईएल द्वारा अस्वीकार कर दिया है, जिसके लिए मामलें मध्यस्थों के साथ लंबित हैं

घ) 2000 लाख / समायोजित की राशि समायोजित करने के बाद 2700 लाख (2017: 2700 लाख) के लिए एमएसईजेड द्वारा आरओयू के उपयोग के लिए विवादित दावे।

ङ) सीएसटी प्रतिपूर्ति और ग्रीन बेल्ट की विवादित मांग 611 लाख (2017: 611 लाख)

च) प्रवेश कर की विवादित मांग 276 लाख (2017: 281 लाख)

¼[k½ iwathxr ifrc)rk,a

पूंजी लेखे पर निष्पादन हेतु शेष होने वाली सभी प्रमुख चालू संविदाओं की अनुमनित राशि 7,369 लाख (2017: 10,278 लाख) जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

bfM;u LVªfVftd iSVªksfy;e fjtOlZ fyfeVsM
foRrh; fooj.kksa dk Hkkx gksus okyh fVIif.k;k

fVIi.kh l- 18 & lacaf/kr i{k çdVhdj.k

bM , ,l 24 ds vuqlkj lacaf/kr ikfVZ;ksa dk C;kjk uhps fn;k x;k g%

fooj.k

संबंधित पक्षों के ब्यौरेः

lac/k dk fooj.k	lacaf/kr i{kksa dk uke
/kkjd laxBu	तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) ने कंपनी में 100% इक्विटी धारित की हुई है।
çeq[k çca/ku dkfeZd ¼ds,eih½	(1) श्री एच.पी.एस. आहुजा, सीईओ एवं एमडी को कंपनी के संगम अनुच्छेद के अंतर्गत आईएसपीआरएल के दिन–प्रतिदिन के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है। उन्हें 02.06.2017 से प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल किया गया है। (2) श्री गौतम सेन, सीएफओ, आईओसीएल से दिनांक 24.05.2017 को प्रतिनियुक्ति पर आए है। (3) श्री अरूण तलवार, कंपनी सचिव आईओसीएल से प्रतिनियुक्ति पर आए हैं। **निदेशक मंडल (पद के अनुसार)** श्री के.डी. त्रिपाठी, अध्यक्ष (17.07.2015 से) श्री राजीव बंसल, निदेशक (01.08.2017 से श्री संजय सुधीर, निदेशक (27.12.2016 से) श्री आशीष चटर्जी, निदेशक (27.12.2016 से) **स्वतंत्र निदेशक** श्रीमती संगीता गैरोला, निदेशक (28.03.2015 से 28.03.2018 तक) श्री सतीश बलराम अग्निहोत्री, निदेशक (28.03.2015 से 28.03.2018 तक)

लाख ₹ में

		31 ekpZ 2018 dks lekIr o"kZ grq	31 ekpZ 2017 dks lekIr o"kZ grq
(i)	ds,eih ikfjJfed ¼lacaf/kr ey dEiuh ls çkIr MfcV uksV ds vk/kkj ij½		
	सीईओ एवं एमडी	61.71	20.04
	सीएफओ	35.60	35.77
	सीएस	41.63	32.18
	dqy	138.94	87.99
(ii)	fu;=d daiuh ¼vkvkbZMhch½		
	शेयरों का आवंटन	10,669.00	15,555.00
	ऋण भुगतान	162.48	834.52
	व्यय की प्रतिपूर्ति	33.85	23.42
	dqy	**10,865.33**	**16,412.94**
(iii)	Lora= funs'kd dh cSBd 'kqYd	**4.14**	**5.58**
	dqy ;kx (i) + (ii)+(iii)	11,008.40	16,506.51

निदेशक मंडल की नियुक्ति पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है।
निदेशक मंडल के पारिश्रमिक 31 मार्च 2018 को शून्य खर्च के मुकाबले 31 मार्च, 2017 को शून्य के मुकाबले शून्य है।

lacaf/kr ikfVZ;ksa dh lkFk cdk;k jkf'k

लाख ₹ में

		31 ekpZ 2018 dks	31 ekpZ 2017 dks
(i)	fu;=d daiuh ¼vkvkbZMhch½		
	शेयर आवेदन लंबित आबंटन	431.00	-
	बकाया ऋण	-	725.48
	खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए देय	-	21.23
	dqy	**431.00**	**746.71**

	bfM;u LVfVft d iVkfy;e fjt0l fyfeVM foRrh; fooj.kk dk Hkkx gku okyh fVIif.k;k
	fVIi.kh l- 19 & [kM fjikfVx
1.	कंपनी भारत सरकार के संप्रभुत्व वाले खनिज तेल भंडारों हेतु भंडारण परिसंपत्तियों के निर्माण तथा ऐसी परिसंपत्तियों का रखरखाव भी करती है, इसे एकल प्राथमिक खंड माना जाता है।
2.	भौगोलिक सूचना लागू नहीं है क्योंकि कंपनी के सभी प्रचालन भारत के भीतर है।

	bfM;u LVfVft d iVkfy;e fjt0l fyfeVM foRrh; fooj.kk dk Hkkx gku okyh fVIif.k;k
	fVIi.kh l- 20 & foRrh; midj.kk श्रेणी के अनुसार वित्तीय उपकरणों
1.	प्रबंधन ने यह आकलन किया है कि नकदी तथा नकदी तुल्य, अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों, देय व्यापार, अल्पावधि ऋण और अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य का आकलन उनकी वहन राशि के लगभग पर किया जाता है।
2.	वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताओं के उचित मूल्य को उस राशि में शामिल किया जाता है जिस पर लिखत को इच्छुक पक्षों के मध्य किसी वर्तमान संव्यवहार में आदान–प्रदान किया जाता है, सिवाय किसी बाध्यकारी या परिसमापन बिक्री के।
3.	उचित मूल्य स्तर के संबंध में उक्त प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।

fVIi.kh l- 21 & foÙkh; tkf[ke çc/ku mí'; vkj uhfr;k

1- foÙkh; tkf[ke dkjd

कंपनी के क्रिया–कलाप इसे विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों के संपर्क में लाते है : बाजार जोखिम, ऋण जोखिम तथा चल निधि जोखिम। कंपनी का प्राथमिक फोकस वित्तीय बाजारों की अस्थिरता का पूर्वानुमान लगाना और इसके वित्तीय निष्पादन पर संभाव्य प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम करना है। कंपनी का प्राथमिक बाजार जोखिम ब्याज दर जोखिम है।

कंपनी की मुख्य वित्तीय देयताओं में व्यापार तथा अन्य प्राप्य और सुरक्षा जमा शामिल है। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालनों का वित्त–पोषण है। कंपनी की मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में अन्य प्राप्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां और नकदी/नकदी तुल्य शामिल है जो सीधे प्रचालनों से निकलते है।

वर्तमान में कंपनी इसके प्राकृतिक व्यापार संपर्क तथा साथ ही साथ ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों से संबंधित बाजार जोखिम सहित वित्तीय लिखतों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले किसी वित्तीय जोखिम के संपर्क में नहीं है। वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी हेतु उचित वित्तीय जोखिम शासन ढांचे के साथ इन जोखिमों के प्रबंधन की निगरानी करता है।

2- ckt kj tkf[ke

बाजार जोखिम ऐसा जोखिम है जहां किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होते हैं। बाजार मूल्यों में तीन प्रकार के जोखिम शामिल होते हैं – मुद्रा दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय लिखतों में ऋण तथा उधार, जमा, निवेश, तथा व्युत्पन्न वित्तीय लिखत शामिल होते हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम होता है जहां किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होते हैं। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जहां किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होते हैं। वर्तमान में कंपनी के वित्तीय लिखत किसी भौतिक बाजार जोखिम के संपर्क में नहीं है।

3- _.k tkf[ke

ग्राहक के ऋण जोखिम का प्रबंधन प्रत्येक व्यापार इकाई द्वारा ग्राहक ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित कंपनी की स्थापित नीतियों, प्रक्रियाओं तथा नियंत्रण के अधीन किया जाता है। किसी ग्राहक की ऋण गुणवत्ता का आकलन व्यापक विश्लेषण पर आधारित होता है और बकाया ग्राहक देयों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। वर्तमान में कोई व्यापार प्राप्य नहीं है।

py fuf/k tkf[ke

कंपनी निधियों की कमी के अपने जोखिम की निगरानी ध्यानपूर्वक करती है। कंपनी अपनी नकदी आवश्यकता का प्रबंधन धारक कंपनी से अल्पावधि ऋणों पर पहुंच बनाए रखते हुए करती है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2018 के अनुसार महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरा दर्शाती है :

¼लाख ₹ में½

fooj.k	1 o"k l s de	1&2 o"k	2&4 o"k	4&7 o"k	dqy
ऋण	-	-	-	-	-
देय व्यापार	1,961.71	-	-	-	1,961.71
अन्य वित्तीय देयताएं	2,164.38	19.68	-	-	2,184.06
dqy	**4,126.09**	**19.68**	-	-	**4,145.77**

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2017 के अनुसार महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरा दर्शाती है :

लाख ₹ में

fooj.k	1 o"k l s de	1&2 o"k	2&4 o"k	4&7 o"k	dqy
ऋण	746.71	-	-	-	746.71
देय व्यापार	6,156.51	-	-	-	6,156.51
अन्य वित्तीय देयताएं*	706.39	13.54	-	-	719.93
dqy	**7,609.61**	**13.54**	-	-	**7,623.15**

fVIi.kh l- 22 iwathxr çca/ku

कंपनी के पूंजीगत प्रबंधन के उद्देश्य से, पूंजी में निर्गत इक्विटी पूंजी और इक्विटी धारकों को आरोप्य सभी अन्य इक्विटी आरक्षित शामिल होते हैं। कंपनी के पूंजीगत प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है।

31 मार्च, 2018 तथा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्षों के दौरान पूंजी के प्रबंधन हेतु उद्देश्यों, नीतियों तथा प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किए गए थे।

bfM;u LVªsVftd isVªksfy;e fjtoZ~l fyfeVsM
foÙkh; fooj.kksa dk Hkkx gksus okyh fVIif.k;k¡

टिप्पणी सं. 23

23-	vU; fVIif.k;k¡
(i)	वर्तमान स्थिति अर्थात दिनांक 31 मार्च, 2018 को बैलेंस शीट के अनुसार विशाखापत्तनम और मैंगलोर परियोजनाओं की प्रथम चरण की निर्माण गतिविधियां संपन्न हो गई थी। पादुर परियोजना से संबंधित कार्य प्रगति पर हैं। कार्यान्वयनाधीन परियोजना से संबंधित बैलेंस शीट की तिथि तक की प्रत्यक्ष लागत और आवंटित लागत व्यय को चालू निर्माण कार्य के तहत दर्शाया गया है। कार्यान्वयनाधीन परियोजना से संबद्ध वर्ष 2017–18 के दौरान किए गए व्यय को चालू पूंजीगत कार्य की ओर स्थानांतरित कर दिया गया है।
(ii)	विशाखापत्तनम कैवर्न ए और मंगलौर कैवर्न बी में प्राप्त कच्चा तेल का महत्वपूर्ण सॉवरेन भंडार है। आज की तारीख में, मंगलौर एवं विशाखापत्तनम में सामरिक कैवर्न में भराव पूरा हो चुका है। विशाखापत्तनम कैवर्न ए के लिए कुल मात्रा 10,35,867.01 मीट्रिक टन है जबकि मंगलौर कैवर्न बी के लिए कुल मात्रा 7,57,295 मीट्रिक टन है। 31 मार्च, 2018 तक, 10,08,164.27 एमटी महत्वपूर्ण सॉवरेन कच्चे तेल (बसरा लाइट) विशाखापट्टनम में आईएसपीआरएल की निगरानी में है और मैंगलोर में कैवर्न बी में 7,54,493 मीट्रिक टन कच्चे तेल (ईरानियन मिक्स) आईएसपीआरएल की देखरेख में है। तेल उद्योग के अधिकारियों की समिति द्वारा प्राप्त मात्रा और बिल मात्रा में अंतर की समीक्षा की गई है। कमेटी की रिपोर्ट जमा कर दी गई है जोकि बोर्ड के निर्देशानुसार आईएसपीआरएल के मु. का. अ. एवं प्रबंध निदेशक और सचिव ओआईडीबी के पास समीक्षाधीन है तथा जांच के बाद निष्कर्षों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को सूचित/मूल्यांकित कर दिया जाएगा।
(iii)	विशाखापत्तनम स्थित कैवर्न के संबंध में एचपीसीएल के साथ संयुक्त स्वामित्व संबंधी समझौते पर दिनांक 27 अप्रैल, 2017 को हस्ताक्षर किए गए हैं।
(iv)	राजकोट (2.5 एमएमटी), पादुर (2.5 एमएमटी), चंडीखोल (3.75 एमएमटी) और बीकानेर (3.75 एमएमटी) नामक 4 स्थानों पर 12.5 एमएमटी क्षमता के लिए द्वितीय चरण की परियोजनाओं के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट संबंधी कार्य संपन्न हो गया है। व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया और संशोधित क्षमताओं से युक्त दो भंडारों के निर्माण की सिफारिश की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा प्रस्ताव की भावी समीक्षा के बारे में पूछा गया है। 6.5 एमएमटी सामरिक भंडारण की संशोधित क्षमताओं से युक्त दो स्थलों के अनुमोदन से संबंधित मंत्रिमंडलीय टिप्पणी की कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। इससे संबंधित मंत्रिमंडलीय टिप्पणी प्रतीक्षित है।
(v)	वर्ष के दौरान पादुर स्थित परियोजनाओं कार्यों से संबंधित ऋण के लिए 10.64 करोड़ को बहियों में बकाया इनपुट टैक्स क्रेडिट (सीईएनवीएटी) की कंपनी द्वारा समीक्षा की गई है। चूंकि इस दावे से प्राप्ति की किसी प्रकार की सुनिश्चितता नहीं है, दिनांक 01.03.11 की अधिसूचना संख्या 3/2011 को ध्यान में रखते हुए, चालू वर्ष में सीईएनवीएटी ऋण को विपरीत रूप में परिवर्तित कर दिया गया है और इसे परियोजना लागत के एक भाग के रूप में पूंजीबद्ध कर दिया गया है।
(vi)	मंगलौर में स्थापित द्वितीय कोष्ठ के लिए, वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) के साथ तेल भंडारण और प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तत्पश्चात दिनांक 10 फरवरी, 2018 को इसे स्थापित और संशोधित कर दिया गया। इस समझौते को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।
(vii)	दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के दिन–प्रतिदिन के कार्य को एचपीसीएल (1), ओएनजीसी (4), आईओसीएल (6), बीपीसीएल (5) और एमआरपीएल (2) से प्रतिनियुक्ति आधार पर लिए गए 18 अधिकारियों द्वारा संभाला जाता है और उनके अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान को उनकी संबंधित मूल कंपनियों से इनके दावे की प्राप्ति की स्थिति में आनुपातिक आधार पर प्रतिपूर्त किया जाता है।
(viii)	उन अन्य कंपनियों, जिसमें कोई भी निदेशक एक निदेशक अथवा सदस्य ही है, की ओर से देय राशि सहित प्राप्त करने योग्य नकद अथवा वस्तु अथवा मूल्य की वस्तु के प्रतिपूर्तियोग्य अग्रिम शून्य है (विगत वर्ष– शून्य रुपए)।
(ix)	कंपनी द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान 'स्वीप–इन–स्वीप–आउट' खाते में उपलब्ध शेष राशि के लिए बैंकों से 87.07 लाख ब्याज के रूप में अर्जित किए गए हैं, जो वर्ष 2016–17 के दौरान 68.44 लाख था।
(x)	वर्तमान स्थिति के अनुसार मैंगलोर में लगभग 22 लाख मीट्रिक टन चट्टानी मलवा पड़ा हुआ है। आईएसपीआरएल के शेयर के लिए पूर्व में किए गए लेखांकन के अनुसार मैंगलोर स्थल पर स्थित चट्टानों का मूल्य लगभग 3333 लाख है (पादुर के लिए सार्वजनिक निविदा के माध्यम से प्राप्त दर और एमएसईजेडएल से प्राप्ति योग्य और ओआईडीबी को देय राशि के रूप में दर्शायी राशि के अनुसार, जिसे वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान वापिस कर दिया गया)। इस तथ्य का आधार यह है कि मैसर्स नीरज सीमेंट को आवंटित की गई संविदा के गैर अनुपालन न होने पर उसे समाप्त कर दिए जाने के कारण चट्टान का बिक्री मूल्य और इसकी रसीद के विश्वसनीय मापन को स्थापित नहीं किया गया था। दरों के एक बार स्थापित होने की स्थिति में इसे लेखाबद्ध कर दिया जाएगा, इसे पुनर्मूल्यांकन की निश्चितता के वर्ष में ही लेखाबद्ध कर दिया जाएगा।

(xi)	समझौते के अंतिम रूप से तैयार होने और सीसीईए द्वारा अनुमोदन के लंबित होने के कारण 2000 लाख के प्रारंभिक भुगतान के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आरओयू के प्रति एमएसईजेडएल को भुगतान की देयता प्रदान कर दी गई है। प्रारंभ में भुगतान के लिए स्वीकृत राशि को वर्ष 2016–17 के दौरान सीडब्ल्यूआईपी में नामे डाल दिया गया था और इसे एमएसईजेडएल के प्रति भुगतान योग्य दर्शाया गया था। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान मैंगलोर स्थित चट्टानी मलबे की वास्तविक बिक्री आय के कारण एमएसईजेडएल से प्राप्त होने योग्य राशि के साथ इस प्रकार की देयता को समायोजित / भुगतान कर दिया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, आरओयू को अस्थिर परिसंपत्ति के रूप में कार्यान्वित किया गया है और इस संबंध में सीडब्ल्यूआईपी को प्रारंभिक रूप से डेबिट की गई राशि को अधिग्रहित परिसंपत्ति की प्रकृति के अनुरूप अस्थिर परिसंपत्तियों की ओर स्थानांतरित कर दिया गया है।
(xii)	कंपनी ने ब्याज के कारण प्राप्त राजस्व और चट्टान निपटान की बिक्री प्राप्तियों को चालू पूंजीगत कार्य से घटाने की नीति को लगातार अपनाया है। वर्ष के दौरान ब्याज से प्राप्त राशि 87.07 लाख और चट्टान की बिक्री से प्राप्त राशि शून्य थी।
(xiii)	कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार, ओ एंड एम की सुविधाओं का खर्च जीबीएस के माध्यम से सरकार द्वारा वहन किया जाना है। सरकार से वर्ष के दौरान रु. 1992 लाख प्राप्त किए गए जबकि वास्तविक खर्च 4325 लाख का हुआ है। दिनांक 31.03.2018 को भारत सरकार से 2333 लाख की राशि प्राप्त की जानी है। कंपनी ने विशाखापत्तनम में 0.3 एमएमटी कैवर्न के संबंध में एचपीसीएल से ओ एंड एम की व्यय की वसूली के लिए भी अनुपातिक दावा किया है। यह मुद्दा एचपीसीएल के पास विचाराधीन है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से ओ एंड एम व्यय के भुगतान की प्रतिपूर्ति के लिए नकद आधार पर दावा किया जाता है।
(xiv)	वर्ष 2008–09 से 2017–18 तक चालू पूंजीगत कार्य से घटाया गया कुल ब्याज और प्राप्तियां 2094.51 लाख है।
(xv)	foyfcr dj कर योग्य आय के आभाव में आयकर के लिए किसी भी प्रावधान को आवश्यक नहीं माना गया है। इसके अलावा, स्थगित कर परिसंपत्ति को भी मान्यता नहीं दी गयी है क्योंकि इसके पास किसी प्रकार की यथोचित सुनिश्चितता नहीं है कि भावी कर योग्य पर्याप्त आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति इस प्रकार की स्थगित कर परिसंपत्ति को समायोजित किया जा सके।
(xvi)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम लघु उद्यमों के लिए इस प्रकार के उन पक्षकारों के संदर्भ में बकाया राशि को शून्य के रूप में निर्धारित किया गया है जो दिनांक 2 अक्टूबर, 2006 से लागू किए गए 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के संदर्भ में अभिज्ञात किए गए हैं। इस मामले में देयता कंपनी के आपूर्तिकर्ताओं की प्रोफ़ाइल के संदर्भ में शून्य / महत्वहीन है।
(xvii)	संविदाकार / सेवा प्रदाताओं की ओर से देय / पुर्नप्राप्ति योग्य राशि पुष्टिकरण, सुलह और उसके परिणामी समायोजन के अधीन है, यदि कोई हो।
(xviii)	कंपनी द्वारा निम्नलिखित संयोजन से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत एक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया है: श्री एस.बी. अग्निहोत्री, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष श्रीमती संगीता गैरोला, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य श्री संजय, सुधीर, संयुक्त सचिव (आईसी) – सदस्य श्री एस. बी. अग्निहोत्री और श्रीमती संगीता गैरोला का कार्यकाल दिनांक 28.03.2018 को पूर्ण हो गया है। दिनांक 4 मई, 2018 को लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया है और इसकी वर्तमान संरचना निम्नानुसार है : श्री राजीव बंसल – अध्यक्ष श्री एचपीएस आहुजा – सदस्य
(xix)	deZpkjh ykHk वर्तमान स्थिति के अनुसार कंपनी के पास अपने वेतन के आधार पर कोई कर्मचारी नहीं था और कंपनी के कार्य को वर्तमान में अन्य कंपनियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा संभाला जाता है। इसलिए 'कर्मचारी लाभ' का प्रावधान लागू नहीं है।
(xx)	आरओयू लागत (मंगलौर–पादुर पाइपलाइन) के प्रति भुगतान की गई राशि के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 24.50 करोड़ की अस्थिर परिसंपत्तियों को कंपनी द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।
(xxi)	आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की मंजूरी के अनुसार, प्रथम चरण में आईएसपीआरएल द्वारा परिचालित तीन परियोजनाओं की परियोजना लागतें विशाखापट्टनम (117835 लाख), मंगलौर (122700 लाख) और पादुर (169300 लाख) हैं। एचपीसीएल का विशाखापट्टनम संस्था पर संयुक्त स्वामित्वाधिकार है। एचपीसीएल द्वारा किया गया पूंजीगत योगदान, आनुपातिक लागत भागीदारी आधार पर है (एचपीसीएल का अंश 0.30 एमएमटी, कुल कैवर्न क्षमता 1.33 एमएमटी)।
(xxii)	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा निर्देशित, पादुर 30 सितम्बर, 2016 को आयोजित बारहवीं एजीएम में कंपनी की मुख्य वस्तुओं में संशोधित किया गया है। संशोधित मुख्य वस्तुएं वित्तीय विवरणों के नोट 1 का हिस्सा बन रही है।

(xxiii)	लेखा–परीक्षा और अन्य मदों के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान हुए व्यय से संबंधित लाभ और हानि विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में दिए गए) तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेशों से संबंधित अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी निम्नवत है :

	fôÙkh; o"k 2017&18 ¼yk[k Hkkjrh; jk"Vªh; :i, e½	foÙkh; o"k 2016&17 ¼yk[k Hkkjrh; jk"Vªh; :i, e½
<u>सांविधिक लेखा–परीक्षक को भुगतान</u>		
शुल्क	1.77	1.82
कराधान मामले	शून्य	शून्य
फुटकर खर्च	0.09	शून्य
अन्य सेवाएं	शून्य	शून्य
<u>आंतरिक लेखा–परीक्षक को भुगतान</u>		
शुल्क	0.52	0.83
कराधान मामले	शून्य	शून्य
फुटकर खर्च	शून्य	शून्य
अन्य सेवाएं	0.03	0.034
<u>सचिवालयीन लेखा–परीक्षक को भुगतान</u>		
शुल्क	0.36	0.31
कराधान मामले	शून्य	शून्य
फुटकर खर्च	शून्य	शून्य
अन्य सेवाएं	शून्य	शून्य

(xxiv)	कंपनी ने 179.2 एकड़ भूमि अधिग्रहण की है जिसमें से 138.57 एकड़ भूमि आईएसपीआरएल के नाम पर पंजीकृत है। शेष राशि की भूमि के लिए, बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार कानूनी शीर्षक कंपनी के नाम पर निष्पादित नहीं किया गया है।
(xxv)	रॉक मलबे को हटाने के लिए खानों और भूगर्भ विभाग से खनन लाइसेंस आवश्यक है। तदनुसार, कंपनी ने कर्नाटक सरकार के खान और भूविज्ञान विभाग से उत्खनन लाइसेंस प्राप्त किया है। फरवरी 2016–17 के दौरान पादुर में चट्टान के निपटारे के लिए निविदा मैसर्स नीरज सीमेंट को दी गई थी। निविदा की शर्तों के अनुसार मैसर्स नीरज सीमेंट द्वारा दिये गये अग्रिम चेक अनादरित हो गया। जिसकी वजह से ठेकेदार का अनुबंध तत्काल प्रभाव से कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान रद्द करके ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही दर्ज कर दी गयी जो कि विचाराधीन है।
(xxvi)	तुलन पत्र की तारीख के अनुसार आवंटन लंबित शेयर 4 मई, 2018 को आवंटित किए गए हैं
(xxvii)	पिछले वर्ष के आंकड़े मौजूदा वर्ष के वर्गीकरण /प्रकटीकरण के अनुरूप होने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहित / पुनः वर्गीकृत किए गए हैं।

d,ikjsV lwpuk vkSj egRoiw.kZ ys[kk uhfr;k

1- dkjiksjsV lwpuk

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड को 16 जून, 2004 को आईओसीएल की एक अनुषंगी के रूप में अधिनिगमित किया गया था। कंपनी की समूची शेयरधारिता को 9 मई, 2006 को तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) तथा इसके नामितियों द्वारा ले लिया गया था।

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (कंपनी) ओआईडीबी के एक पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक पब्लिक लिमिटेड कंपनी तथा सरकारी कंपनी अधिवासित और भारत में अधिनिगमित है। जिसका पंजीकृत कार्यालय 301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तीसरा तल, बाबर रोड, नई दिल्ली–110001 पर तथा प्रचालनात्मक/कार्यात्मक कार्यालय ओआईडीबी भवन, तीसरा तल, प्लॉट नं. 2, सेक्टर–73, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश में है। कंपनी गैर–सूचीबद्ध है क्योंकि इसके शेयर भारत में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं है तथा उनका कारोबार नहीं किया जाता है।

dEiuh ds eq[; mís'; fuEufyf[kr gS%

(1) भारत सरकार के खनिज तेल के संप्रभुत्व वाले भंडारों या भारत सरकार द्वारा निर्णीत ऐसे किसी अन्य निकाय के खनिज तेल का भंडारण, जो निम्नलिखित के अनुपालन के अधीन है:

केवर्नों से महत्वपूर्ण कोर संप्रभुत्व वाले भंडारों को निकालना तथा इनका पुनः भराव सरकार द्वारा गठित एक प्राधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से किया जाएगा।

बशर्ते भारत सरकार के महत्वपूर्ण कोर संप्रभुत्व वाले भंडारों को गुणवत्ता आवश्यकता अथवा मरम्मत तथा रखरखाव के कारण खनिज तेल के परिचालन हेतु भी निकाला जा सकता है।

(2) भण्डारण, हैंडलिंग, उपचार, वहन, परिवहन, प्रेषण, आपूर्ति, बाजार, अनुसंधान, सलाह, परामर्श, सेवा प्रदाता, ब्रोकर तथा एजेंट, अभियांत्रिकी तथा सिविल डिजाइनरों, संविदाकारों, वारफ रिंगर, भण्डारगार गृह, उत्पादक तेल तथा तेल उत्पादों के डीलर गैस तथा गैस उत्पादों, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों, ईंधन, स्प्रिट, रसायन, सभी प्रकार के द्रव्यों और यौगिकों के प्रकार, व्युत्पन्न सामग्रियों, मिश्रणों, तत्संबंधी तैयार किए गए उत्पादों एवं अन्य उत्पादों के व्यापार को करना है।

निदेशक मंडल के एक प्रस्ताव के अनुसार वित्तीय विवरण को 18.07.2018 को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

fVIi.kh 1 d % egRoiw.kZ ys[kkdu uhfr;k

1-1 foÙkh; fooj.kksa dks rS;kj djus ds vk/kkj

वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016 और कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2017 के तहत अधिसूचित इंड एस के

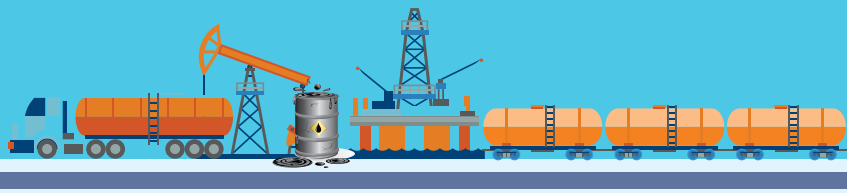

अनुसार तैयार किए जाते हैं और इनका अनुपालन करते हैं कंपनी अधिनियम '2013 और कंपनियों (संशोधन) अधिनियम '2017 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ सभी भौतिक पहलू हैं।

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है।

वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपए ('आईएनआर') में प्रस्तुत किये गए हैं और सभी मूल्यों को केवल निकटतम लाख रूपए में पूर्णांकित किया गया है, सिवाय अन्यथा निर्दिष्ट किए हुए के।

1-2 jktLo ekU;rk

(i) ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ii) बीमा दावों को दावे के निपटान पर लेखांकित किया जाता है।

1-3 lifr] l;= vkj midj.k rFkk verl ifjlifÙk;k

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर कम संचित मूल्यह्रास/परिशोधन तथा क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटा कर लागत पर बताया गया है। अचल परिसंपत्तियों की लागत में अधिग्रहण की लागत और परिसंपत्तियों को उनके इच्छित उपयोग की कार्यशील स्थिति में लाने की लागत शामिल है।

(ii) अमूर्त परिसंपत्तियों को तब मान्यता दी जाती है यदि जब यह संभावना हो कि इन परिसंपत्तियों पर आरोप्य भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और ऐसी परिसंपत्तियों की लागत को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके। ऐसी परिसंपत्तियों को लागत घटा संचित परिशोधन पर प्राप्त किया जाता है।

(iii) पूंजीगत कार्य प्रगति पर है।

प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य को लागत पर वहन किया जाता है। निर्माण अवधि के दौरान किए गए परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार राजस्व व्यय पूंजीकृत होते हैं।

1-4 eY;°kl rFkk ifj'kk/ku

(i) मूल्यह्रास को सीधी रेखा पद्धति पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवनकाल के अनुसार मुहैया करवाया जाता है। सिवाय भूमिगत कैवर्न के जिसका उपयोगी स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा किए गए प्रमाणीकरण के आधार पर 60 वर्ष माना गया है।

(ii) पृथक रूप से 5,000/– तक की लागत वाली अचल परिसंपत्तियों को अधिग्रहण के वर्ष में ही पूरी तरह से मूल्यह्रासित किया जाता है।

(iii) अनिश्चितकालीन जीवन के साथ उपयोग का अधिकार (आरओयू) को अमूर्त नहीं किया जाता है, लेकिन नकद उत्पन्न करने वाले इकाई स्तर पर सालाना हानि के लिए परीक्षण किया जाता है। अनिश्चितकालीन जीवन का आकलन सालाना समीक्षा करने के लिए किया जाता है यह निर्धारित

करने के लिए कि अनिश्चितकालीन जीवन सहायक है या नहीं। यदि नहीं, तो अनंत जीवन से परिमित तक उपयोगी जीवन में परिवर्तन संभावित आधार पर किया जाता है।

1-5 ifj lifÙk;k dh {kfr

प्रबंधन आवधिक रूप से बाहरी तथा आंतरिक स्रोतों का आकलन करके यह देखता है कि इसका कोई संकेत है कि कोई परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। क्षति तब उत्पन्न होती है जब वहन मूल्य, वर्तमान मूल्य से अधिक हो जाता है और परिसंपत्ति के सतत उपयोग तथा इसके अंततः निपटान से भविष्य के नकदी प्रवाह में वृद्धि होने की प्रत्याशा होती है। व्यय की जाने वाली क्षति हानि का निर्धारण परिसंपत्तियों के निवल बिक्री मूल्य तथा उपर्युक्तानुसार निर्धारित वर्तमान मूल्य से ऊपर वहन मूल्य के आधिक्य पर किया जाता है। किसी क्षति हानि को वसूली योग्य राशि के निर्धारण में प्रयुक्त अनुमान में परिवर्तन होने पर वापिस कर दिया जाता है। किसी क्षति हानि को केवल उस सीमा तक दर्ज किया जाता है कि परिसंपत्तियों की वहन लागत, उस वहन लागत से अधिक नहीं होती है जिसका निर्धारण मूल्यह्रास तथा परिशोधन के निवल हेतु किया जाता, यदि किसी क्षति हानि को मान्यता नहीं दी जाती।

1-6 fon'kh eæk l0;ogkj

(i) कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (’) के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है।

(ii) विदेशी मुद्रा में लेनदेन को शुरूआत में लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार दर्ज किया जाता है।

(iii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं (जैसे नकदी, प्राप्तियां, देयताएं आदि) में अंकित मौद्रिक वस्तुओं का मूल्यांकन उसी तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

(iv) विदेशी मुद्राओं (जैसे निवेश, स्थिर परिसंपत्तियां इत्यादि) में अंकित गैर–मौद्रिक वस्तुओं को लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर के अनुसार दर्ज किया जाता है।

(v) परिवर्तनीयता अथवा निपटान की स्थिति की विनिमय दरों में मतभेदों के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ अथवा घाटे को लाभ–घाटा विवरण में लेखाबद्ध किया जाता है।

1-7 foRrh; fy[kr

¼i½ foRrh; ifj lifÙk;k

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

¼ii½ foRrh; n;rk,

सभी वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

¼iii½ fo&ekU;rk

वित्तीय परिसंपत्तियों को तब विमान्य किया जाता है जब परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाए अथवा ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को अंतरिक कर दिया जाए तथा ऐसे अंतरण विमान्यकरण हेतु अर्हक होते है।

वित्तीय देयता को तब विमान्य किया जाता है। जब देयता के अंतर्गत बाध्यता का निर्वाहन किया जाता या यह समाप्त हो जाती है।

1-8 vk; ij dj

आय कर में वर्तमान कर और विलंबित कर शामिल होता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को समय अंतरों के कारण भविष्य के कर परिणामों हेतु मान्यता प्रदान की जाती है, जो विवेकसम्मत होने के अधीन होता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन तुलन–पत्र तिथि को अधिनियमित या बाद में अधिनियमित कर दरों का उपयोग करके किया जाता है। स्थगित कर संपत्तियों को इस हद तक मान्यता प्राप्त है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी मतभेदों का उपयोग किया जा सकता है।

1-9 iê

¼i½ çpkyu iê ij ifjlaifRr;k & पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां, जहां किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व के संबंध में सभी जोखिम तथा प्रतिफल पट्टादाता में निहित हो, उन्हें प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रचालन पट्टों के अंतर्गत पट्टा भुगतानों को संबंधित पट्टा व्यवस्थाओं के निबंधनों के अनुसार प्रोदभवन आधार पर व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

¼ii½ foRrh; iê ij ifjlaifRr;k & वित्तीय पट्टों को पट्टे के प्रारंभ होने पर पट्टे पर ली गई संपत्ति के प्रारंभिक तिथि के उचित मूल्य अथवा, यदि कम हो, तो न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। पट्टा भुगतान को वित्त प्रभार और पट्टा देयता में कटौती के मध्य विनियोजित किया जाता है ताकि देयता की शेष अवधि पर ब्याज की एक स्थिर दर प्राप्त की जा सके। वित्तीय प्रभारों को लाभ एवं हानि विवरण में वित्त लागतों में वित्त प्रभार के रूप में मान्यता दी जाती है, जब तक कि वे अर्हक परिसंपत्तियों को सीधे आरोप्य न हो, और ऐसे मामले में उन्हें इंड ए एस–23 के अनुसार पूंजीकृत किया जाता है।

1-10 çko/kku] vkdfLed ns;rk,a vkSj vkdfLed ifjlaifÙk;k ¼bM , ,l&37½

कंपनी किसी प्रावधान को तब मान्य देती है जब पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान बाध्यता हो और इसकी अधिक संभावना न हो कि ऐसी बाध्यता के निपटान में संसाधनों के बाहिरप्रवाह की आवश्यकता होगी तथा ऐसी बाध्यता की राशि का विश्वसनीय ढंग से अनुमान लगाया जा सके। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर नहीं लिया जाता है और उनका निर्धारण वर्ष अंत में बाध्यता की राशि के प्रबंधन के श्रेष्ठ अनुमान के आधार पर किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि को की जाती है और प्रबंधन के श्रेष्ठ अनुमानों को दर्शाने के लिए इनका समायोजन किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण ऐसी संभावित बाध्यताओं के संबंध में किया जाता है जो पहले की घटनाओं से उत्पन्न हुई हों और जिनकी विद्यमानता की पुष्टि पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में न होने वाली भविष्य की घटनाओं की उत्पत्ति या गैर–उत्पत्ति से ही की जा सकती हो। आकस्मिक देयताओं की वर्तमान बाध्यताओं हेतु भी ऐसी देयताओं के संबंध में पुष्टि की जाती है जिसके संबंध में यह संभावना न हो कि संसाधनों का एक बाह्य प्रवाह होगा अथवा बाध्यता की राशि का कोई विश्वसनीय अनुमान न लगाया जा सके।

जब कभी ऐसी कोई संभावित बाध्यता या वर्तमान बाध्यता होती है जहां संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना सुदूर होती है, किसी प्रकटीकरण या प्रावधान को नहीं किया जाता है।

आकस्मिक संपत्ति का खुलासा किया गया है जहां आर्थिक लाभ का प्रवाह संभव है

1-11 çfr 'k;j v tu

प्रति शेयर आधारभूत अर्जन की गणना इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि हेतु निवल लाभ और हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत अर्जन की गणना के प्रयोजन हेतु, इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि हेतु निवल लाभ और हानि तथा अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या को सभी तनुकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों के प्रभावों हेतु समायोजित किया जाएगा।

vuqca/k&x

fnukad 31 ekpZ 2018 dks lekIr gq, o"kZ ds fy, bafM;u LVªSVsftd iSVªksfy;e fjtoZl fyfeVsM ds foÙkh; fooj.kksa ls lnfHkZr Hkkjr ds fu;a=d vkSj v,fMVj tujy dh dEiuh vfèkfu;e] 2013 ds rgr èkkjk 143 ¼6½ ¼ch½ ds rgr fVIif.k;ka

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम के धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह उल्लिखित है कि यह दिनांक 19 जुलाई 2018 की उनकी पिछली लेखा परीक्षा रिपोर्ट का स्थान लेता है जिसे उनके द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2018 को संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार किया गया है।

मैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के तहत दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की एक अनुपूरक लेखा परीक्षा आयोजित करता हूं। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यक्षेत्र संबंधी दस्तावेज़ों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन अभिलेखों की एक चुनिंदा परीक्षा तक ही सीमित है। अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान मेरे द्वारा किए गए कुछ लेखा–परीक्षा अवलोकनों को प्रभावी बनाने के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, मैं इस अधिनियम के निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत चिन्हांकित करना चाहता हूं जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा–परीक्षा रिपोर्ट को उचित रूप से समझने में सक्षम बनाने के लिए मेरे विचार से आवश्यक है :

1- ykHk rFkk gkfu lacaèkh fooj.k

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार (अप्रैल 2015), चालू की गई कैवर्न परियोजनाओं के प्रचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) व्यय को भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना है। वर्ष 2017–18 के दौरान, आईएसपीआरएल द्वारा विशाखापट्टनम और मैंगलोर की चालू की गई कैवर्न के प्रचालन और रखरखाव पर 4,325.51 लाख का व्यय किया गया। भारत सरकार द्वारा आईएसपीआरएल के प्रति 1,992.94 लाख जारी

किए गए और 2,332.57 लाख की शेष राशि को भारत सरकार की ओर से प्राप्त किया गया दर्शाया गया है। वास्तव में वर्ष के दौरान इस राशि की कंपनी द्वारा ओआईडीबी पूंजी / परियोजना निधि से पूर्ति की गई थी।

कंपनी द्वारा 2,332.57 लाख की राशि को बहियों में लेखाबद्ध किया गया है जिसे अभी भारत सरकार से प्राप्त किया जाना शेष था। ओ एंड एम व्यय के प्रति 4,325.51 लाख तथा भारत सरकार की ओर से 1,992.94 लाख की प्राप्ति से संबंधित लेनदेन को लेखों में लेखाबद्ध नहीं किया गया है।

यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(13) के प्रावधानों के साथ–साथ आईएसपीआरएल के परिसंघीय समझौते का उल्लंघन है, जिसके लिए इन पर विचार करने के लिए लेखा बहियों को तैयार करना आवश्यक होता है (i) किसी कंपनी द्वारा प्राप्त एवं व्यय की गई सभी प्रकार की राशियां और वे सभी मामले जिनके संबंध में प्राप्तियां एवं व्यय किया जाता है; (ii) कंपनी द्वारा माल और सेवाओं की सभी प्रकार की बिक्रियां और क्रय; (iii) कंपनी की परिसंपत्तियां और देनदारियां।

इसके अलावा, आईएसपीआरएल द्वारा यथोचित अनुमोदन के बिना ओ एंड एम से संबंधित व्यय की पूर्ति करने के लिए ओआईबीडी से प्राप्त परियोजना / पूंजीगत उद्देश्य से संबंधित निधियों का उपयोग अन्य कार्य के लिए कर दिया गया है।

r|yu Ik=
ifj l|ifÙk

2- x|j&or|eku ifj l|ifÙk
vfLFkj ifj l|ifÙk% 4450-00 yk[k ¼ukV l|[;k 2-2½

उपर्युक्त राशि में मैंगलोर कंदराओं में 48 इंच की पाइप लाइन बिछाने के लिए मैंगलोर एसईजेड लिमिटेड के आरओयू के शेष भुगतान के लिए उपयोग अधिकार (आरओयू) की लागत की 2,418 लाख की राशि शामिल नहीं है। जैसा कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है इस आरओयू की कुल लागत 4,418 लाख थी।

वर्ष 2017–18 के वित्तीय विवरणों की एक समीक्षा द्वारा दर्शाया गया है कि कंपनी द्वारा 2,000 लाख के आंशिक भुगतान और लेखांकन समायोजन के दौरान दिनांक 31 मार्च, 2018 की लेखा बहियों में 'आकस्मिक देयता' के रूप में 2,418 लाख की शेष राशि दर्शायी गई है। तथापि, यह एमएसईजेडएल को किए जाने योग्य भुगतान की पूर्ण निश्चितता युक्त एक पुष्ट देयता है।

इस प्रकार, भुगतान के लिए एक उत्तरदायित्व के रूप में 2,418 लाख की शेष आरओयू लागत की गैर–मान्यता के परिणामस्वरूप अस्थिर परिसंपत्ति के साथ–साथ की देयता के प्रावधान के 2418 लाख की राशि अल्प–वर्णित है।

—r ,o Hkkjr d fu;=d ,o egkys[kk&ijh{kd dh vkj l

gLrk-@&
xy tkjh yky
ç/kku funs'kd] okf.kfT;d ys[kk&ijh{kk
vkj inu lnL;]
ys[kk&ijh{kk cksM&AA] eqcbZ

LFkku % eqcbZ
fnukd % 19 flrEcj] 2018

Ø-la	fu;=d ,oa egkys[kk&ijh{kd dh fVIif.k;ka	izca/ku dk mÙkj
¼1½	ykHk rFkk gkfu dk fooj.k पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार (अप्रैल 2015), चालू की गई कैवर्न परियोजनाओं के प्रचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) व्यय को भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना है। वर्ष 2017–18 के दौरान, आईएसपीआरएल द्वारा विशाखापट्टनम और मैंगलोर की चालू की गई कैवर्न के प्रचालन और रखरखाव पर 4,325.51 लाख का व्यय किया गया। भारत सरकार द्वारा आईएसपीआरएल के प्रति 1,992.94 लाख जारी किए गए और 2,332.57 लाख की शेष राशि को भारत सरकार की ओर से प्राप्त किया जाना दर्शाया गया है। वास्तव में वर्ष के दौरान इस राशि की कंपनी द्वारा ओआईडीबी पूंजी / परियोजना निधि से पूर्ति की गई थी। कंपनी द्वारा 2,332.57 लाख की राशि को बहियों में लेखाबद्ध किया गया है जिसे अभी भारत सरकार से प्राप्त किया जाना शेष था। ओ एंड एम व्यय के प्रति 4,325.51 लाख तथा भारत सरकार की ओर से 1,992.94 लाख की प्राप्ति से संबंधित लेनदेन को लेखों में लेखाबद्ध नहीं किया गया है। यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (13) के प्रावधानों के साथ–साथ आईएसपीआरएल के परिसंघीय समझौते का उल्लंघन है, जिसके लिए इन पर विचार करने के लिए लेखा बहियों को तैयार करना आवश्यक होता है (i) किसी कंपनी द्वारा प्राप्त एवं व्यय की गई सभी प्रकार की राशियां और वे सभी मामले जिनके संबंध में प्राप्तियां एवं व्यय किया जाता है; (ii) कंपनी द्वारा माल और सेवाओं की सभी प्रकार की बिक्रियां और क्रय; (iii) कंपनी की परिसंपत्तियां और देनदारियां। इसके अलावा, आईएसपीआरएल द्वारा यथोचित अनुमोदन के बिना ओ एंड एम से संबंधित व्यय की पूर्ति करने के लिए ओआईडीबी से प्राप्त परियोजना / पूंजीगत उद्देश्य से संबंधित निधियों का उपयोग अन्य कार्य के लिए कर दिया गया है।	इसे भी संज्ञान में लिया जा सकता है कि आईएसपीआरएल के सभी प्रकार के भुगतानों को ओ एंड एम व्यय से संबंधित लेखा बहियों में विधिवत रूप से दर्ज किया गया है और ये संवैधानिक लेखा परीक्षक कंपनी मैसर्स पुरुषोथमन भूटानी एंड कंपनी द्वारा प्रमाणित किए गए थे। इसके अलावा, आईएसपीआरएल द्वारा समय–समय पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के समक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र और अन्य अनुपालन संबंधी आवश्यकताएं प्रस्तुत किए जाते हैं। इसलिए, इस पर संज्ञान लिया दिया जा सकता है कि ये लेन–देन लेखा बहियों में दर्ज किए गए थे और विरोधी मद संबंधी प्रकृति होने के कारण इन्हें लाभ और घाटे की बहियों में नहीं दर्शाया गया था। तथापि, लेखा–परीक्षा द्वारा प्रदान किए गए परामर्श के अनुसार इन्हें वित्तीय वर्ष 2018–19 के पश्चात से वार्षिक खातों में भी दर्शाया जाएगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2018 के अपने ई–मेल के माध्यम से संसूचित किया गया है कि आईएसपीआरएल के वर्ष 2017–18 के संशोधित अनुमान को वित्त मंत्रालय द्वारा 1,992.94 लाख तक सीमित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए आईएसपीआरएल के ओ एंड एम व्यय 4325.51 लाख थे। आईएसपीआरएल द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सूचित किया गया है कि कंपनी के ओ एंड एम व्ययों की पूर्ति करने के लिए 1,992.94 लाख की आवंटित राशि अपर्याप्त रहेगी। तदनुसार, दिनांक 22 फरवरी, 2018 के एजेंडा मद संख्या

Ø-la	fu;=d ,oa egkys[kk&ijh{kd dh fVIif.k;ka	izca/ku dk mÙkj
		62.11 के माध्यम से निदेशक मंडल के विचारार्थ इसके बारे में उन्हें संसूचित किया गया था। बोर्ड द्वारा ओआईडीबी से 27 करोड़ की अस्थायी ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता की मांग की गई। ओआईडीबी द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2018 के अपने पत्र संख्या 4/13/2006–ओआईडीबी के माध्यम से सूचित किया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से विशिष्ट निर्देश प्राप्त होने पर इस अनुदान पर विचार किया जा सकता है। तदनुसार, आईएसपीआरएल द्वारा अपने पत्र संदर्भ संख्या आईएसपीआरएल/एफआईएन/7 दिनांक 17 अप्रैल, 2018 के माध्यम से ओआईडीबी को उचित दिशा निर्देश जारी करने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनुरोध किया गया। ओ एंड एम व्ययों के संदर्भ में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किसी प्रकार का अग्रिम प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में ओ एंड एम व्ययों की पूर्ति के लिए धनराशि पूंजी/परियोजना खाते से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करने के पश्चात किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की गई थी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से निधियों की प्राप्ति होने पर पूंजी/परियोजना खाते में राशि को वापिस कर दिया गया था। कैवर्नों का प्रचालन एवं रखरखाव अत्यंत आवश्यक है ताकि कैवर्नों के कामकाज और अनुमानतः 4,275 करोड़ की लागत के कच्चे तेल, जो कि भारत सरकार की परिसंपत्ति है, का उचित भंडारण और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

Ø-l	fu;=d ,o egky[kk&ijh{kd dh fVIif.k;k	ic/ku dk mÙkj
¼2½	r|yu Ik= ifj l|ifRRkk x|j&or|eku ifj l|ifÙk vfLFkj ifj l|ifÙk % 4]450-00 yk[k ¼ukV l|[;k 2-2½ उपर्युक्त राशि में मैंगलोर कंदराओं में 48 इंच की पाइप लाइन बिछाने के लिए मैंगलोर एसईजेड लिमिटेड के आरओयू के शेष भुगतान के लिए उपयोग अधिकार (आरओयू) की लागत की 2,418 लाख की राशि शामिल नहीं है। जैसा कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है इस आरओयू की कुल लागत 4,418 लाख थी। वर्ष 2017–18 के वित्तीय विवरणों की एक समीक्षा द्वारा दर्शाया गया है कि कंपनी द्वारा 2,000 लाख के आंशिक भुगतान और लेखांकन समायोजन के दौरान दिनांक 31 मार्च, 2018 की लेखा बहियों में 'आकस्मिक देयता' के रूप में 2,418 लाख की शेष राशि दर्शायी गई है। तथापि, यह एमएसईजेडएल को किए जाने योग्य भुगतान की पूर्ण निश्चितता युक्त एक पुष्ट देयता है। इस प्रकार, भुगतान के लिए एक उत्तरदायित्व के रूप में 2,418 लाख की शेष आरओयू लागत की गैर–मान्यता के परिणामस्वरूप अस्थिर परिसंपत्ति के साथ–साथ की देयता के प्रावधान के 2418 लाख की राशि अल्प–वर्णित है।	आरओयू के संबंध में एमएसईजेडएल की दिशा में उत्तरदायित्व के बारे में 20 मार्च, 2017 को आयोजित निदेशक मंडल की 57वीं बैठक में एजेंडा आइटम 57.10 में चर्चा की गई थी। विस्तृत विचार–विमर्श के बाद, बोर्ड ने निर्देश दिया कि कुल भुगतान 44.18 करोड़ में से 20 करोड़ का प्रारंभिक भुगतान कर दिया जाए। अन्य अनुबंधिक दयित्वों में बचत सुनिश्चित करने के बाद आर ओ यू मुआवजे के संबंध में 24. 18 करोड़ दिए जाने का निर्देश भी दे दिया है ताकि कुल लागत सीसीईए द्वारा स्वीकृत लागत 1227 करोड़ से अधिक न हो। 31 मार्च, 2018 तक, प्रमुख एलएसटीके ठेकेदारों के अंतिम बिल / चालान अभी तक तय नहीं किए गए थे। इसलिए, यह स्पष्ट नहीं था कि एमएसईजेडएल के लिए आरओयू के संबंध में अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान के लिए मैंगलोर कैवर्न प्रोजेक्ट की अनुमोदित लागत के भीतर रहेगा या नहीं। हालांकि, चालू वित्त वर्ष अर्थात 2018–19 के दौरान, मैंगलोर परियोजना के संबंध में प्रमुख एलएसटीके ठेकेदारों के चालान / बिलों के निपटारे के बाद, यह स्पष्ट है कि परियोजना लागत 1227 करोड़ की अनुमोदित लागत के भीतर बनी हुई है और आईएसपीआरएल और लेखे आकस्मिक देयता के रूप में 24.18 करोड़ की शेष राशि थी। इसलिए शेष राशि को आकस्मिक दायित्व माना जाता था और वित्त वर्ष 2017–18 के लिए उपयुक्त प्रकटीकरण किया गया था।

अध्याय
10

परिशिष्ट

तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974 की धारा-6 बोर्ड के कृत्य

6 (1) इस अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धो के अधीन रहते हुए, बोर्ड ऐसी रीति से ऐसे विस्तार तक और ऐसी शर्तो और निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, ऐसे सभी अध्युपायों के संप्रवर्तन के लिए जो उसकी राय में तेल उद्योग के विकास में साधक हों, वित्तीय और अन्य सहायता देगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड उस उपधारा के अधीन निम्नलिखित रीति से सहायता दे सकता है, अर्थात् :–

(क) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति को जो धारा 2 के खण्ड (v) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगा हुआ है या लगने वाला है, अनुदान या उधार देना;

(ख) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा लिए गए ऐसे उधारों की, जो पच्चीस वर्ष से अनाधिक अवधि के भीतर प्रतिसंदेय हों और बाजार में चालू किए गए हों या किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे बैंक से, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथा परिभाशित अनुसूचित बैंक या राज्य सहकारी बैंक हैं, लिए गए उधारों की ऐसी शर्तो और निबन्धनों पर जो करार पाए जाएं प्रत्याभूति देना;

(ग) भारत के बाहर से पूंजी माल के आयात के संबंध में किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति से अथवा भारत के भीतर पूंजी माल के क्रय के संबंध में ऐसे समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा शोध्य आसीमित संदायों की, ऐसी शर्तो और निबन्धनों पर जो करार पाए जाएं प्रत्याभूति देना;

(घ) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किसी देश में, किसी बैंक या वित्तीय संस्था से विदेशाी करेंसी में लिए गए उधारों की या किए गए प्रत्यय ठहरावों की, ऐसी शर्तो और निबंधनों पर जो करार पाएं जाए, प्रत्याभूति देना परन्तु ऐसी कोई प्रत्याभूति केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं दी जाएगी;

ड.) किसी तेल उद्योग समुत्थान के स्टॉक, शेयरों, बंधपत्रों या डिवेंचरों के पुराधरण की हामीदारी करना और उनके संबंध में अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में जिन स्टॉक, शेयरों, बंधपत्रों या डिवेंचरों को उसे लेना पड़े उन्हें अपनी आस्तियों के भाग रूप रखे रहना;

(च) केन्द्रीय सरकार या किसी विदेशी वित्तीय संगठन या प्रत्यक्ष अभिकरण द्वारा दिए गए उधार या अग्रिम धन के या अभिदाय। किए गए डिबेंचरों के संबंध में किसी तेल उद्योग समुत्थान के साथ किसी कारोबार के संव्यवहार में, केन्द्रीय सरकार के या उसके अनुमोदन से, ऐसे संगठन या अभिकरण के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना;

(छ) किसी तेल उद्योग समुत्थान के स्टॉक या शेयरों के लिए अभिदाय करना;

(ज) किसी तेल उद्योग समुत्थान के ऐसे डिबेचरों के लिए अभिदाय करना जो अभिदाय की तारीख से 25 वर्ष से अनाधिक अवधि के भीतर प्रतिसंदेय है:

परन्तु इस खंड की कोई बात बोर्ड को किसी तेल उद्योग समुत्थान के ऐसे डिवेंचरों के लिए अभिदाय करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी जिन पर परादेय रकम बोर्ड के विकल्प पर उस अवधि के भीतर जिसमें डिवेंचर प्रतिसंदेय हैं, उस समुत्थान के स्टॉक या शेयरों में संपरिवर्तनीय है।

स्पष्टीकरण :– इस खण्ड में, किसी उधार या अग्रिम धन के संबंध में "जिन पर परादेय रकम" पद से ऐसे उधार या अग्रिम धन पर उस समय संदेय मूलधन, ब्याज और अन्य प्रभार अभिप्रेत है जब उन रकमों को स्टॉक या शेयरों में संपरिवर्तित किया जाना है।

(3) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन अध्युपायों के अन्तर्गत, जिनके संप्रवर्तन के लिए बोर्ड उस उपधारा के अधीन सहायता दे सकता है, निम्नलिखित के लिए या के रूप में अध्युपाय भी हैं, अर्थात :–

(क) भारत के भीतर (जिनके अन्तर्गत भारत का कॉन्टीनेन्टल शेल्फ भी है) या भारत के बाहर तेल का पूर्वेक्षण और खोज,

(ख) कच्चे तेल के उत्पादन, हैंडलिंग, भण्डारकरण और परिवहन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था,

(ग) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का परिश्करण और विपणन,

(ध) पेट्रो–रसायनों और उर्वरकों का विनिर्माण और विपणन,

(ड.) वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान जो तेल उद्योग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी हो सके,

(च) तेल उद्योग के किसी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या आरम्भिक अध्ययन,

(छ) तेल उद्योग के किसी क्षेत्र में लगे हुए या लगने वाले कार्मिकों का भारत के भीतर या भारत के बाहर प्रशिक्षण और ऐसे अन्य अध्युपाय जो विहित किए जाए।

(4) बोर्ड अपने कृत्यों के प्रयोग में अपने द्वारा दी गई सेवाओं के लिए ऐसी फीस ले सकता है या ऐसा कमीशन प्राप्त कर सकता है जो वह समुचित समझे।

(5) बोर्ड किसी तेल उद्योग समुत्थान को या अन्य व्यक्ति के द्वारा दिए गए उधार या अग्रिम धन के संबंध में किसी लिखित को प्रतिफल के लिए अंतरित कर सकता है।

(6) बोर्ड वे सभी बाते कर सकता है जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के आनुवांशिक या पारिण ामिक हों।

परिशिष्ट–2

वित्त लेखा, और संपरीक्षा तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–15 –

15 (1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, अनुसूची के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक मद पर जो भारत में (जिसके अन्तर्गत भारत का कॉटिनेंटल शेल्फ भी है) उत्पादित की जाती है और जो –

(क) किसी परीक्षणशाला या कारखाने के लिए हटाई है, या

(ख) उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा मद उत्पादित की जाती है, किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित की जाती है, उस अनुसूची के स्तम्भ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई दर में अनधिक ऐसी दर पर जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, उत्पाद–शुल्क उपकर के रूप में उदग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा,

परन्तु जब तक केन्द्रीय सरकार कच्चे तेल की बाबत (जो उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट मद है) ऐसी अधिसूचना द्वारा उत्पाद–शुल्क की दर विनिर्दिष्ट नहीं करती है तब तक इस उपधारा के अधीन कच्चे तेल पर उत्पाद शुल्क 60 रूपये प्रति टन की दर से उदगृहीत और संग्रहीत किया जायेगा (20 प्रतिशत यथा मूल्य दिनांक 1.3.2016 से)।

(2) किसी मद पर उपधारा (1) के अधीन उदगृहणीय प्रत्येक उत्पाद–शुल्क उस व्यक्ति द्वारा संदेय होगा जो उस मद का उत्पादक करता है और कच्चे तेल की दशा में उत्पाद–शुल्क परीक्षणशाला में प्राप्त मात्रा पर संग्रहीत किया जायेगा।

(3) अनुसूची में विनिर्दिष्ट मदों पर उपधारा 9(1) के अधीन उत्पाद शुल्क तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उन मदों पर उदग्रहणीय उपकर या शुल्क के अतिरिक्त होगा।

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध जिसके अन्तर्गत प्रतिदाय और शुल्क में छूट से संबंधित उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन उदग्रहणीय उत्पाद शुल्क के उदग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होंगे और इस प्रयोजन के लिए उस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानों यह अधिनियम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी मदों पर उत्पाद–शुल्क के उदग्रहण के लिए उपबंध करता है।

तेल उद्योग (विकास)अधिनियम, 1974 की धारा – 16–शुल्क के आगमों का भारत की संचित निधि में जमा किया जाना।

धारा–15 के अधिन उद्गृहीत उत्पाद–शुल्क के आगम पहले भारत की संचित निधि में जमा किए जायेंगे और केन्द्रीय सरकार, यदि संसद इस निमित्त बनाई गई विधि द्वारा विनियोग द्वारा इस प्रकार उपबंधित करे तो बोर्ड को समय–समय पर ऐसे आगमों में से संग्रहण के खर्चो की कटौती करने के पश्चात इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विशेषतः उपयोग के लिए इतनी धनराशियां दे सकती है, जो यह ठीक समझे।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–17– केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान और उधार

केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यकृत विनियोग किए जाने के पश्चात बोर्ड को अनुदान या उधार के रूप में ऐसी धनराशियां दे सकती है जो केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

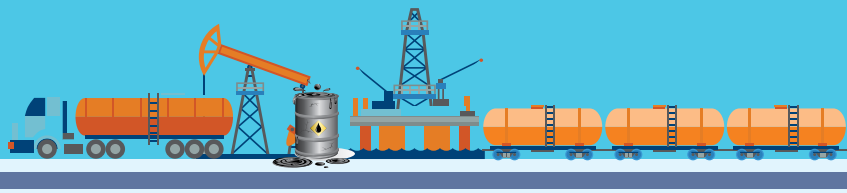

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा-18-तेल उद्योग विकास निधि

18 (1) तेल उद्योग विकास निधि के नाम से एक निधि बनाई जायेगी उस निधि में निम्नलिखित धनराशियां जमा की जायेंगी, अर्थात्

(क) धारा–16 या 17 के अधीन भुगतान की गई राशि,

(ख) वे अनुदान जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए जाये,

(ग) बोर्ड द्वारा लिये गए उधार,

(ध) वे राशियां, यदि कोई हों, जो बोर्ड द्वारा अपने कार्यो के निष्पादन अथवा इस अधिनियम के प्रशासन में वसूल की जाएं।

(2) निधियों का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जायेगा:–

क) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों और उसके सलाहकारों, परामर्शदाताओं या अन्य अभिकरणों को, जिनकी बोर्ड सेवाएं प्राप्त करे वेतन, भत्ते, मानदेय तथा अन्य परिश्रमिक देने के लिए

(ख) बोर्ड अन्य प्रशासनिक खर्चो को पूरा करने के लिए,

(ग) धारा–6 के अन्तर्गत सहायता देने के लिए,

(ध) बोर्ड द्वारा लिए गए ऋणों का भुगतान करने अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत अन्य देयताओं को पूरा करने के लिए।

तेल उद्योग विकास बोर्ड

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारत सरकार

देश में तेल उद्योग के विकास हेतु प्रतिबद्ध संस्थान

पंजीकृत कार्यालयः
301, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, तीसरी मंजिल, बाबर रोड, नई दिल्ली–11001

कॉर्पोरेट कार्यालयः
ओआईडीबी भवन, तीसरी मंजिल, प्लॉट नं. 2, सैक्टर–73, नोएडा–201301 उ.प्र.